सर्वशिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

2002 - 2007

एवं

वार्षिक कार्ययोजना व बजट

2003 - 2004

जनपद उन्नाव

अनुक्रमणिका

सर्व शिक्षा अभियान 2002 - 2007 जनपद- उन्नाव

क्रमांक	अध्याय का नाम	पृष्ठ स.
1.	जनपद का शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य	1 — 2
2.	जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	3 — 18
3.	नियोजन प्रकिया	19 — 32
4.	सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य	33 — 36
5.	समस्यायें व रणनीतियाँ	37 — 38
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार - I	39 — 43
7.	शिक्षा की पहुँच - II	44 — 63
8.	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	64 — 102
9.	सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु कार्ययोजना	103 — 150
10.	परियोजना क्रियान्वन एवं अनुश्रवण	151 — 161
11.	परियोजना लागत . 2002-2007	162 — 167
12.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2003-04	168 — 169

अध्याय 1

जनपद उन्नाव (उ0प्र0)

जनपद का शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य

परिचय :

पतित पावनी गंगा एवं सई नदियों के मध्य लखनऊ–कानपुर राजमार्ग पर स्थित जनपद उन्नाव प्राचीन काल से ही इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। यह जनपद ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक एवं पराक्रम की दृष्टि से सर्वथा सम्पन्न रहा है। जनश्रुति के अनुसार पृथ्वी का केन्द्र बिन्दु जनपद की सीमा से लगा हुआ ब्रह्मावर्त नामक पवित्र तीर्थ स्थल है। त्रेता युग में आदि कवि महर्षि बाल्मीकि की तपोस्थली ब्रह्मावर्त से लेकर जनपद उन्नाव के चक, लव, कुशी (चकलवंशी) तक विस्तीर्ण थी। इस स्थली के पश्चिम किनारे पर गंगा की पवित्र धारा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यहीं पर परित्यकता माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहीं थीं। इसी तपोस्थली में लवकुश एवं श्री राम की सेना के मध्य भयानक युद्ध हुआ था, यहीं पर जानकी कुण्ड नाम का कूप है जिसमें माता सीता जी भूमिगत हुयी थीं। वहां पर एक विशाल वट वृक्ष एवं मन्दिर आज भी स्थित है।

उन्नाव जनपद का नामकरण महाजारा उनवन्त राय के नाम पर हुआ है। उन्नाव नगर महाराज उन्वन्त राय की राजधानी थी, इसका पूर्व नाम उन्वन्त नगर था कालान्तर में इसका नाम उन्नाव पड़ गया। जनपद की पुरवा तहसील में सरवन (श्रवण) नामक स्थान पर महाराज दशरथ के शब्द भेदी बाण से पितृभक्त श्रवण कुमार की अनजाने में हत्या हुई थी। तहसील हसनगंज के परसन्दन ग्राम में ऋषि परशुराम का निवास था। द्वापर युग में तहसील सफीपुर के सज्वान कोट नामक स्थान पर महाराजा शान्तनु के द्वारा निर्मित किला सई नदी के किनारे स्थित था तथा नकुल के द्वारा बसायी गयी बस्ती नेवल के नाम से जानी जाती है। इसी तहसील में ऊगू राजा अग्रसेन द्वारा बसायी गयी बस्ती है।

स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी शहीद चन्द्रशेखर आजाद, राजा राव, रामबक्श सिंह, राजा बेनी माधव, पं0 विशम्भर दयाल त्रिपाठी, ठाकुल जसा सिंह, श्री रपत सिंह, बरजोर सिंह, चण्डी सिंह, मन्सब कस्तूरी सिंह, भोपाल सिंह तथा चन्द्रिका बक्श सिंह आदि वीर सेनानियों ने जनपद उन्नाव की धरती पर जन्म लिया था।

साहित्यिक क्षेत्र में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि से लेकर यश प्रसाद शुक्ल "सनेही", प्रताप नारायण मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र, श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिनहा, चन्द्रभूषण त्रिवेदी (रमई काका), डा0 रामविलास शर्मा, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, शिव सिंह सेंगर, खगनिया तेलिन, मौलाना हसरत मोहानी, सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला" एवं भगवती चरण वर्मा आदि विद्वान इस जनपद की मिट्टी की देन हैं।

जनपद उन्नाव का भौगोलिक एवं शैक्षिक परिदृश्य

क्षेत्रफल	4558 किमी0		
जनसंख्या	पुरुष	1422965	साक्षर जनसंख्या पुरुष–799466
	महिला	1277461	महिला – 448173
	कुल	2700426	कुल – 1247639
तहसील	05		
विकासखण्ड	16		
नगरपालिका	03		
नगरक्षेत्र टाउन एरिया	15		
न्यायपंचायत	174		
ग्राम पंचायत	954		
आबादी ग्राम/बस्ती	2769		
पुलिस स्टेशन	नगरीय	09	
	ग्रामीण	09	
बस स्टेशन	89		
रेलवे स्टेशन	25		
बैंक	57		
डाकघर	नगरीय	23	
	ग्रामीण	245	
चिकित्सालय (राजकीय)	15		

शैक्षिक

प्राथमिक विद्यालय	2203
उच्च प्राथमिक विद्यालय	580
हाईस्कूल विद्यालय	44
इण्टरमीडिएट कालेज	63
नवोदय विद्यालय	01
केन्द्रीय विद्यालय	02
डिग्री कालेज	03
स्नातकोत्तर महाविद्यालय	04
जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान	01
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	15
आई0टी0आई0	01
पॉलीटेक्निक	01

अध्याय 2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

वर्ष 1991 में जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की पुरुष साक्षरता दर 39.9 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 15.1 प्रतिशत के अनुसार कुल औसत साक्षरता दर 29.1 प्रतिशत थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 54. 5 प्रतिशत पुरुष 31.87 प्रतिशत महिला तथा औसर 43.75 प्रतिशत हो गयी है इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र की साक्षरता दर 1991 में पुरुष 55.2 प्रतिशत, महिला 38.0 प्रतिशत तथा औसत 47.2 प्रतिशत से बढ़कर 65.5 प्रतिशत पुरुष, 53.5 प्रतिशत महिला तथा औसत 59.83 प्रतिशत हो गयी है। जिसके अनुरूप जनपद में कुल 46.2 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है जिसमें पुरुष साक्षरता दर 56.18 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 35.1 प्रतिशत है।

ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र वार जनसंख्या एवं साक्षरता दर

क्र0 स0	क्षेत्र	कुल जनसंख्या			साक्षर जनसंख्या			साक्षरता प्रतिशत		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	ग्रामीण	1205885	1082682	2288567	657204	344007	1001211	54.50%	31.80%	43.75%
2	नगर	217080	194779	411859	142262	104166	246428	65.50%	53.50%	59.83%
3	कुल योग	1422965	1277461	2700426	799466	448173	1247639	56.18%	35.10%	46.20%

स्रोत जिला प्रशासन वर्ष 2001 की जनगणना सांख्यिकी

जनसंख्या वृद्धि दर 22-75 % (समग्र)

जनसंख्या घनत्व 588 प्रतिवर्ग किमी.

लिंग अनुपात 1000 : 898

अनुसूचित जाति जनसंख्या 28.96 %

अल्पसंख्यक जनसंख्या 10.74 %

गत दशक में साक्षरता वृद्धि दर पुरुष 33 % लगभग

- - -महिला -86 % लगभग - - - -

जनपद की विकासखण्ड वार साक्षरता दर

क्र0सं0	ब्लाक	कुल	पुरूष	महिला
1	सुमेरपुर	53.7	66.7	41.7
2	असोहा	43	56.9	32.4
3	फतेहपुर चौरासी	40	50.8	29.2
4	औरास	34.2	43.7	25.1
5	हसनगंज	41.2	52.6	30.1
6	पुरवा	49.7	62.9	37.2
7	सि0 कर्ण	52.6	59.9	38.8
8	सि0 सरोसी	39.1	48.5	29.9
9	हिलौली	38.9	50	28.6
10	बीघापुर	56.7	64.6	45
11	बांगरमऊ	38.96	50.5	37.3
12	बिछिया	38	55.5	34.7
13	गंजमुरादाबाद	40.1	50	30.1
14	मियागंज	40.5	51.2	29.3
15	नवाबगंज	41.4	53.2	30
16	सफीपुर	41.2	54	41.4
17	नगर क्षेत्र	59.8	56.5	53.5
	योग	46.2	56.2	35.1

नोट :- जनगणना २००३ के अनुसार विकास खण्डवार / नगर क्षेत्रवार साक्षरता दर का विवरण उपलब्ध नहीं है। अतः अनुमानित साक्षरता दर अंकित की गयी है।

विकास खण्डों में सबसे कम साक्षरता दर वाले विकास खण्ड औरास, बांगरमऊ, हेलौली, सिकन्दरपुर सरोसी, मियागंज, गंजमुरादाबाद, फतेहपुर चौरासी, सफीपुर, हसनगंज, नवाबगंज है जिनमें महिला साक्षरता दर क अनुसार विकास खण्ड औरास, बांगरमऊ, तथा हेलौली सर्वाधिक पिछड़े विकास खण्ड है। जनपद में सर्वाधिक साक्षरता वाले विकास खण्ड बीघापुर है।

जनपद में शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु निम्नांकित संस्थाएं एवं संस्थान उपलब्ध है–
शैक्षिक संस्थाएं

		परिषदीय/शासकी			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
		ग्रमीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रमीण	नगरीय	योग	ग्रमीण	नगरीय	योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्राथमिक विद्यालय	1679	38	1717	396	90	486	2075	128	2203	140	46	144
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	0	0	0	4	1	5	4	1	5	5	0	5
3	उच्च प्रथमिक विद्यालय	329	9	338	224	18	242	553	27	580	52	3	55
3 ए	राज०उच्च प्रा० विद्यालय	3	2	5	0	0	0	3	2	5	0	0	0
4	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	9	3	12	56	21	77	65	24	89	0	0	0
5	केन्द्रीय विद्यालय	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0
6	नवोदय विद्यालय	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
7	हाईस्कूल	6	0	6	29	10	39	35	10	45	4	0	4
8	इण्टरमीडियट	10	2	12	40	11	51	50	13	63	0	0	0
9	डिग्रीकालेज	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
10	स्नातकोत्तर महा०वि०	1	0	1	0	3	3	1	3	4	0	0	0
11	वि०वि०	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	तकनीकी संस्थान (आई०टी०आई०/पाली०)	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाऐं	0	0	0	0	4	4	0	4	4	2	0	2
14	आंगन बाड़ी केन्द्रों की सं०	1347	0	1347	0	0	0	1347	0	1347	0	0	0
15	मकतब / मदरसे	0	0	0	12	1	13	12	1	13	38	9	47
16	संस्कृत पाठशालाऐं	0	0	0	6	1	7	6	1	7	0	0	0
17	विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थाएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	बाल श्रमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	शिक्षा केन्द्र (शि० गारण्टी योजना)	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
20	वै०शि० केन्द्र	34	5	39	0	0	0	34	5	39	0	0	0
21	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0

स्रोत – जिला सांख्यिकी एवं विभागीय सूचना

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

	सृजित		कार्यरत		रिक्त		स्वीकृत शिक्षामित्रों की संख्या
	प्रधान शिक्षक	सहा0 शिक्षक	प्रधान शिक्षक	सहा0 शिक्षक	प्रधान शिक्षक	सहा0 शिक्षक	
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	1482	3599	1328	3552	154	47	1805
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	255	1088	153	889	102	199	---

स्रोत –विभागीय सूचना वर्ष 2003

छात्र नामांकन

सारणी – 6.4

6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या			परिषदीय विद्यालय			मान्यता प्राप्त विद्यालय			गैर मान्यताप्राप्त विद्यालाय			योग			नमांकन अनुपात		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
223024	196416	419440	171660	169515	341175	53849	44076	97825	6971	5507	12478	232480	219098	451478	104.23%	111.54%	107.63%

स्रोत – विभागीय सूचना वर्ष 2003-04

उच्च प्राथमिक स्तर

सारणी – 6.5

11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या			परिषदीय विद्यालय			मन्यता प्राप्त विद्यालय			गैर मान्यताप्राप्त विद्यालाय			योग			नमांकन अनुपात		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
92510	86282	178792	21315	19204	40519	37658	27930	65588	5973	5585	11558	64946	52719	117665	70.2%	61.1%	65.81%

स्रोत – विभागीय सूचना वर्ष 2003-04

प्राथमिक नामांकन एवं वृद्धि एवं ड्राप आउट दर

वर्ष	कक्षा 1	कक्षा-2	कक्षा-3	कक्षा-4	कक्षा-5	योग	गतवर्ष के सापेक्षः वृद्धि	ड्राप आउटर
1997-1998	70929	66972	51537	36014	27837	253289	--	--
1998-1999	65845	69528	61998	42229	29826	280526	10.75%	--
1999-2000	76323	46624	62992	53854	44809	302402	7.8%	--
2000-2001	88635	72753	62567	57754	50057	334766	10.1%	--
2001-2002	91554	87281	74824	61627	53295	368581	10.1%	24.86%
2002-2003	104137	90313	86212	73731	58132	412525	11.92%	11.73%
2003-2004	105473	102972	89751	85137	68145	451478	9.4%	10.71%

स्रोत – विभागीय सूचना वर्ष 2003-04

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	क्षा 6	कक्षा-7	कक्षा-8	योग	गतवर्ष के सापेक्षः वृद्धि	ड्राप आउटर
1999-2000	26052	23162	17692	66906	--	--
2000-2001	28031	25262	20462	73755	10.23%	--
2001-2002	31181	27392	23107	81680	10.74%	11.3%
2002-2003	42472	30532	26103	99107	21.34%	6.9%
2003-2004	49862	32548	28245	117655	18.71%	9.14%

स्रोत – विभागीय सूचना वर्ष 2003-04

ट्रांजिशन दर कक्षा 5 से कक्षा 6

वर्ष	क्षा 5	कक्षा-6	गतवर्ष के सापेक्षः वृद्धि
1999-2000	44809	26052	--
2000-2001	50057	28031	62.5%
2001-2002	53295	31181	62.2%
2002-2003	58132	42472	79.7%
2003-2004	68145	49862	85.7%

स्रोत – विभागीय सूचना वर्ष 2003-04

जनपद का शुद्ध नामांकन अनुपात

प्राथमिक स्तर

सारणी - ६.६

कुल			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
99.72	99.42	99.58	97.28	94.13	95.76

उच्च प्राथमिक स्तर

कुल			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
66.32	58.62	62.04	64.58	56.72	60.72

जनपद का ड्राप आउट दर

प्राथमिक स्तर

कुल			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
7.62%	16.82%	10.71%	17.56%	21.32%	19.4%

उच्च प्राथमिक स्तर

कुल			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
8.90%	11.72%	9.41%	11.4%	15.7%	13.2%

छात्र नामांकन प्राथमिक विद्यालय

विकास खण्ड का नाम	6-11 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या			परिषदीय विद्यालयों में नामांकित			मान्यता प्राप्त में नामांकि			अमान्य गैर मान्यता प्राप्त		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
सुमेरपुर	12119	11246	23365	9561	9446	19007	2991	2457	5448	388	306	694
असोहा	12253	10919	23172	9481	9369	18850	2967	2437	5404	384	304	688
फतेहपुर 84	12168	10114	22282	9117	9009	18126	2853	2343	5196	370	292	662
औरास	11325	9276	20601	8430	8329	16759	2640	2160	4800	342	270	612
हसनगंज	14110	13574	27684	12028	11493	23521	3548	2902	6450	459	363	822
पुरवा	10477	9368	19845	8121	8023	16144	2543	2081	4624	329	260	589
सि0 कर्ण	14538	12947	27485	11747	11612	23359	3522	2882	6404	456	360	816
सरोसी	18309	16032	34341	10882	14017	24899	4400	3601	8001	570	450	1020
हिलौली	16198	14156	30354	12421	13272	25693	3890	3182	7072	504	398	902
बीघापुर	11440	9454	20894	8549	8448	16997	2678	2190	4868	347	274	621
बांगरमऊ	14513	12639	27152	11110	10978	22088	3479	2847	6326	450	356	806
बिछिया	13625	12864	26489	10839	10710	21549	3395	2777	6172	440	347	787
गंज मुरादाबाद	11710	10066	21776	8911	8804	17715	2791	2283	5074	362	285	647
मियागंज	14109	12267	26376	10793	10664	21457	3380	2766	6146	437	346	783
नवाबगंज	15132	13965	29097	11906	11764	23670	3730	3050	6780	483	381	864
सफीपुर	11259	1004	21280	8707	8604	17311	2727	2231	4958	353	279	632
नगर	9739	7508	17247	9057	4973	14030	2210	1808	4018	286	226	512
योग	2239024	196416	419440	171660	169515	341175	53849	44076	97825	6971	5507	12478

छात्र नामांकन उच्च प्राथमिक विद्यालय

विकास खण्ड	11-14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या			परिषदीय विद्यालयों में नामांकित			मान्यता प्राप्त में नामांकित			अमान्य विद्यालयों में नामांकित		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
सुमेरपुर	5274	4872	10146	1212	1091	2303	2117	1606	3723	362	316	678
असोहा	5449	5009	10508	1255	1130	2385	2161	1636	3797	346	326	672
फतेहपुर 84	5303	4832	10135	1210	1091	2301	2106	1601	3707	378	356	734
औरास	5069	4938	10007	1195	1076	2271	2098	1592	3690	389	319	708
हसनगंज	5331	5023	10354	1236	1114	2350	2151	1624	3775	367	342	709
पुरवा	5238	4874	10112	1207	1088	2295	2118	1583	3701	381	336	707
सि0 कर्ण	5721	5158	10909	1303	1173	2476	2216	1683	3899	396	329	725
सरोसी	5971	5527	11498	1373	1237	2610	2291	1742	4033	391	314	705
हिलौली	5403	5158	10561	1261	1136	2397	2171	1647	3818	336	352	688
बीघापुर	5576	5089	10665	1273	1147	2420	2161	1652	3813	356	372	728
बांगरमऊ	5420	5179	10599	1266	1140	2406	2163	1649	3812	379	359	738
बिछिया	5562	5268	10830	1293	1165	2458	2187	1671	3858	361	394	755
गंज मुरादाबा	5832	5181	11013	1314	1185	2499	2223	1692	3915	349	312	661
मियागंज	5978	5603	11581	1382	1246	2628	2289	1751	4040	353	316	669
नवाबगंज	5508	5168	10676	1275	1148	2423	2178	1656	3834	344	327	671
सफीपुर	5527	5342	10869	1298	1169	2467	2196	1678	3874	293	329	622
	4288	4031	8319	972	858	1830	1832	1467	3299	192	186	378
योग	92510	86282	178792	21315	19204	40519	36658	27930	65588	5973	5585	11558

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	3 किमी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	3 किमी. से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित ए०आई०ई० केन्द्र
ऐसी बस्तियो की सख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	702	0	0
ऐसी बस्तियो की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम है	1434	481	50

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

बस्तियो का वर्गीकरण	1 किमी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 किमी. से अधिक किन्तु 1.5 किमी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी. से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित ई0जी0एस0 /ए.आई.ई. केन्द	
				ई.जी.एस.	ए.आई.ई.
ऐसी बस्तियों की सख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है	1661	160	0	0	0
ऐसी बस्तियों की सख्या जिनकी आबादी 300 से कम है	431	236	80	27	53

स्रोत – विभागीय सूचना

विद्यालयों में भैतिक सुविधाएं (परिषदीय विद्यालय 31.7.03 की स्थिति)

सारिणी –7.1

प्राथमिक स्तर		ग्रामीण	नगर	1.
	प्राथमिक विद्यालय भवन	विकास खण्ड	नगर क्षेत्रवार	योग
2	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	NIL	4	04
	दो कक्षीय वि०की० सं०	1040	20	1060
	तीन कक्षीय "	637		637
	चार कक्षीय "	13	--	13
	पांच कक्षीय "	2	1	3
	5 कक्ष से अधिक वाले विद्यालय	0	0	0
3.	मरम्मत योग्य विद्यालय	254 लघु मरम्मतयोग्य 163	बृहत मरम्मत योग्य	91
4.	शौचालय शौचालययुक्त विद्यालय	1254 शौचालय विहीन विद्यालय	463योग शौचालय की आवश्यकता	463
5.	हैण्डपम्प हैण्डपम्पयुक्त 1630	हैण्डपम्प विहीन 87	योग हैण्डपम्प की आवश्यकता	87
6.	चाहर दीवारी चाहरदीवारीयुक्त 234	चाहरदीवारी विहीन 1483	योग चाहार दीवारीआवश्यकता	1483

उच्च प्राथमिक स्तरः–

7.	उच्च प्राथमिक कुल विद्यालयो की सं०	भवनायुक्त	भवनहीन	जर्जर (पुनर्निमाण योग्य)	
	विद्यालय 338	317	21	44	
8.	मरम्मत योग्य 59	लधुमरम्मत 29		वृहत मरम्मत 30	
9.	एक कक्षीय विद्यालय 00				
	दो कक्षीय विद्यालय 0				
	तीन कक्षीय विद्यालय 241				
	चार कक्षीय विद्यालय 96				
	पांच कक्षीय विद्यालय ––				
	5 से अधिक कक्ष वाले विद्यालय 01				
10.	शौचालय	उपलब्धता – 257		आवश्यकता– 81	
11.	हैण्डपम्प	उपलब्धता– 294		आवश्यकता – 44	
12.	चाहरदीवारी	उपलब्धता– 135		आवश्यकता – 203	

स्रोत – विभागीय सूचना

वर्तमान में उपलब्ध सुविधायें एवं आवश्यकता वर्ष 2003-04

जुलाई 2003

क्र0 सं0	आइटम/सुविधा का नाम	उपलब्ध सुविधायें		अतिरिक्त आवश्यकतायें									
				प्राथमिक					उच्च प्राथमिक				
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	अतिरिक्त आवश्यकता	डी.पी.ई.पी. योजना	11वां वित्त आयोग / जिला योजना	अन्य	सर्व शिक्षा अभियान से मांग	अतिरिक्त आवश्यकता	डी.पी.ई.पी. योजना	11वां वित्त आयोग / जिला योजना	अन्य	सर्व शिक्षा अभियान से मांग
1.	नवीन विद्यालय	1717	338	0	--	--	--	0	0	--	--	--	0
2.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	--	--	0	--	--	--	0	67	--	--	--	67
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष (प्रतिरक्षक एक कक्षा कक्ष एवं नामांकन वृद्धि के आधार पर)	4102	1113	1068	--	--	--	1068	644	--	--	--	644
4.	पयजल सुविधा	1630	249	87	6	--	--	81	44	--	--	--	44
5.	शौचालय	1254	257	463	--	--	--	463	81	--	--	--	81
6.	चहारदीवारी	234	135	1483	--	1483	--	--	203	--	203	--	--

हाउसहोल्ड सर्वे अनुसार वर्गवार विद्यालय न जाने वाले चिन्हित बच्चे

आयु	5 से 6 वर्ष के बच्चें			7 से 10 वर्ष के बच्चें			11 से 14 वर्ष के बच्चें			कुल योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
	16923	10188	27111	10055	9405	19460	10196	11044	27240	37174	30637	67811

स्रोत – विभागीय सर्वेक्षण

विद्यालय न जाने वाले चिन्हित बच्चों की कारण का वर्गीकरण

कारण	5 से 6 वर्ष		7 से 10 वर्ष		11 से 14 वर्ष		कुल योग		
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
घरेलू कार्य	2567	2399	4037	4008	5612	6398	12216	12805	25021
छोटे भाई बहन की देखभाल	2776	2575	3524	3698	1651	2442	7951	8715	16666
विद्यालय की अनुपात संख्या	862	1014	637	523	578	898	2077	2435	4512
अन्य	10679	4149	1564	966	629	619	12872	5734	18606
बालश्रम	39	51	293	210	1726	687	2058	948	3006

स्रोत – विभागीय सर्वेक्षण

विद्यालयों में भौतिक सुविधाये (परिषदीय विद्यालय) प्राथमिक विद्यालय सारणी 8.2

जनपद का नाम - उन्नाव

वर्ष जुलाई 2003 की स्थिति

क्र0सं0	ब्लाक	विद्यालय सं0	भवन की स्थिति					विद्यालय में कक्षों की संख्या						शौचालय		हैण्डपम्प		चाहरदीवारी		भवनहीन
			ठीक	ध्वस्त	जर्जर	मरम्मत योग्य		एक	दो	तीन	चार	पाँच	पाँच से अधिक	है	नहीं	है	नहीं	है	नहीं	
						लघु	वृहत													
1	सुमेरपुर	108	98	0	2	11	4	--	78	30	--	--	--	63	45	106	2	12	96	--
2	असोहा	106	96	0	4	4	2	--	83	23	--	--	--	72	29	106		11	95	--
3	फतेहपुर 84	99	81	0	6	68	6	--	82	17	--	--	--	83	16	97	2	1	98	--
4	औरास	85	43	0	11	24	7	--	59	26	--	--	--	73	12	81	4	5	80	--
5	हसनगंज	118	76	0	10	172	5	--	92	26	--	--	--	90	28	116	2	13	105	--
6	पुरवा	97	75	0	7	10	5	--	65	30	2	--	--	67	30	91	6	23	74	--
7	सि0 कर्ण	115	106	0	3	4	2	--	60	51	4	--	--	80	26	106	9	41	74	--
8	सि0 सरोसी	117	87	0	7	13	10	--	76	41	--	--	--	60	48	111	6	17	100	--
9	हिलौली	103	88	0	7	5	3	--	79	24	--	--	--	64	39	95	5	11	92	--
10	बीघापुर	102	94	0	3	3	2	--	59	35	6	2	--	53	70	95	7	22	80	--
11	बागेरमऊ	103	86	0	7	6	4	--	70	33	--	--	--	63	40	100	3	9	94	--
12	बिछिया	107	72	0	5	20	10	--	75	32	--	--	--	82	75	101	6	22	85	--
13	गंजमुरादाबाद	88	61	0	5	17	5	--	63	25	--	--	--	60	22	88		10	78	--
14	मियागंज	120	106	0	4	6	4	--	99	21	--	--	--	115	5	119	1	7	113	--
15	नवाबगंज	113	88	0	5	16	4	--	93	20	--	--	--	85	28	102	11	13	100	--
16	सफीपुर	98	82	0	7	5	4	--	76	22	1	--	--	82	16	93	5	14	84	--
17	नगरक्षेत्र	38	14	7	3	3	4	4	27	6	--	1	0	18	20	23	15	3	35	7
	महायोग	1717	1353	7	96	163	91	4	1235	462	13	3	0	1268	449	1630	81	234	1483	7

स्रोत - विभागीय सूचना

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

सारणी 8.2

जनपद का नाम - उन्नाव

वर्ष जुलाई 2003 की स्थिति

क्र0सं0	ब्लाक	विद्यालय सं0	भवन की स्थिति					विद्यालय में कक्षों की संख्या					शौचालय		हैण्डपम्प		चाहरदीवारी		भवनहीन
			ठीक	ध्वस्त	जर्जर	मरम्मत योग्य		एक	दो	तीन	चार	पाँच	है	नहीं	है	नहीं	है	नहीं	
						लघु	वृहत												
1	सुमेरपुर	22	9	--	2	2	8	--	2	16	6	--	17	5	20	2	10	12	1
2	असोहा	16	5	--	2	6	3	--	--	15	1	--	10	6	16	--	5	11	--
3	फतेहपुर 84	18	10	--	2	3	--	--	3	9	9	--	11	7	11	1	5	13	3
4	औरास	14	3	1	2	1	2	--	--	9	5	--	7	7	10	4	3	11	5
5	हसनगंज	22	17	--	2	1	2	--	--	18	4	--	18	4	21	1	14	8	--
6	पुरवा	14	8	--	3	3	--	--	3	8	6	--	9	5	11	3	6	8	--
7	सि0 कर्ण	24	19	2	1	--	2	--	2	19	5	--	20	4	22	1	14	10	--
8	सि0 सरोसी	27	16	--	4	5	1	--	5	19	81	--	20	7	25	2	8	19	1
9	हिलौली	17	12	--	2	1	1	--	1	13	4	--	11	6	16	1	7	10	1
10	बीघापुर	22	21	1	0	--	--	--	--	70	2	--	17	5	20	2	9	13	--
11	बांगरमऊ	22	16	--	4	0	1	--	1	17	5	--	18	4	21	1	10	12	1
12	बिछिया	27	16	2	1	6	1	--	1	24	3	--	25	2	27		7	20	1
13	गंजमुरादाबाद	18	9	--	3	0	4	--	2	11	7	--	14	4	17	1	8	10	2
14	मियागंज	17	13	1	1	0	1	--	--	13	4	--	16	1	17		8	9	--
15	नवाबगंज	23	14	2	2	1	2	--	2	3	20	--	17	6	21	2	7	16	2
16	सफीपुर	26	20	--	1	0	2	--	1	22	4	--	21	5	25	1	10	16	2
17	नगरक्षेत्र	9	5	--	2	--	--	--	--	5	3	1	6	3	7	2	4	5	2
	महायोग	338	214	9	35	29	30	0	20	241	96	1	257	81	314	24	135	203	21

स्रोत - विभागीय सूचना

विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की कमी

सारणी 8.4

क्र0 सं0	ब्लाक का नाम	बस्तियों की कुल संख्या	विद्यालयों की संख्या		शौचालय विहीन		हैण्डपम्प विहीन		चहारदीवारी विहीन	
			प्राथमिक विद्यालय की संख्या	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
1	सुमेरपुर	93	108	22	45	5	2	2	96	12
2	असोहा	229	106	16	29	6		2	95	11
3	फतेहपुर 84	149	99	18	16	7	2	2	98	13
4	औरास	85	85	14	12	7	4	4	80	11
5	हसनगंज	227	118	22	28	4	2	2	105	8
6	पुरवा	144	97	14	30	5	6	3	74	8
7	सि0 कर्ण	208	115	24	26	4	9	2	74	10
8	सि0 सरोसी	147	117	27	48	7	6	3	100	19
9	हिलौली	204	103	17	39	6	8	2	92	10
10	बीघापुर	98	102	22	20	5	7	3	80	13
11	बागंरमऊ	247	103	22	40	4	3	3	94	12
12	बिछिया	177	107	27	25	2	6	2	85	20
13	गंजमुरादाबाद	203	88	18	22	4		3	78	10
14	मियागंज	197	120	17	19	1	1	3	113	9
15	नवाबगंज	210	113	23	28	6	11	3	100	16
16	सफीपुर	126	98	26	16	5	5	3	84	16
17	नगरक्षेत्र	25	38	9	20	3	15	2	35	5
	महायोग	2769	1717	338	463	81	87	44	1483	203

स्रोत - विभागीय सूचना वर्ष 2003

अध्याय - 3

नियोजन प्रक्रिया

सर्वशिक्षा अभियान में राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रसास द्वारा प्रारंभिक शिक्षा कों जन जन तक पहुंचाने सम्बंधी चिर अभिलाषित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बदलाव लाने की अपेक्षा की गयी है, इस का उद्देश्य 2007 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा कोटिपूरक प्रांरभिक शिक्षा प्रदान करना है।

सर्वशिक्षा अभियान स्कूल पद्धति से कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटि परक प्रारंभिक शिक्षो को मिशन के रूप में प्रदान करने सम्बंधी जरूरत को पूरा करने सम्बंधी एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री पुरूष असमानता तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा सम्बंधी सभी प्रयास किये जायेगें' सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल स्तर से निचले स्तर तक कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सकें। पंचायती राज संस्थाओं, निर्धारित क्षेत्रों में जनजातीय परिषदों जिनमें ग्रम पंचायते भी सम्मिलित है की स्वीकृति प्रदान करने के अलावा राज्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे गैर सरकारी संगठनों, शिक्षकों, स्वयं शिक्षको, कलाकारों महिला संगठनों आदि को शामिल करके अपनी जवाबदेही के क्षेत्र का विस्तार करें।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना – उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6–11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियो तथा अध्यापकों के लिये इसके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गयी इस जनपद में सर्वप्रथम 1998–99 में सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार में सम्बंधिन्त सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले

से तैयार थी का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं / आंकड़ो का विश्लेष्ण करके समस्याओं / आवश्यकताओं की पहचान की गयी। सूक्ष्म नियोजन द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गयी।

1. ग्राम में 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
2. विद्यालय / अनौपचारिक /औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
3. विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
4. शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण

- यदि ग्राम में विद्यालय / अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं है तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है ?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते है?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधनं पर्याप्त है?
- यदि नहीं तो इसके सुधार के लिये ग्रामवासियों के क्या सुझाव है?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र अध्यापक अनुपात क्या है?
- क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते है?
- शिक्षणं कार्य की स्थिति / शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार।
- बालिका शिक्षा के बारे में ग्रामवासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के लिये निम्न कार्य ग्रामवासियों के सहयोग किये गये।

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्रण / शैक्षिक मानचित्र

3. सूचनाओं का विश्लेषण

4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेष्ण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी – ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक–युवतियों, शिक्षकों/ शिक्षकाओं की एक सभा बुलाकर गाँव की शैक्षिक समस्याओं के साथ साथ अन्य समस्याओं पर चर्चा की गयी। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात् शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गांव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गयी। शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गयी।

१. बस्ती की पूरी जनसंख्या
२. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
३. स्त्री पुरूष की जनंसख्या
४. पढनें व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
५. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
६. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
७. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुये परिवारों / बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1999–2000 तथा 2000–2001 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गयी ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकास खण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया

जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998–2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आंकड़ें एकत्र किये गये थें उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवार वार / बस्तीवार आंकड़ो को सर्वशिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत विकास खण्ड संकलित किया गया 6–11 वय वर्ष के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा / नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6–11 वर्ष तथा 11–14 वर्ष समूह में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी अंकलित की गयी जो कामकाजी है, पैतृक व्यवसाय में माता पिता की सहायता करते है अथवा सड़क छाप बच्चें (स्ट्रीट चिल्ड्रन) है।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ो के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते है, उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र / वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

नियोजन प्रक्रिया – संविधान की धारा 45 में एक सपना संजोया गया है कि समस्त 14 वय वर्ग तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था शासन द्वारा की जायेगी। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिये समय समय पर अनेकानेक प्रयास किये गये। इन्हीं प्रयासों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भी सम्मिलित है इस कार्यक्रम में 6–11 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक की निःशुल्क गुणवत्ता परक शिक्षा देने के प्रयास किये गये है। जनपद में प्रतिवर्ष स्कूल जाने वाली आयु वर्ग के बच्चों की चिन्हीकरण हेतु जून माह में परिवार सर्वेक्षण के आधार पर बाल गणना कराई जाती है। जिसके अनुसार 6–11 एवं 11–14 आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या निम्नाकिंत है। –

सर्वशिक्षा अभियान ग्राम / बस्ती / मजरे की कार्य योजना पर आधारित कार्यक्रम है। साथ ही बालक बालिका के अन्तर को दूर करने निर्धारित समय में नामांकन का लक्ष्य पूरा करने. तथा शालत्याग की दर को शून्य तक लाने का प्रमुख उद्देश्य है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सर्वशिक्षा अभियान की रूपरेखा करने हेतु सर्वप्रथम निम्नवत कोर टीम का गठन किया गया।

१. प्राचार्य डायट
२. विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी
३. वरिष्ठ प्रवक्ता डायट
४. स0 वित्त एवं लेखाधिकारी
५. जिला समन्वयक वैकल्पिक शिक्षा
६. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी

उपरोक्त टीम को सीमेट इलाहाबाद में कार्ययोजना तैयार करने हेतु 5,1,6 नवम्बर 2001 में बोधात्मक प्रशिक्षण तथा मार्ग दर्शन प्रदान किया गया। तत्पश्चात् नियोजन की प्रक्रिया की शुरूआत जिला स्तरीय बैठक से की गयी। जिसमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, अभियंता, लोक निर्माण, लघु संस्थान, जिला क्रीड़ाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक डी0पी0ई0पी0, समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उपबेसिक शिक्षा अधिकारी आदि अधिकारी उपस्थिति थे। सभी इस मत पर सहमत थे कि निगोजन में ग्राम / बस्ती स्तर पर जनसमुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने एवं क्षेत्र /गांव/बस्ती स्तर की प्राथमिक समस्याओं को जानने के लिये फोकस ग्रुप डिस्कसन किया जाये। इसके पश्चात् ब्लाक स्तर पर ग्राम प्रधानों बी0डी0सी0 सदस्यों एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श किया गया। जिसमें शिक्षा से सम्बंधित समस्याओं एवं सामुदायिक सहभागिता तथा शिक्षा के प्रति उनकी अपेक्षाओं से

सम्बंधित तथ्य उभर कर सामने आयें। इसी तरह ब्लाक स्तरीय शिक्षकों की बैठक की गयी बैठक में शिक्षकों से समुदाय की अपेक्षा पर विचार विमर्श किया गया तत्पश्चात् विकास खण्ड स्तर पर योजना की प्रकार की बनाने हेतु विकास खण्ड स्तरीय विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा कार्यक्रम में अपेक्षित तथ्यों की प्राप्ति हेतु सहयोग लिया गया जिससे जनपद की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा सका।

हाउस होल्ड सर्वेक्षण :-

मई जून 2003 में किये गये हाउस होल्ड सर्वेक्षण के दौरान विद्यालय न जाने वाले 5 से 11 वय वर्ग के कुल 46571 तथा 11 से 14 वय वर्ग के 27240 कुल 67811 बच्चे चिन्हांकित किये गये। माह जुलाई 2003 में चिन्हांकित बच्चों के विद्यालय में नामांकन हेतु स्कूल चलो अभियान संचालित किया गया जिसके दौरान 5 से 11 वय वर्ग के 44809 बच्चे तथा 11 से 14 वय वर्ग के 9877 बच्चे स्कूलों में नामांकित कराये गयें। हाउस होल्ड सर्वेक्षण के दौरान चिन्हांकित बच्चों में से 5 से 11 वय वर्ग के 1762 एवं 11 से 14 वय वर्ग के 17363 बच्चों को विद्यालय लाने हेतु वर्ष 2003-04में प्राथमिक स्तर के 27 ई०जी०एस० एवं 53 ए०आई०ई० केन्द्रों की स्वीकृति की मांग की गयी है। ई०जी०एस० एवं ए०आई०ई० केन्द्रों की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र संचालित कर ६ से ११ वय वर्ग के बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित हो जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर 45 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 32 ए०आई०ई० केन्द्र खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिनके संचालन के उपरान्त अधिकांश विद्यालय न जाने वाले बच्चों का नामांकन सुनिश्चित हो जायेगा।

नियोजन प्रक्रिया में जन सहभागिता हेतु कृत कार्यवाही का सारांश -

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे है उनका संक्षिप्त विवरण
17.11.2001	उन्नाव (डी0पी0ओ0)	प्राचार्य डायट बेसिक शिक्षाधिकारी समस्त उपबेसिक शिक्षाअधिकारी समस्त सहायक बेसिक शिक्षाअधिकारी, समस्त जिला समन्वयक नगर शिक्षाधिकारी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज, प्रवक्ता राजकीय इंटर कालेज, स्वयं सेवी संस्था (जनशिक्षण संस्थान)	अभिभावकों की जागरूकता में कमी के कारण योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अभिभावक बच्चों को विद्यालय भेजने में ज्यादा ही लापरवाह है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों को समुचित रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। सामुदायिक सहभागिता हेतु, सामुदाय को गतिशील बनाने के लिय कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाना चाहिये।
18.11.2001	ब्लाक सुमेरपुर (भगवन्त नगर)	ग्राम प्रधान, बी0डी0सी0 सदस्य, ग्राम शिक्षा समितिके सदस्य, बी0आर0सी0, एन0 सी0 आर0 सी0, समन्वयक, समुदाय के प्रबुद्ध पुरूष एवं महिलाएं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बी0 आर0 सी0/एन0पी0आर0सी0, समन्वयक	1. नवीन विद्यालयों की स्थापना की जाए। 2. विद्यालयों को आकर्षक बनाया जाए। 3. विकलांग बच्चों के लिए विद्यालयों में रैम्प्स बनाए जाने एवं प्रोत्साहन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। 4. छात्रों को छात्र वृत्ति के रूप में दी जाने वाली नगद न देकर यूनीफार्म के रूप में दी जाये। 5. पोषाहार पकाकर मध्यान्ह में विद्यालय में ही दिया जाये
19.11.2001	ब्लाक बीघापुर (बारा)	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति, सदस्य ग्राम शिक्षा समिति, बी0डी0सी0 सदस्य समुदाय के प्रबुद्ध महिला पुरूष एवं अभिभावक बी0 आर0 सी0/एन0पी0आर0सी0, समन्वयक	छात्रवृत्ति वितरण का स्वभाव परिवर्तन किया जाय। छात्रवृत्ति नकद न देकर गणवेश, बस्ता आदि के रूप में उपलब्ध कराया जाय। ग्राम शिक्षा समिति में सदस्य के रूप में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े प्रबुद्ध पुरूष, महिलाओं को सम्मिलित किया जाए।
20.11.2001	हिलौली (गुलरिहा)	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य बी0डी0सी0 सदस्य, प्रबुद्ध पुरूष एवं महिलायें समन्वयक अभिभावक, बी0 आर0 सी0/एन0पी0आर0सी0, समन्वयक	1. ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष शिक्षकों के बीच सामन्जस्य के साथ शिक्षण -व्यवस्याओं का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये । 2. अध्यापकों की स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक दिवस में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय का अवलोकन किया जाय। 3. अध्यापक अपनी प्रत्येक दिन की क्रिया कलाप का ब्योरा डायरी में रखे।

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे है उनका संक्षिप्त विवरण
21.11.2001	पुरवा चमियानी	सहा बेसिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य बी0डी0सी0 सदस्य प्रबुद्ध पुरूष एवं महिलाए समन्वयक अभिभावक बी0 आर0 सी0/ एन0 पी0आर0सी0, समन्वयक	1. विधालयों में शैक्षिक निरीक्षण माह में एक बार अनिवार्य रूप से किया जिसमें प्रत्येक अध्यापक को गुणवत्ता परक शिक्षण देने हेतु शैक्षिक समर्थन प्रदान किया जाय। 2. गुणवत्ता परक शिक्षा न होने पर अध्यापकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।
22.11.2001	नवाबगंज (अजगैन)	सहा बेसिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य बी0डी0सी0 सदस्य प्रबुद्ध पुरूष एवं महिलाए समन्वयक अभिभावक बी0 आर0 सी0/ एन0 पी0आर0सी0, समन्वयक, समन्वयक विभिन्न वर्गो के महिला पुरूष	1. अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति उदासीन रहते है। 2. अध्यापक पठन-पाठन के प्रति उदासीन रहते है।
23.11.2001	सफीपुर (बड़ादेव)	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति सदस्य, बी0डी0सी0 सदस्य प्रबुद्ध अभिभावक श्री आर0सी0/एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक जिला समन्वयक	1- अध्यापकों की नियुक्ति ब्लाक से बाहर की जाए। 2- TLM की उपयोगिता सुनिश्चित की जाए। 3- अध्यापकों की शैक्षिक स्तर की परीक्षा 03 वर्ष में एक बार ली जाए। मानक के विपरीत पाए जाने पर अध्यापकीय कार्य से विरत कर दिया जाए।
24.11.2001	बांगरमऊ (नासिरपुर)	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य बी0डी0सी0 सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, प्रबुद्ध अभिभावक, समाज के विभिन्न वर्गो के महत्वपूर्ण सदस्य, बी0 आर0 सी0/एन0पी0आर0सी0, समन्वयक	1. बच्चों को खेल-खेल में प्रभावी शिक्षा की जानी चाहिए। 2. प्रारम्भिक शिक्षा सैद्धान्तिक की अपेक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए। 3. बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का नियमितीकरण किया जाना चाहिए। इस हेतु विभाग से ब्लाक स्तर पर डाक्टर की नियुक्ति की जानी चाहिए।

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे है उनका संक्षिप्त विवरण
25.11.01	गंजमुरादाबाद	सहा बेसिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष । सदस्य बी0डी0सी0 सदस्य समाज के विभन्न वर्गो के प्रबुद्ध पुरूष एवं महिलाए बी0 आर0 सी0/ एन0 पी0आर0सी0, समन्वयक जिला समन्वयक	1. महिलाओं की जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाए जिससे वह शिक्षा के प्रति जागरूक हो । 2. बालिकाओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम किए जाने चाहिए जिससे बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो 3. महिला प्रेरक समूहों को प्रभावी बनाना चाहिए इस हेतु उनके द्वारा दिए गए सुझावों को विद्यालय की कार्ययोजना में शामिल किया जाए ।
26.11.01	हसनगंज	सहा बेसिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष । सदस्य बी0डी0सी0 सदस्य जिला पंचायत सदस्य समाज के विभिन्न वर्गो के प्रबुद्ध पुरूष एवं महिलाए बी0 आर0 सी0/ एन0 पी0 आर0 सी0, समन्वयक, जिला समन्वयक	1. अध्यापकों की केवल शिक्षण कार्य में ही लगाया जाए । 2. भवन निर्माण एवं अन्य कार्यो से विरत रखा जाए । 3. पठन-पाठन पाठ्यक्रम एवं टाइमटेबल से किया जाए जिसका विवरण विद्यालय में अवलोकनार्थ होना चाहिए ।
27.11.01	औरास	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति, सदस्य बी0डी0सी0 सदस्य जिला पंचायत सदस्य, समाज के विभिन्न वर्गो के प्रबुद्ध महिला पुरूष बी0आर0सी0/एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक	1- शिक्षा विधि रूचिपरक खेल क्रियाविधि आधारित होना चाहिए । 2- अध्यापकों की अनुपस्थिति को गम्भीरता से लेते हुए प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए । 3- अध्यापकों की योग्यता परीक्षा प्रत्येक 3 वर्ष पर की जानी चाहिए । अयोग्य अध्यापकों को निष्कासित कर देना चाहिए ।
28.11.01	सरोसी (गलगलहा)	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य बी0डी0सी0 सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, प्रबुद्ध अभिभावक, समाज के विभिन्न वर्गो के महत्वपूर्ण बी0 आर0 सी0/एन0पी0आर0सी0, समन्वयक, जिला समन्वयक	1. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण समय से किया जाना चाहिए 2. विद्यालय अनिवार्य रूप से 210 दिन लगना चाहिए 3. अध्यापकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कार्यो में नही लगाना चाहिए 4. लापरवाह एवं अनियमिति उपस्थिति व पठन-पाठन में रूचि न लेने वाले शिक्षकों का निष्कासन किया जाना चाहिए

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे है उनका संक्षिप्त विवरण
01.12.01	औरास (बघौली)	सहा बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक समन्वयक, ग्राम के प्रबुद्ध महिला व पुरूष, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1.अध्यापक समय से विद्यालय नहीं आते हैं। 2. अध्यापक दी गई ट्रेनिंग के आधार पर पठन पाठन क्रिया नही कर रहें है। 3. विद्यालय सुसज्जित नही है। 4. विद्यालयों में खेलकूद के साधन उपलबध नहीं है।
02.12.01	पुरवा	ब्लाक समन्वयक, गांव के शिक्षक, जनप्रतिनिधि शिक्षा समिति के सदस्य तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	1.अध्यापक शिक्षण कार्य न करके क्षेत्रीय राजनीति में अधिक रूचि लेते है। 2. अभिभावकों का शिक्षा में रूचि न लेना 3. शिक्षक पठन पाठन क्रिया परम्परागत ढ़ग से करते है जिससे विषय में रोचकता नहीं
03.12.01	सिकन्दर पुर कर्ण	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, छात्रों के अभिभावक, ब्लाक समन्वयक, सह समन्वयक ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1.शिक्षक अपने कार्यो को भी विद्यालय समय में पूर्ण करने में संलग्न रहते हैं। 2. विद्यालय में कक्षा-कक्षों का अभाव है। 3. विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या प्रायः मानक से कम है। 4. कुछ शिक्षक ब्लाक स्तर तथा जिला स्तर की राजनीति में संलग्न रहते हैं जिससे अन्य शिक्षकों को भी शिक्षण कार्य में विरत रहने की प्रेरणा मिलती है।
04.12.01	सिकन्दरपुर सरोसी	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक समन्यक, एन0पी0आर0 सी0 समन्वयक तथा वी0डी0सी0 सदस्य	1. विद्यालय वर्ष में कम से कम 210 दिन अवश्य खुलना चाहिए। 2. अध्यापकों को पठन-पाठन कार्य में सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिये । 3. अध्यापकों को अन्य सरकारी कार्यो में लगाया जाना । 4. विद्यालयों का वातावरण आकर्षक न होना ।
05.12.01	हसनगंज	ब्लाक समन्यक, सह समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, बी0डी0सी0 सदस्य तथा ग्राम शिक्षा समिति के मदस्य	1. अध्यापक समय सारणी के अनुसार शिक्षण कार्य नहीं करते है। 2. विद्यालयों में बच्चों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। 3. शिक्षक अभिभावकों की अपने बच्चा को पढ़ाने के लिए नहीं प्रेरित करते हैं 4. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण न होना ।

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे है उनका संक्षिप्त विवरण
06.12.01	बांगरमऊ (गौरिया कलां)	सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक समन्वयक, शिक्षक, जन प्रतिनिधि ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, छात्रों के माता-पिता एवं अन्य गांव के निवासी	1. अध्यापक समय से स्कूल न ही आते । 2. शिक्षिकाएं विद्यालय में अपने व्यक्तिगत कार्यो में संलग्न रहती है। 3. विद्यालय में कक्षा-कक्षा की कमी है। प्रत्येक कक्षा के लिए एक कक्ष होना चाहिए। 4. अभिभावकों में शिक्षा के प्रति अरूचि का होना। 5. शिक्षक दी गयी ट्रेनिंग के अनुसार कक्षा शिक्षण नहीं करते है।
07.12.01	मियांगज (आसीवन)	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक समन्वयक, न्याय, पंचायत समन्वयक, बी0डी0सी0 सदस्य, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम शिक्षा समिति, छात्रों के अभिभावक	1. ब्लाक स्तरीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में स्टाफ न होने के कारण शिक्षक लिपिकीय कार्यो में व्यस्त रहते है। 2. अध्यापकों का क्षेत्रीय होना तथा क्षेत्रीय राजनीति में लिप्त रहना । 3. अध्यापकों को केवल शिक्षण कार्य में ही लगाया जाय। 4. विद्यालयों को आकर्षक बनाया जाये।
08.12.01	औरास (नन्दौली)	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक सह समन्वयक, न्याय पंचायत समन्वयक शिक्षक, अभिभावक जनप्रतिनिधि, संदर्भित व्यक्ति एवं अन्य प्रबुद्ध जन।	1. विद्यालय समय से नहीं खुलते है। 2. शिक्षक पठन-पाठन में रूचि नहीं लेते । 3. पंजीकृत छात्रों में से अधिकांश छात्र विद्यालय नही आते है। 4. अभिभावक अपने बच्चों को घरेलू कार्यो में लगाये रहते है।
11.12.01	सिकन्दर पुर कर्ण (जमुनीपुर)	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, ब्लाक समन्वयक, न्याय पंचायत समन्वयक, अभिभावक, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष।	1.शिक्षको को ब्लाक से बाहर नियुक्त करना चाहिए। 2. शिक्षक प्रशिक्षण में बतायी गयी नवीन शिक्षण विधियों से शिक्षण कार्य न करके परम्परागत शिक्षण विधियों से अध्यापन कार्य करते हैं। 3. विद्यालय में छात्रों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। 4. विकलांग बच्चों के शिक्षण के लिए सामान्य बच्चों से अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाय। तथा उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार किया जाय।

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे है उनका संक्षिप्त विवरण
12.12.01	पुरवा (ऊँचगाँव किला)	सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक समन्वयक, जिला समन्वयक, ब्लाक समन्वयक, न्याय पंचायत समन्वयक शिक्षक, छात्र अभिभावक ग्राम के अन्य कई सदस्य	1. बालिका शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन देना चाहिये.। 2. टी0एल0 एम0 की उपयोगिता सुनिश्चित की जाए। 3. गुणवत्ता परक शिक्षण कार्य न होने पर शिक्षकों को दण्डित किया जाये। 4. नवीन विद्यालयों की स्थापना की जाये। 5. शिक्षकों के प्रतिदिन के कार्यो के विवरण के लिए डायरी बनवायी जाये।
13.12.01	बीघापुर (रायपुर)	सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक समन्वयक, जिला समन्वयक, न्याय पंचायत समन्वयक शिक्षक, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1. छात्रवृत्ति नगद न देकर उसे अन्य (गणवेश आदि) रूप में दी जाये। 2. मध्यान्ह का पोषाहार पकाकर दिया जाये। 3. बच्चों को प्रतिदिन अभ्यास कार्य दिया जाय तथा नियमित उनका मूल्यांकन किया जाये। 4. ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष तथा शिक्षकों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाय।
14.12.01	असोहा (कालू खेड़ा)	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, ब्लाक समन्वयक, सह समन्वयक, अभिभावक जनप्रतिनिधि, गाँव के प्रबुद्ध लोग	1. शिक्षकों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाये। 2. छात्रों के विद्यालय न आने तथा अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए शिक्षकों तथा अभिभावकों के मध्य बैठक आयोजित की जाये। 3. शिक्षकों की उदासीनता सी0आर0 में अंकित की जाये। 4. बच्चों का विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर गंभीर बच्चों का डाक्टर की सलाह पर इलाज कराया जाय।
15.12.01	बिछिया	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, ग्राम विकास अधिकारी, छात्रों के अभिभावक	1.शिक्षकों का विभागीय कार्यो में संलग्न रहना। 2. अभिभावकों की पुरानी विचारधारा जिसके कारण वे अपने बच्चों को पढ़ाई पूर्व में ही रूकवादेते है। 3. विकलांग बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा देने में शिक्षकों की असमर्थता। 4. बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जाये। 5. अध्यापक विद्यालय समय के अलावा भी बच्चों को अतिरिक्त समय दे तथा उनकी शैक्षिक समस्याओं को समझे।

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे है उनका संक्षिप्त विवरण
15.12.01	पुरवा	ब्लाक समन्वयक, एन0पी0 आर0सी0 समन्वयक जिला समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बी0डी0सी0 सदस्य, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1. अध्यापक अपनी डायरी में प्रतिदिन की कार्यवाही का ब्यौरा नोट करें। 2. माह में कम से कम एक बार ग्राम शिक्षा समिति की शैक्षिक समस्याओं पर आधारित मीटिंग अवश्य होनी चाहिए। 3. शिक्षक कमजोर बच्चों को अतिरिक्त समय दे। 4. विद्यालय में शिक्षण कार्य में कमी पाये जाने पर शिक्षक को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाय।

विभिन्न स्तरों पर कराये गये फोकस ग्रुप डिस्कशन्स का विवरण

स्तर	प्रतिभागी	कुल डिस्कशन
जिला स्तरीय	जिला स्तरीय अधिकारी, जिला पंचायत प्रतिनिधि व अन्य जन प्रतिनिधि, प्रत्रकार	1
ब्लाक स्तरीय	जिला समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक एवं न्याय पंचायत समन्वयक बी.डी.सी. सदस्य, ग्राम शिक्षा समिति सदस्य	7
ग्राम स्तर	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक ब्लाक समन्वयक, न्याय पंचायत समन्वयक, ग्राम पंचायत सदस्यख, ग्राम शिक्षा समिति सदस्य, बी.डी.सी. सदस्य, प्रबुद्ध नागरिक	18

अध्याय - 4

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य व लक्ष्य

सर्वशिक्षा अभियान स्कूल के कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटिपरक प्रारंभिक शिक्षा को मिशन रूप में प्रदान करने सम्बंधी जरूरत को पूरा करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री पुरूष असमानता तथा सामाजिक अंतर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है।

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य -

1- सभी बच्चों के लिये वर्ष 2003 तक स्कूल शिक्षा गारण्टी केन्द्र वैकल्पिक स्कूल "बैक टू स्कूल" शिविर की उपलब्धता।

2- सभी बच्चे 2007 तक पाँच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।

3- सभी बच्चे वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूर्ण कर लें।

4- जीवनपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया जायेगा।

5- बालक बालिका असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्रारम्भिक स्तर पर समाप्त करना।

6- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को स्कूल मे बनाये रखना।

नामांकन के लक्ष्य -

क – प्राथमिक स्तर (6–11 वय वर्ग) :– जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2002 –03 में शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य है जनपद का सकल नामांकन अनुपात 98.15 प्रतिशत है, तथा शुद्ध नामांकन अनुपात 86.37 प्रतिशत है। इस प्रकार दोनों में 5 प्रतिशत का अंतर है। अतः 2002–03 में अनुपात 100 प्रतिशत लाने के लिये सकल नामांकन 105 प्रतिशत तक ले जाना होगा।

जनपद में बाल गणना के अनुसार 2000–01 में 6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या 388939 है 2001 से 2010 तक की उक्त आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 2.2 प्रतिशत वाषिक वृद्धिदर के आधार पर प्रेक्षित की गयी है। इसी प्रकार वर्ष 2001 में छात्र नामांकन 381757 है जो 6–11 वय वर्ग के बच्चों का 98.15 प्रतिशत है इस वर्ष 2002–03 में 105 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। संदर्भित वर्ष की 6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या से सकल नामाकंन अनुपात निकाला गया है जो स्थिर है ऐसा इसलिये किया गया है कि अधिक आयु एवं अल्प आयु के बच्चों का प्रवेश पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाता है। विवरण संलग्न तालिका 10.1 में दिया गया है।

ख – उच्च प्राथमिक स्तर (11–14 वय वर्ग) :– सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत नामाकंन करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 61.17 प्रतिशत है। इस स्तर सामान्यतः सकल तथा शुद्ध नामांकन दर में विशेष अंतर नहीं होता है। इसलिये इस स्थान पर सकल नामांकन के लक्ष्य ही रखे गये है। बाल गणना के अनुसार जिले में 11 से 14 वर्ष के 1,67,626 बच्चे है। इनके साक्षेप 97,173 बच्चें नामाकिंत हैं। वर्ष 2000–01 से 2010–2011 तक 11 से 14 आयु वर्ग के वच्चों की संख्या 2.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर प्रक्षेपित की गयी है। जहां तक नामांकित बच्चों की संख्या का प्रश्न है वर्ष 2007 के पश्चात् इन्हें 2.2 प्रतिशत के आधार पर अनुमानित किया गया है। और सकल नामाकंन दर इसी आधार पर निकाली गयी। विवरण सारणी 10.2 में दिया गया है।

ठहराव के लक्ष्य -

क - प्राथमिक स्तर :-

जनपद में 2000–01 में 6–11 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 388939 के सापेक्ष 381757 बच्चे विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में नामाकिंत है। परिषदीय नामाकंन की

संख्या 2,84,098 है। जनपद में 6–11 वय वर्ग के बच्चों का शालात्याग का प्रतिशत 24. 86 प्रतिशत है। जिसे वर्ष 2002–03 तक शून्य करने का लक्ष्य है। इस प्रभावी नामाकंन हेंतु अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता होगी। सारणी 13.3 में वर्षवार नामांकन के सापेक्ष आवश्यक वर्षवार नामांकन के सापेक्ष आवश्यक शिक्षकों की संख्या आंकलिकत की गयी है।

ख - उच्च प्राथमिक स्तर :-

जनपद में 2001–02 11 से 14 वय वर्ग के 1,67,626 बच्चों के सापेक्ष 102544 बच्चे विभिन्न शिक्षण संस्थाओं मे नामाकिंत है। परिषदीय विद्यालय में कुल 31847 बच्चे नामांकित है। जनपद में कक्षा 6 से 8 में बच्चों का शाला त्याग प्रतिशत 11.3 है। शाला त्याग की दर को वर्ष 2006–07 तक शून्य करने का लक्ष्य है।

ड्राप आउट दर ज्ञात करने का आधार :– जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों की ड्राप आउट दर निकालने हेतु प्राथमिक स्तर पर वर्ष 1997–98 में कक्षा में 1 में नामांकित कुल बच्चों में से वर्ष 2001–02 में कक्षा 5 में नामांकित बच्चों के आधार पर ड्राप आउट दर की गणना की गयी है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर निकालने हेतु वर्ष 1999–2000 में कक्षा 6 में नामांकित कुल बच्चों के सापेक्ष 2001–2002 में कक्षा 1 नामांकित बच्चों के आधार पर ड्राप आउट दर की गणना की गयी है।

ड्राप आउट दर कम करने का वर्षभार लक्ष्य -

वर्ष	प्राथमिक स्तर का लक्ष्य	उच्च प्राथमिक स्तर का लक्ष्य
2003–04	16.0	8.0
2004–05	10.0	5.0
2005–06	5.0	3.0
2006–07	0	0

नामांकन परियोजना अवधि में (अनुमानित)

प्राथमिक स्तर

वर्ष	कुल जनसंख्या 6 से 11 वय वर्ग	परिषदीय नामांकन	मान्यता प्राप्त मे नामाकंन	अमान्य विद्यालयों में नामांकन	स्कूल न जाने वाले	GER	NER
2003-04	419440	341175	97825	12478	1762	107.63	99.58
2004-05	428248	347842	110233	12998	0	110	100
2005-06	437241	354655	112855	13455	0	110	100
2006-07	446423	361619	115370	14076	0	105	100

नामांकन परियोजना अवधि में (अनुमानित)

उच्च प्राथमिक स्तर

वर्ष	कुल जनसंख्या 11 से 14 वय वर्ग	परिषदीय नामांकन	मान्यता प्राप्त मे नामाकंन	अमान्य विद्यालयों मे नामांकन	स्कूल न जाने वाले	GER	NER
2003-04	178792	40519	65588	11558	17363	65.81	62.04
2004-05	180130	46725	76198	12175	17019	75	68.00
2005-06	181939	55315	86378	12955	9097	85	82.00
2006-07	183760	64975	105570	13215	0	100	100

अध्याय -05

समस्यायें व रणनीतियाँ

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत रूप में तथा समुदाय की सहभागिता प्राप्त करते हुये अपनायी गयी। शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गो, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, अभिभावकों आदि से चर्चा में जो समस्यायें उभरकर आयी। उनके समाधान हेतु सर्व शिखा अभियान के अन्तर्गत अपनायी जाने वाली रणनीतियां निम्न सारणी में वर्णित की गई है।

		रणनीतियाँ
शिक्षा की पहुंच सम्बन्धी	1. अभिभावकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी। 2. बालिकाओं के प्रति असुरक्षा की भावना । 3. संसाधनों की कमी	1. सामुदायिक सहभागिता का अधिक से अधिक कार्यक्रमों में समावेश किया जायेगा। 2. सामाजिक चेतना बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय किये जायेंगे ताकि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। 3. बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर ही व्यायाम शिक्षा का योजना में सामावेश किया जायेगा। 4. स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा।
नामांकन संबधी	1. शिक्षा का रोजगार परक न होना । 2. रूढ़िवादी अल्पसंख्यक समुदाय में प्राथमिक शिक्षा के प्रति उदासीनता। 3. विद्यालयों की उपलब्धता में कमी	1. शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिए कार्ययोजना में विशेष पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाएगा। 2. रूढ़िवादी समुदाय को जागरूक किया जायेगा। 3. मानक के अनुरूप विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। 4. ग्राम शिक्षा समिति में विशेष रूप से महिला सदस्यों का सहयोग लिया जायेगा।

	मुख्य समस्याएं	रणनीतियाँ
ठहराव सम्बंधी	1. विद्यालयी सुविधा में कमी। 2. बालिका शिक्षा के कार्यक्रमों में कमी। 3. विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का अभाव। 4. शिक्षिकाओं का महिलाओं से संपर्क न होना। 5. अध्यापकों का अध्यापन कार्य के प्रति रूझान कम होना।	1. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। 2. योजना में बालिका शिक्षा के कार्यक्रमों का समावेश किया जायेगा। 3. योजना में समेकित शिक्षा का समावेश किया जायेगा। 4. अध्यापकों को तीन वर्ष में एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में एवं 10 वर्ष में एक वि0क्षे0 से दूसरे वि0क्षे0 में स्थानान्तरण करने का प्राविधान किया जायेगा।
गुणवत्ता संबंधी	1. अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो का लिया जाना । 2. अध्यापकों की कमी। 3. प्राथमिक स्तर पर बहुकक्षा शिक्षण प्रणाली का अभाव। 4. सहायक सामग्री के समुचित प्रयोग का अभाव	1. अध्यापकों की पूर्ति के लिए मानक के अनुरूप शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का प्राविधान किया जायेगा। 2. प्राथमिक स्तर पर बहु कक्षा शिक्षण प्रणाली की स्थापना की जायेगी। 3. विज्ञान/गणित किट के समुचित प्रयोग के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
संस्थागत	1. शिक्षकों का प्रशिक्षित मानकों के अनुरूप न पढ़ा पाना। 2. निरीक्षण की संख्या कम होना। 3. वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुकूल शिक्षा न होना।	1. पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा। 2. निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी एवं समयबद्ध किया जायेगा। 3. कम्प्यूटर शिक्षा एवं अन्य उपयोगी विषयों को पाठ्यक्रम में लाया जायेगा।

अध्याय - 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (प्रथम)
नवीन औपचारिक विद्यालय

जनपद में डी0पी0ई0 योजना के प्राम्भ वर्ष 2001 से सन् 2002 तक कुल 46 प्राथमिक विद्यालय निर्मित हुये पूर्व में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत कुछ असेवित बस्तियां जनसंख्या मानक पूरा न कर पाने के कारण छूट गयी थी। वर्तमान में इन असेवित बस्तियों की आबादी मानक के अनुरूप है।

अतः इस असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना आवश्यक है इसके लिये निम्न कार्य योजना प्रस्तावित है।

1. नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :-

राज्य सरकार के मानक के अनुसार नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना ऐसी असेवित बस्तियों एवं ग्रामों में की जानी प्रस्तावित है जिनकी आबादी 300 तथा दूरी 1.5 किलोमीटर या इससे अधिक है। जिससे प्रत्येक बस्ती एवं ग्राम को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करायी जा सकें। विकास खण्डवार असेवित बस्तियों/ग्रामों की संख्या सारणी संख्या 11.1 में दर्शायी गयी है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य नहीं है।

सारणी 11.1

नवीन प्राथमिक विद्यालय हेतु विकास खण्डवार असेवित ग्राम / बस्तियां

क्र0सं0 बस्तियों की सं0	विकास खण्ड	असेवित ग्राम /
1.	सुमेर पुर	04
2.	असोहा	09
3.	फतेहपुर चौरासी	13
4.	औरास	06
5.	हसनगंज	29
6.	पुरवा	14
7.	सि0 कर्ण	06
8.	सि0 सरोसी	08
9.	हिलौली	16
10.	बीघापुर	03
11.	बागंरमऊ	14
12.	बिछिया	19
13.	गंजमुरादाबाद	24
14.	मियागंज	21
15.	नवाबगंज	15
16.	सफीपुर	03
17.	नगर क्षेत्र	—
	योग	204

स्त्रोत : विभागीय आंकड़े

एस0एस0ए0 के अन्तर्गत नवीन विद्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :-

मानक के अनुसार ऐसे असेवित ग्राम /बस्तियों जिनकी कुल आबादी 800 या उससे अधिक तथा तीन किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ये उद्देश्य रखा गया है कि प्रत्येक बस्ती में 3 किलोमीटर के अन्तर्गत एक उच्च प्राथमिक उपलब्ध हो जाये जिसके अनुसार जनपद उन्नाव में 60 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण कराने का वर्षवार कार्यक्रम अग्रांकित सारणी में दर्शाया गया है।

प्रस्तावित कार्य योजना की वर्षवार तालिका

वर्ष	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण
2001–02	–
2002–03	15
2003–04	45
2004–05	–
2005–06	–
2006–07	–
योग	60

3. **शिक्षण व्यवस्था :-**

प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा चार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था है। पाँच अध्यापकों में से एक विज्ञान एक गणित तथा बालिका शिक्षा को प्रभावित करने हेतु नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकों में 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी।

4. **पेयजल, शौचालय की व्यवस्था :-**

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पानी के पीने की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प अधिस्थापित कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में बालक /बालिकाओं के लिये पृथक पृथक शौचालय निर्माण कराया जायेगा। बालिकाओं की सुरक्षा

को दृष्टिगत रखते हुये तथा विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा इनकी लागत विद्यालय की यूनिट कास्ट में शामिल है।

5. **शिक्षण सामग्री / काष्ठोपकरण** :-उच्च प्राथमिक स्तर – प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

1. प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम की दो प्रतियां।
2. कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों का एक सेट।
3. अध्यापक संदर्शिकाओं का एक सेट।
4. शब्दकोष – हिन्दी, अंग्रेजी –2
5. एटलस।
6. अध्यापकों के लिये विश्वकोष।

इसके अतिरिक्त 9 चार्ट 15 मानचित्र (भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक विश्वएशिया, भारत, राज्य, जिला), ग्लोब, विज्ञान किट, गणित किट,आडियों कैसेट, प्लेयर टूइनवन।

7. क्रीडा सामग्री – फुटबॉल, वालीवॉल, स्कीपिंग रोप, एयरपम्प, डमबल्स, हार्मोनियम, ढोलक, बांसुरी, मंजीरा।
8. काष्ठोपकरण – कुर्सी, मेज, (प्रत्येक अध्यापक के लिये)
9. अन्य सामग्री – बाल्टी, घण्टा, लोटा गिलास, अलमारी, दरी, पत्र–पत्रिकायें (विज्ञान प्रगति, अविष्कार, बाल भारती, एवं एक दैनिक समाचार पत्र)। . . . . .

6. **निर्माण कार्यदायी संस्था** -

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिलाधिकारी उन्नाव की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि विद्यालय का सम्पूर्ण निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त भी सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के स्व की भावना को जाग्रत करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण का दायित्व ग्राम शिक्षा समितियों को सौपा गया है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था :-

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता के अनुसार योजना है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा सम्भव उपलब्ध है। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना असेवित बस्तियों के आधार पर मानक के अनुसार बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना प्राथमिक विद्यालय परिसर में ही जायेगी जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरूप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण -

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रूपये 2 लाख का वित्तीय प्राविधान प्रतिवर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवक्षण :-

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चहारदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेगे। निर्माण कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बंध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय 10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय –7

शिक्षा की पहुँच - II

शिक्षा गारण्टी योजना/ वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना-

जनपद में विद्यालय जाने वाली आयु के सभी बच्चों का शतप्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने हेतु मानक को पूरा करने वाली असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय/उच्चप्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। इसके बावजूद अनेक ऐसी असेवित बस्तियां है। जिनके बच्चें विद्यलय की दूरी के कारण प्रारम्भिक आयु वर्ग 6-8 वर्ष में विद्यालय नही पहुँच पाते तथा सम्बन्धित बस्तियां विद्यालय खोले जाने के मानक भी पूर्ण नही करती ऐसी असेवित बस्तियों में मानक के अनुरूप 30 बच्चे यदि विद्यालय जाने से वंचित हैं तो शिक्षा गारण्टी योजना अन्तर्गत विद्या केन्द्र खोले जाने की योजना है। इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक विद्यालय से 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थिति 800 से कम आबादी की बस्तियों हेतु उच्च प्राथमिक स्तर के विद्याकेन्द्र खोले जाने की योजना है।

उक्त के अतिरिक्त अनेक ऐसे ग्राम एवं बस्तियां हैं जहां बच्चे मां बाप के साथ अर्थोत्पादक कार्यो में लगे रहने के कारण शिक्षा से वंचित रहते है। जनपद उन्नाव में गंगा के तटीय क्षेत्र विशेष में ऐसी बस्तियों की बहुतायत है। अतः इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र (शिक्षा घर) खोलने की योजना प्रस्तावित की गयी है।

वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ विशेष बच्चे जो काफी समय पूर्व विद्यालय छोड़ चुकें हैं अथवा समाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण विद्यालय आने में कठिनाई महसूस करते हैं को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने हेतु "बैक टू स्कूल कैम्प" तथा "ब्रिज कोर्स" प्रस्तावित किये गये है।

उपरोक्त कार्यक्रमों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा। शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना – इस योजना को मुख्य तीन भागों में विभाजित किया गया है।

1– प्रदेश सरकार द्वारा संचालित (EGS/AIE) केन्द्र एवं ब्रिज कोर्स एवं ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से योजना का संचालन ।

2– स्वैच्छिक संगठनों द्वारा (EGS/AIE) केन्द्रों का संचालन।

3– स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नवाचार प्रयोगात्मक परियोजनायें।

वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम

जिला प्रथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के सहयोग द्वारा संचालित 'एजुकेशन गारण्टी स्कीम' के उत्साही परिणामों से प्रभावित होकर प्रदेश की असेवित वस्तियों में कुछ विशेष मानक 1.0 किमी0 की परिधि में विद्यालय की उपलब्धता न होने तथा कम से कम 30 बच्चों के शिक्षा से बंचित होने की स्थिति में शिक्षा गारण्टी योजना अन्तर्गत विद्याकेन्द्र खोले जाने की रणनीति क्रियान्वित की जा रही है जिनमें कक्षा 1 व 2 की शिक्षा प्रदान करने के उपरान्त बच्चों को कक्षा 3 में निकटतम प्राथमिक विद्यालय में नामांकित कराया जाता है।

जनपद में उक्त के अतिरिक्त अल्पसंख्यक (मुस्लिम) समुदाय द्वारा संचालित ऐसे मकतब / मदरसों जिनमें समुदाय विशेष के बच्चों को दीनी शिक्षा प्रदान की जा रही है को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने हेतु 'मकतब / मदरसा सुदृढीकरण' योजना अन्तर्गत वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

उक्त प्रयासों के अन्तर्गत जनपद में वर्ष वार निम्नांकित विद्या केन्द्र/ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र डी0पी0ई0पी0 परियोजनान्तर्गत संचालित किये जा रहे है।

केन्द्र का प्रकार	2000–01	2001–02	संचालित केन्द्र	नामांकित बच्चे	मुख्यधारा में सम्मिलित बच्चे
1– विद्या केन्द्र	19	19	38	1280	551
वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र (मकतब/मदरसा सुदृढीकरण)	05	34	39	1385	84
योग	24	53	77	2665	635

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत सीमित संसाधनों तथा कार्य योजना के अनुसार सम्पूर्ण आवश्यकता के अनुरूप केन्द्रों का खोलना सम्भव नही हो पाया है।

अतः समस्त बस्तियों में पंहुच विस्तार हेतु सर्व शिक्षा अभियान अर्न्तगत कार्य योजना प्रस्तावित की जा रही है।

जनपद उन्नाव में 6 से 11 वय वर्ग की शुद्ध नामांकन दर 99.58 प्रतिशत है। जिसके सापेक्ष 10.71 ड्राप आउट है। इसी प्रकार 11 से 14 वय वर्ग में कुल नामांकन 62.04 प्रतिशत है जिसके सापेक्ष 9.41 प्रतिशत ड्राप आउट है। इस प्रकार शाला त्यागी बच्चों की पृष्ठ भूमि पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है। कि इनमें अधिकांश बच्चे घर में अभिभावकों के साथ काम करते हैं तथा बालिकाओं का कम उम्र में विवाह भी एक कारण है। उपरोक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि जनपद में शिक्षा गांरटी एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका की आवश्यकता है।

सूक्ष्म नियोजन का आधार :–

जनपद उन्नाव में 300 से कम जनसंख्या वाली 110 असेवित बस्तियाँ है जो प्रा0वि0 से 1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर हैं, 208 बस्तियाँ 1.0 कि0मी0 परिधि से बाहर है। तथा 800 से कम जनसंख्या वाली बस्तियों की संख्या 481 हैं जिनसे 3.0 किमी0 के मध्य कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नही है। चूंकि अभी माइक्रोप्लानिंग का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।अतः इन बस्तियों को वैकल्पिक एवं नवाचार योजना द्वारा आच्छादित करने हेतु परिवार सर्वेक्षण कार्य कराया जाना आवश्यक होगा जिसके लिए रू0 0.5 लाख का प्राविधान भी किया गया हैं हाउस होल्ड सर्वे के अन्तर्गत 6–11 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले चिन्हित 46,569 बच्चों में से 95% बच्चों को विद्यालय लाया जा चुका हैं। जनपंद में स्कूल न जाने वाले अधिसंख्य बच्चे असेवित बस्तियों में उपलब्ध है।

जनपद में ऐसी असेवित बस्तियाँ जिनकी आबादी 300 से कम है तथा 1 किमी0 की परिधि में औपचारिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है। ऐसी बस्तियों में शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत विद्या केन्द्र (ई0जी0एस0) खोले जाने का लक्ष्य है। जनपद में ई0जी0एस0 एनेजना के अन्तर्गत आच्छादित की जाने वाली बस्तियाँ जिनसे 1.0 किमी0 की परिधि में विद्यालय नहीं है 80 प्रस्तावित है।

जनपद उन्नाव में सुमेरपुर, असोहा, फतेहपुर–84, औरास, हसनगंज, पुरवा

सिकन्दरपुर, सरोसी, हिलौली, बीघापुर, बांगरमऊ, बिछिया, गंजमुरादाबाद, मियांगज नवाबगंज एवं सफीपुर सहित 16 विकासखण्ड हैं। इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र है। विकास खण्ड सिकन्दर पुर कर्ण का लगभग आधा क्षेत्र गंगा के तटीय क्षेत्र में पड़ता है। तथा बीघापुर सुमेरपुर फतेहपुर–84, बांगरमऊ का भी कुछ क्षेत्र गंगा का तटीय क्षेत्र हैं। जिसमें ड्रापआउट की समस्या अधिक है। अभिभावकों में शिक्षा के प्रति रूझान कम है और इन क्षेत्रो में बच्चों के सामने गंगा नदी के तट पर होने वाली फसलो में लगे होने के कारण एवं मछली पकड़ने के कारण विद्यालयों में नामांकन का औसत कम है।

शिक्षा गारंटी योजना वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना में लाभान्वित करने का लक्ष्य 6–14 वय वर्ग के बच्चे हैं। विकलांग बच्चों की आयु सीमा 18 वर्ष तक है।

इस योजना के अन्तर्गत 6–11 वय वर्ग के बच्चों को विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयों में पंजीकृत कराया जायेगा अथवा ई0जी0एस0 केन्द्र में प्रवेश दिलाया जायेगा। 9–14 वय वर्ग के बच्चे जो पूर्व में ही विद्यालयों से ड्राप आउट हो चुके हैं अथवा कभी भी विद्यालयों में पंजीकृत नहीं हुए हैं । उन्हें वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों अथवा के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोडना ही इसका मुख्य उद्देश्य होगा।

ई0जी0एस0/वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र खोले जाने का आधार –

जनपद में माइक्रोप्लानिंग कार्य हेतु ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराया जा चुका है जनपद में विद्यालय जाने के आयु वर्ग के बच्चों हेतु प्रति वर्ष जून में हाउस होल्ड सर्वेक्षण के अनुसार बाल गणना करायी जाती है। प्राप्त बालगणना एवं नामांकन के आधार पर 5–8 वय वर्ग तथा 9–14 वय वर्ग निम्नवत् बच्चे विद्यालय से बाहर चिन्हाकिंत किये गये। यद्यपि हाउस होल्ड सर्वेक्षण के दौरान विद्यालय न जाने वाले चिन्हित वच्चों का शत प्रतिशत नामांकन कराने का लक्ष्य निर्धारित कर अभियान चलाया जाता है तथा अधिकांश बच्चों को नामांकित कराया जाता है किन्तु सर्वेक्षण में मानवजात त्रुटियों के कारण कुछ बच्चों का चिन्हांकन नहीं हो पाता है तथा विद्यालयी सुविधा रहित ग्राम / मजरों तथा विशेष परिस्थितियों वाले बच्चे नामांकन के उपरान्त विद्यालय छोड़ जाते है अतः ई0जी0एस0 / वैकल्विपक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र खोले जाने की योजना प्रस्तावित है।

हाउसहोल्ड सर्वेक्षण के अनुसार भिन्न आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चे

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	5-8 वर्ष वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चे	9-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चे
1	सुमेरपुर	1929	924
2	असोहा	629	1788
3	फतेहपुर – 84	1026	1997
4	औरास	2432	1392
5	हसनगंज	1684	2178
6	पुरवा	1044	1815
7	सिकन्दरपुर कर्ण	2299	2729
8	सिकन्दरपुर सरोसी	2095	4782
9	हिलौली	1475	2128
10	बीघापुर	1149	870
11	बांगरमऊ	1699	2145
12	बिछिया	1501	4498
13	बंजमुरादाबाद	2665	5403
14	मियागंज	2062	3009
15	नवाबगंज	1140	1532
16	सफीपुर	1874	2302
17	नगर क्षेत्र	915	701
	योग	**27618**	**44193**

रणनीति :–

सर्वशिक्षा योजना के अन्तर्गत विद्यालय न जाने वाले/ड्राप आउट बच्चों को शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार कार्यक्रम द्वारा उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु प्रस्ताव

इण्टरवेन्सन एवं प्रस्तावित कार्यक्रम	वर्ष 2002-03		वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07	
	केन्द्र संख्या	बच्चें	केन्द्र संख्या	बच्चें	केन्द्र संख्या	बच्चें	केन्द्र संख्या	बच्चें	केन्द्र संख्या	बच्चें
1. छोटे बच्चों की देखभाल हेतु ई0सी0सी0ई0 केन्द्र	--	--	--	--	250	10,000	250	10,000	250	10,000
2. विद्यालय का दूर होना										
(क) ई0जी0एस0 केन्द्र	--	--	27	810	27	810	65	1950	65	1950
(ख) मकतब/मदरसा सुदृढ़ीकरण	--	--	--	--	--	--	32	960	32	960
3. घरेलू कार्यों में लगे रहना/ड्राप आउट										
क. ए0आई0ई0 (प्राथमिक स्तर)	--	--	53	1325	53	1325	60	1500	60	1500
ख. ए0आई0ई0 (उच्च प्रा0 स्तर)	--	--	32	800	50	1250	50	1250	50	1250
ग. स्कूल वापस चलो शिविर	--	--	--	--	05	200	05	200	05	200
4. मजदूरी करना										
क. ब्रिज कोर्स (प्रा0 स्तर आवासीय)	--	--	04	200	1	50	1	50	1	50
ख. ब्रिज कोर्स (न्याय पंचायत स्तरीय)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
योग				**3135**		**13635**		**15910**		**15910**

हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर चिन्हित बच्चों की संख्या जून - 2003

स्कूल न जाने के कारण	5+ से 6+ वर्ग आयु के बच्चें			7+ से 10+ वर्ष आयु के बच्चें			11+ से 14+ वर्ष आयु के बच्चें			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	ालिक	योग	ालक	बालिका	योग
1. घरेलू कार्य	2567	2399	4966	4037	4008	8045	5162	6398	12010	12216	12805	25021
2. छोटे भाई - बहनों की देखभाल के कारण	2776	2575	5351	3524	3698	7222	1651	2442	4093	7951	8715	16,666
3. विद्यालय दूर होने के कारण	862	1014	1876	637	523	1160	578	898	1476	2077	2435	4,512
4. मजदूरी	39	51	90	293	210	503	1726	687	2413	2058	948	3,006
5. आय	10,679	4149	14828	1564	966	2530	629	619	1248	12,872	5734	18,606
योग	**16,923**	**10,188**	**7,11**	**10,055**	**9405**	**9,46**	**10,196**	**1,04**	**21,240**	**37,17**	**30,63**	**67,811**

स्रोत -हाउस होल्ड सर्वेक्षण

चिन्हांकित बच्चों को विद्यालय लाये जाने की रणनीति :

चिन्हांकित बच्चें के विद्यालय के नामांकन हेतु स्कूल चलों अभियान माह जुलाई 2003 में संचालित किया गया जिसके दौरान 5+से 11 वय वर्ग के 44809 बच्चें तथा 11 से 14 वय वर्ग के 9877 बच्चें स्कूलों में नामांकित कराये गये। हाउस होल्ड सर्वेक्षण के दौरान चिन्हांकित बच्चों में से 5+ 11 वय वर्ग के 1762 बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु वर्ष 2003-04 में प्राथमिक स्तर के 27 ई0जी0एस0 एवं 53 ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्वीकृति की मांग की गयी है। जिससे समस्त शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। इसी प्रकार 11 से 14 वय वर्ग के 17363 बच्चों को शिक्षा से जोड़े जाने हेतु 45 उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 32 ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्थापना की कार्यवाही चल रही है।

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना हेतु चिन्हित बस्तियों की संख्या विकासखण्डवार

विकासखण्ड का नाम	पहचान किए गये केन्द्रों की संख्या				
	E.G.S. केन्द्रों की संख्या	लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या	AIE केन्द्रों की संख्या		लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या
			प्राथमिक स्तर	उच्चप्राथमिक स्तर	
सुमेरपुर	3	90	5	8	325
असोहा	1	30	1	2	75
फतेहपुर–84	1	30	3	3	150
औरास	2	60	3	6	225
हसनगंज	1	30	2	1	75
पुरवा	1	30	3	1	100
सि0कर्ण	2	60	5	2	175
सि0सरोसी	3	90	4	1	125
हिलौली	1	30	2	1	75
बीघापुर	2	60	4	1	125
बांगरमऊ	2	60	6	3	225
बिछिया	00	00	2	1	75
गंजमुरादाबाद	2	60	7	12	525
मियागंज	3	90	4	6	250
नवाबगंज	01	30	1	0	25
सफीपुर	2	60	00	2	50
नगर क्षेत्र	0	00	1	0	25
योग	27	810	53	50	2625

स्रोत – अद्यतन विभागीय आकलन

कार्यक्रम :–

शिक्षा की पहुंच के विस्तार हेतु जनपद उन्नाव में निम्नलिखित कार्यक्रम बनाये गये हैं।

ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना –

जनपद उन्नाव में उर्पयुक्त सारणी में अंकित 27 बस्तियों में विद्या केन्द्र। ज्ञानशाला एवं वैकल्पिक नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना प्रस्तावित है। जिनके द्वारा लगभग 810 शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सकेगा।

वैकल्पिक शिक्षा –

स्कूल जाने की आयु में विद्यालयों में प्रवेश न ले पाने तथा ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तथा जिनकी आयु 9–14 वय वर्ग की होती है। विशेषकर बालिकायें काम काजी बच्चों को वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जायेगा। इसके लिए 9–14 वय वर्ग के कम से कम 20 बच्चे ड्राप आउट एवं विद्यालय न जाने वाले बच्चे उपलब्ध होंगे वहां पर वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे। इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई (जिस स्तर के बच्चे होंगे) पूर्ण कराकर औपचारिक शिक्षा की मुख्य व प्राथमिक विद्यालय में किसी भी उपयुक्त कक्षा में किसी भी समय प्रवेश दिया जायेगा। 6 – 11 एवं 11 – 14 वय वर्ग के ड्राप आउट बच्चों के लिए 103 नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है। जिनके द्वारा लगभग 2625 बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना सम्भव होगा।

ब्रिज कोर्स :–

जनपद उन्नाव में बालश्रमिक तथा पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स की स्थापना प्रस्तावित की जाती है।

केन्द्र किस प्रकार खोले जायेंगे :–

केन्द्र ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से चयनित स्थान पर खोले जायेंगे। जहा विद्यालय न जाने वाले 25 से 30 बच्चे उपलब्ध होंगे। स्थान /कक्ष की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा बस्ती के ऐसे स्थान पर की जायेगी जहां सभी बच्चे आ सकें व किसी वर्ग समुदाय के लोगों को आपत्ति न हो।

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत आवश्यकतानुसार वर्षवार निम्नांकित केन्द्र संचालित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है –

केन्द्र का प्रकार	2003–04	डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत संचालित सम्मिलितकर 2004–05	2005–06	2006–07
ई0जी0एस0 केन्द्र (प्राथमिक स्तर) नवीन	27	27	65	65
वैकल्पिक शिक्षा केन्द शिक्षाधर(प्राथमिक स्तर)	53	53	60	60
ज्ञानशाला/वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द (उच्च प्राथमिकस्तर)	32	50	50	50
बैक टू स्कूल कैम्प	0	05	05	05
ब्रिज कोर्स	04	01	01	01
मकतब/मदरसा सुदृढीकरण	0	0	32	32

–: केन्द्र संचालन अवधि :–

विशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों की संचालन अवधि 4 घंटे प्रतिदिन सूर्यास्त से पूर्व रहेगी। किसी विशेष परिस्थितियों में ही सायंकालीन केन्द्र संचालित किये जा सकेंगे।

–: अनुदेशक चयन :–

अनुदेशक यथा सम्भव उसी स्थान एवं समुदाय के उपयुक्त शिक्षित व्यक्तियों से चुना जायेगा जहाँ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के ग्राम का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिला को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाई स्कूल परीक्षा के अंको के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुये वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा तत्पश्चात अनुदेशक को आंमन्त्रण पत्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा।

किसी अनुदेशक का कार्य संन्तोष जनक न होने के स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र, सभासद संबन्धित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। आवश्यकतानुसार मकतब/मदरसों में शिक्षा कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति में मकतबो/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अन्यथा संबन्धित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्हव्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो, को मकतबों में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जनसमुदाय को अनुदेशक की आवश्यकता एवं उनके चयन के संबन्ध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति संबन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विशलेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी यदि आवश्यक हुआ तो सम्मलित किया जा सकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिये । जहाँ पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो वहां पर इण्टर मीडियट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है। अनुदेशकों के चयन के संबन्ध में अनुदेशकों एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भराया जायेगा उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों हेतु दो अनुदेशकों का चयन किया जायेगा।

-: अनुदेशकों का मानदेय वितरण :-

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के प्रारम्भ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक के मानदेय की धनराशि प्रतिमाह 1000 रूपये प्रति अनुदेशक के दर से संबन्धित ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। जिसे

अध्यक्ष एवं सचिव, ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चेक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा । मान देय की धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खाते में 6 माह हेतु अग्रिम के रूप में स्थानान्तरित की जायेगी । केन्द्रों के सफलता पूर्वक संचालन की स्थित में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक की आख्या पर अगले 6 माह की धनराशि खातों में स्थानान्तरित कर दी जायेगी ।

नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र एवं जिला बेसिक शिक्षाअधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनुदेशक के संतोष जनक कार्य किये जाने पर किया जायेगा । इस प्रकार की अग्रिम मान देय की धनराशि शिक्षा अधीक्षक को उपलब्ध करा दी जायेगी ।

-: अनुदेशक प्रशिक्षण :-

अनुदेशकों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिसोर्स सेन्टर्स पर आयोजित किया जायेगा प्रत्येक चयनित अनुदेशक का एक माह का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डायट के प्रवक्तओं, सहायक बेसिक शिक्षाअधिकारी/एस0डी0आई0 तथा योग्य अध्यापक, संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से कराई जायेगी । उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के अनुदेशक का प्रशिक्षण 40 दिवसीय होगा । प्रशिक्षण हेतु जिलास्तरीय समिति द्वारा रूपया 1500/- प्रति अनुदेशक की प्राथमिक स्तर के केन्द्रों हेतु तथा रूपया 4000/- प्रति केन्द्र उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी । प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय न होगी ।

-: पर्यवेक्षण :-

इन वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन अकादमी सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी / एस0डी0आई0/ ब्लाक रिसोर्स सेन्टर्स / न्यायापंचायत संसाधन केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा । नगर क्षेत्र में यह कार्य शिक्षा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा । न्यायापंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी/बी0आर0सी0 प्रभारी द्वारा अनुदेशकों की पाक्षिक बैठकें आयोजित की जायेंगी

तथा न्यायपंचायत / विकास खण्ड में संचालित सभी वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के उन्नयन हेतु पूर्ण प्रयास किये जायेगें। समय -समय पर केन्द्रों का पर्यवेक्षण सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी / एस0डी0आई0 तथा बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा भी किया जायेगा।

-: निःशुल्क शिक्षण सामग्री :-

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में सीधे स्थानान्तरित कर दी जायेगी। शिक्षा केन्द्रों पर नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

-: छात्र छात्राओं का मूल्यांकन :-

-अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत् एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही, छमाही तथा वार्षिक मूल्याकंन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाला बच्चा शीघ्र से शीघ्र औपचरिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिए वह योग्य हो, किसी भी समय प्रवेश पा जाये। इसी परिपेक्ष्य में अनुदेशक का मूल्यांकन ग्राम शिक्षा समिति एवं विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चें जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित पाठ्य क्रम पूर्ण कर लेंगें उनकी वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा काराई जायेगी।

-: वित्तीय मानक :-

प्रत्येक केन्द्र की लागत इस बात पर निर्भर करेगी कि उसमें कितने बच्चे अध्ययन रत है। प्राइमरी स्तर के केन्द्रों के लिए रूपया 845.00 प्रति छात्र छात्रा / प्रतिवर्ष और अपर प्राइमरी स्तर के लिए 1200 रूपया प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष की

अधिकतम धनराशि की व्यवस्था इस योजनान्तर्गत की जा सकती है। इस व्यस्था पर 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला स्तर का प्रशासनिक व्यय तथा वि0ख0 के प्रबन्धन की अधिकतम धनराशि रूपया 2.5 लाख सम्मिलित होगी । अधिकतम सीमा तक केन्द्र लागत निम्नवत् रक्खी जा सकती है।

सारणी 7.12

क्र0सं0	आइटम	प्राथमिक केन्द्र	अपर प्राथमिक केन्द्र
1	अनुदेशक का मानदेय	रू0 1000/- प्रतिमाह प्रति अनुदेशक	रू0 2000/- प्रतिमाह दो अनुदेशकों के लिए (रू0 1000/-प्रति अनुदेशक)
2	अनुदेशक प्रशिक्षण	रू0 1500/- प्रतिवर्ष 30 दिनों के लिए (रू0 50प्रतिदिन की दर से)	रू0 4000/- प्रतिवर्ष दो अनुदेशकों के लिए 50रू0 प्रतिदिन 40 दिनों के लिए
3	बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री	रू0 100/- प्रति छात्र/छात्रा	रू0 150/- प्रति छात्र/छात्रा
4	केन्द्रों के शिक्षण	रू0 1100/- प्रति केन्द्र	रू0 1200/- प्रति केन्द्र
5	केन्द्र कान्टीजेन्सी	रू0 468.75 प्रति केन्द्र	रू0 500/- प्रति केन्द्र

उक्त केन्द्रों की अधिकतम लागत में 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला स्तर पर व्यय होने वाले प्रशासनिक व्यय तथा विकास खण्ड स्तर के प्रबन्धन पर व्यय सम्मिलित है।

वि0ख0 स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम लागत निम्नवत् रखी गयी है।

80-100 केन्द्रो के मध्य - 2.5 लाख रूपया प्रतिवर्ष

50-80 केन्द्रों के मध्य - 2.0 लाख रूपया प्रतिवर्ष

25-50 केन्द्रों के मध्य 1.5 लाख रूपया प्रतिवर्ष

25- केन्द्र से कम - रूपया 100 प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष

-: ब्रिज कोर्सो /शिविरों का वित्तीय मानक :-

- ब्रिज कोर्सो का संचालन ग्रामीण क्षेत्र/नगर क्षेत्र के मुख्यालयों सें किया जायेगा। जिसमें बच्चों के रहने तथा खाने पीने एवं शिक्षण सामग्री की निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी। परन्तु किसी भी दशा में 3000रू0 प्रतिछात्र/छात्रा से अधिक कदापि नही होगी । इसके अतिरिक्त ब्रिज कोर्स संचालित करने के लिए एक केयर टेकर, दो अनुदेशक, एक रसोइया, एक चौकीदार की आवश्यकता होगी जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्प कालीन अवधि हेतु संविदा के अर्न्तगत व्यवस्था की जायेगी।

-: ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका :-

प्रस्तावित वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (ए0आई0ई0) के लिए ग्राम शिक्षा के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये जाते है।

1. 6 से 14 वर्ष के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उनको चिन्हित करना।
2. कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना।
3. अनुदेशक का चयन करना।
4. केन्द्रों का समय निर्धारित करना।
5. केन्द्रों की साज सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार के निर्धारित मूल्यों पर नियमानुसार क्रय कर केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदेशक उपलब्ध करना।
6. अनुदेशकों को प्रशिक्षणों परान्त ही केन्द्रों का दायित्व सौंपना।
7. अनुदेशकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्रो का प्रबन्धन उनको प्रतिदिन निरीक्षित करना।
8. केन्द्रो में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिए लगातार प्रोत्साहित करना।
9. नियमित रूप से अनुदेशको के मानदेय का भुगतान करना।

-: विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका :-

1. ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।

2. ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग कराना तथा उपलब्ध माइक्रोप्लानिंग का अध्ययन एवं समीक्षा करना तथा प्रस्ताव को तैयार करना।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व-

1. वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा हेतु संपूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम स्तर/ विकास खण्ड स्तर से तैयार करा कर जिलास्तर पर प्रतिमाह समीक्षा करना।
2. केन्द्र/ ब्रिज कोर्स / ग्रीष्मकालीन शिविर के प्रस्तावों को स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना।
3. कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
4. अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रसाशनिक अधिकारियों के साथ कन्वर्जेन्स कर कार्यक्रमों का संचालन कराना ।
5. कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कार्यशालाओं का आयोजन कराना।
6. स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराई गयी मदवार धनराशियों को विकास खण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनों को कार्यक्रमों के संचालनार्थ अग्रिम रूप में उपलब्ध कराना।

-: ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :-

-वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न माडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अर्न्तगत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा परदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी। जिसकी अर्न्तगत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र / प्रस्ताव का डेस्क टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं संदर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्ही करण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं

सेवी संगठनों के कार्यक्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/ वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समित गठित है उक्त समिति को ई0जी0एस0 / वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुकें है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकारी प्राप्त समिति द्वारा निर्णय लिये जायेंगें जिसका गठन उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद के क्रियान्वयन हेतु किया गया हैं।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुति स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ ए0आई0इ0 योजना के तहत् मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजूकेशन गारन्टी स्कीम वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवैक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते हैं उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजूकेशन गारंन्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों / संदर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपयुक्र्तानुसार रखी गयी हैं।

-: परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण :-

माइक्रोप्लानिंग के अर्न्तगत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर ''आउट आफ स्कूल'' बच्चों चिन्हित किया जाता है। '' अन्डर ऐज'' व ''ओवर ऐज'' बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयु वार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संसोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रतिवर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा इस कार्य हेतु प्रतिवर्ष रू0 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रोप्लानिंग के अर्न्तगत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के

बच्चों की संख्या के विवरण का उपयोग केन्द्रों के खोलने में किया जायेगा। आगामी वर्षो में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्राप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से संबन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिए संसोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

विद्यालय वापस चलो शिविर (Back to School Camp): विद्यालय वापस चलो शिविर का मुख्य उद्देश्य शाला त्यागी विशेषकर अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। यह शिविर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों हेतु संचालित किये जायेगें। यह शिविर प्राथमिक विद्यालयों में ही संचालित किये जायेगें। शिविरों में उपचारात्मक शिक्षा क माध्यम से सभी बच्चों जो शाला त्याग कर चुके है और इस कारण से शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ गये है शिक्षित करके उनके स्तर के अनुरूप औपचारिक विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। शिविर की अवधि सामान्यतः दस दिवस की होगी विशेष परिस्थितियों में एक माह तक बढ़ाई जा सकेगी। इन शिविरों में ऐसे बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा जो अभिप्रेरण के अभाव में विद्यालय जाने से वंचित है। शिविरों मे साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जायेगा जिनमें अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जायेगा। (भौतिक प्राविधान सारणी 12.3)

मकतब/मदरसा : जनपद में अल्प संख्यक समुदाय द्वारा संचालित मकतब/मदरसे जिनमें बच्चों को दीनी शिक्षा प्रदान की जाती है के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम क अन्तर्गत मकतब/मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना में आच्छादित किये जाने का प्राविधान है। ऐसे 39 मकतब/मदरसों को डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001–02 में संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2005–06 से इनका वित्त पोषण सर्वशिक्षा अभियान से किया जाना प्रस्तावित है। (सारणी 12.3)

–:अभिनव मॉडल्स 11–14 आयु वर्ग हेतु :–

11–14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिए जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहें हैं, उनके लिए नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव मॉडल्स विकसित किये जायेंगे । इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव मॉडल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रूपया 50,000/– का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम दो –तीन मॉडल्स विकसित किये जायेंगें। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

अध्याय – 7

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्र.सं	ब्लाक का नाम	ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी की 300 से अधिक है	ऐसी बस्तियों की संख्या जिनसे 1 किमी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध है।	ऐसी बस्तियों की संख्या जिनसे 1 से अधिक 1.5 किमी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध है।	ऐसी बस्तियों की संख्या जिनसे 1.5 किमी. से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध हैं	ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है।	ऐसी बस्तियों की सं0 जिनसे 1 किमी.से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध है।	ऐसी बस्तियों की सं0 जिनसे 1 किमी.से अधिक तथा 1.5 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध है	ऐसी बस्तियों की सख्या जिनसे 1.5 किमी. से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सुमेरपुर	71	67	0	4	22	7	13	2
2	असोहा	136	126	1	9	93	71	19	3
3	फतेहपुर–84	82	69	0	13	67	5	11	51
4	औरास	64	56	2	6	21	18	3	0
5	हसनगंज	187	124	34	29	40	18	12	10
6	पुरवा	128	111	3	14	16	0	16	0
7	सि0पुर कर्ण	150	139	5	6	58	44	13	1
8	सि0पुर सरोसी	127	119	0	8	20	9	0	11
9	हिलौली	138	112	10	16	66	22	33	11
10	बीघापुर	47	33	9	3	51	29	16	6
11	बांगरमऊ	168	125	29	14	79	57	21	1
12	बिछिया	128	109	0	19	49	37	12	0
13	गजमुरादाबाद	125	93	8	24	78	55	15	8
14	मियागंज	170	116	33	21	27	15	12	0
15	नवाबगंज	176	140	21	15	34	24	9	1
16	सफीपुर	103	95	5	3	23	20	1	2
17	नगरक्षेत्र	25 वार्ड	25	0	0	0	0	0	3
योग		2025	1661	160	204	744	431	206	110

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता (31.7.03 के अनुसार)

क्र.स.	ब्लाक का नाम	800 से अधिक आबादी की कुल बस्तियों की संख्या	ऐसी बस्तियों की संख्या जिनमें विद्यालय 3 किमी. से कम दूरी पर उपलब्ध है।	ऐसी बस्तियों की संख्या जिनसे 3 किमी. से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध हैं	800 से कम आबादी की कुल बस्तियों की संख्या	ऐसी बस्तियों की संख्या जिनमें विद्यालय 3 किमी. से कम दूरी पर उपलब्ध है।	ऐसी बस्तियों की संख्या जिनमें विद्यालय 3 किमी. से अधिक दूरी पर उपलब्ध है।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुमेरपुर	41	38	3	52	44	8
2	असोहा	42	53	4	177	177	—
3	फतेहपुर–84	65	38	22	84	48	36
4	औरास	52	45	7	33	13	20
5	हसनगंज	74	61	13	153	75	78
6	पुरवा	32	26	6	112	67	45
7	सि0पुर कर्ण	30	31	3	172	157	21
8	सि0पुर सरोसी	58	63	5	89	70	19
9	हिलौली	58	29	23	146	74	72
10	बीघापुर	74	64	10	24	7	17
11	बांगरमऊ	39	33	6	208	172	36
12	बिछिया	40	36	4	137	137	—
13	गंजमुरादाबाद	39	33	6	164	77	87
14	मियागंज	71	37	30	126	113	13
15	नवाबगंज	40	42	4	170	151	19
16	सफीपुर	64	58	6	62	72	10
17	नगरक्षेत्र	25	25	1	—	—	—
योग		854	702	153	1915	1434	481

अध्याय – 8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम :–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम विगत वर्ष 2000–2001 के संचालित की गई है। संचालन के समय जनपद में शालत्याग की दर 40.5 प्रतिशत थी जो कि वर्तमान समय में घटकर 10.71 प्रतिशत रह गयी है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ठहराव में वृद्धि तथा ड्राप आउट कम करने के लिए डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रयास किये गये।

1. 46 असेवित बस्तियों में जहाँ की जनसंख्या 300 पर अधिक है, एवं नजदीकी विद्यालय की दूरी 1.5 किमी0 से अधिक है में नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी।
2. 415 प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की अधिक संख्या को देखते हुये अतिरिक्त कक्षा कक्ष प्रदान किए गए।
3. शौचालय विहीन विद्यालयों में से 500 विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण किया गया।
4. 221 ध्वस्त/जर्जर विद्यालयों का पुनः निर्माण किया गया ।
5. सभी शिक्षकों की साधन माड्यूल के माध्यम से विषय वस्तु आधारित 8 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
6. ठहराव में वृद्धि के लिए समुदाय के सहयोग की प्राप्ति हेतु ग्राम शिक्षा समिति के साथ गांव के प्रबुद्ध वासियों का भी प्रशिक्षित किया गया।
7. बालिकाओं के ड्राप आउट रोकने के लिए माड्ल क्लस्टरों का चयन किया गया एवं बालिकाओं के प्रति लिंग भेद को सामप्त करने के लिए लिंग संवेदीकरण के कार्यक्रम किए गए। मीना फिल्म, ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों का सुदृढीकरण, बालमेला माता शिक्षक संघ (एम0टी0ए0)/ अभिभावक शिक्षक संघ (पी0टी0ए0), महिला प्रेरक समूह (डब्लू0एम0जी0) का गठन। ग्रीष्म कालीन कैम्प किया गया । गॉव –2 में प्रभातफेरी रैली आदि के माध्यम से बालिकाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को रोकने के सफल प्रयास किये गये।

8. ठहराव में वृद्धि के लिए ऐसी असेवित बस्तियाँ जहाँ पर जनसंख्या 300 से कम है तथा 30 बच्चे स्कूल जाने वाले हैं एवं विद्यालय की दूरी 1 किमी0 से अधिक है के बच्चों हेतु 38 विद्या केन्द्र स्थापित किये गये है।
9. विकलांग बच्चों में ठहराव वृद्धि हेतु ब्लाकों में अध्यापकों का प्रशिक्षण, एसेसमेन्ट कैम्पों का आयोजन विकलांगता के आधार पर उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक सामग्री प्रदान की गयी।
10. ठहराव वृद्धि हेतु डी0पी0 ई0पी0 के अन्तर्गत सभी बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया ।
11. समस्त प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की गयी।

परन्तु संसाधन सीमित होने के कारण डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्रयास क्षेत्र भी सीमित रहा इस कारण से सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समग्र क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए समग्र प्रयास किया जायेगा। इस प्रयास के अन्तर्गत प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक को भी समाहित करते हुये प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण एवं निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों के शतप्रतिशत नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर गांव एवं बस्ती स्तर पर विद्यालय स्तर पर निम्नवत् मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता का चिन्ही करण कराया गया।

अतिरिक्त कक्ष – (प्राथमिक)

वर्तमान में जनपद के प्राथमिक (परिषदीय) विद्यालयों में कुल नामांकित 341175 बच्चों हेतु कुल 4102 पठन पाठन कक्षा कक्ष उपलब्ध है जिनके अनुसार प्रति 83 बच्चों पर एक कक्ष तथा 1040 विद्यालयों में प्रति विद्यालय 2 कक्ष तथा 4 विद्यालयों में 1 कक्ष की उपलब्धता है जिससे पठन पाठन कार्य में गुणात्मक कार्य में सुधार करना कठिन प्रतीत होता है। कक्षा को व्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु प्रत्येक विद्यालय में तीन कक्ष के अनुसार उपलब्धता की आवश्यकता है। अतः 1068 नवीन अतिरिक्त कक्ष कक्षों का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित है। जिनका निर्माण वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 में प्रस्तावित है।

अतिरिक्त कक्ष (उच्च प्राथमिक) –

उच्चप्राथमिक विद्यालयों में प्रतिविद्यालय 05 कक्ष के मानक के विपरीत जनपद में कुल 338 उच्च प्राथमिक विद्यालयों 1113 कक्षा कक्ष उपलब्ध है। इस तरह से 644 कक्षों की कमी है। जिनका निर्माण वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 में प्रस्तावित किया गया है।

अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र :– (प्राथमिक)

वर्तमान में 5081 शिक्षकों के पद उपलब्ध है तथा १८०५ शिक्षामित्र स्वीकृति है परन्तु छात्र नामांकन 341175 होने के कारण छात्र शिक्षक अनुपात 50 है। जिसे मानक के अनुरूप 40 : 1 करने हेतु 690 अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी। जिसकी पूर्ति नियमित शिक्षकों से 345 की एवं 345 शिक्षा मित्रों से की जायेगी। साथ ही बढ़ती हुई छात्र संख्या के अनुसार प्रतिवर्ष कुल आवश्यक शिक्षकों में नियमित शिक्षक एवं शिक्षा मित्रों की संख्या बराबर होगी। इसी प्रकार परियोजना अवधि 2006–07 तक बढ़ते हुये छात्र नामांकन के अनुपात में अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र की आवश्यकता निम्नवत् होगी–

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्ष में शिक्षको की आवश्यकता

वर्ष	परिषदीय नामांकन	सृजित शिक्षक	शिक्षामित्र	कुल	40:1 से आवश्यकता	अतिरिक्त आवश्यकता	अतिरिक्त शिक्षक	अतिरिक्त शिक्षामित्र
2003-04	341175	5081	1805	6886	7576	690	345	
2004-05	347842	5426	2150	7576	7742	166	83	428
2005-06	354655	5509	2233	7742	7913	171	85	86
2006-07	361619	5594	2319	7913	8087	168	84	84

वर्षवार हैण्डपम्प एवं शौचालय स्थापना का लक्ष्य

सारणी 13.7

क्र.सं.	कार्य का विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	हैण्डपम्प					
	प्राथमिक	0	0	25	25	31
	उच्च प्राथमिक	0	20	12	12	0
2.	शौचालय					
	प्राथमिक	14	0	150	150	149
	उच्च प्राथमिक	0	29	85	86	64

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण :-

जनपद के समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित/जनजाति के बालक तथा सभी वर्ग की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत दी जा रही है। प्राथमिक विद्यालय के लाभार्थी वर्ग के बच्चों को वर्ष 2004–05 तक डी0पी0ई0पी0 से तत्पश्चात् सर्वशिक्षा अभियान से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालकों तथा सभी वर्ग की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्राविधान वर्ष 2002–03 से सर्वशिक्षा अभियान में निरन्तर किया गया है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु वर्षवार बच्चों की अनुमानित संख्या

क्र.सं०	वर्ष	प्राथमिक विद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. बालक एवं सभी वर्ग की बालिकाएं (प० + स०मा०)	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. बालक एवं सभी वर्ग की बालिकाएं (प० + स०मा०)
1-	2002-03	0 (0 + 0)	39421 (38461 + 960)
2-	2003-04	0 (0 + 0)	41217 (40197 + 1020)
3-	2004-05	0 (0 + 0)	46317 (45212 + 1105)
4-	2005-06	211245 (207484 + 3761)	49216 (48051 + 1165)
5-	2006-07	215470 (211358 + 4112)	52316 (51113 + 1203)

विद्यालय विकास अनुदान - जनपद में स्थापित प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु प्रतिवर्ष रु० 2000 की दर से विद्यालय विकास अनुदान की स्वीकृति निम्न सारणी अनुसार प्रस्तावित की गई है।

विद्यालय विकास अनुदान

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
परिषदीय	(प० + स०मा०)	(प० + स०मा०)	(प० + स०मा०)	(प० + स०मा०)
1. प्राथमिक	1717 (1701+16)	1717 (1701+16)	1717 (1701+16)	1717 (1701+16)
2. उच्च प्राथमिक	338 (330+08)	398 (390+08)	458 (450+08)	481 (473+08)
मान्यता प्राप्त विद्यालय	-	-	-	-

सन 2001 की जनगणना के आधार पर सम्बन्धित विस्तृत आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। **आंकड़ें प्राप्त होने** पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षों **में प्राथमिक** एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

बालिका शिक्षा

राष्ट्र के सर्वांगीण विकास एवं उन्नति के लिये सभी जन समुदाय का शिक्षित होना आवश्यक है। भारतीय संविधान ने इस तथ्य को स्वीकारते हुये कहा कि 6–14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के प्राविधान की व्यवस्था है। इस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान है। 1996 में आयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा इनके पश्चात् आर्मी की कार्य नीतियों के अन्तर्गत महिलाओं के स्तर में बदलाव लाने के लिये एवं महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने के लिये इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँच एवं धारण में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने की प्राथमिकता दी जायेगी एवं इसके विशेष सहायक सेवायें समयबद्ध लक्ष्य एवं सुचारू रूप से अनुश्रवण होगा। जनपद में महिलाओं की दशा अत्यंत सोचनीय है वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर लिंग अनुपात एक हजार पुरूषों पर मात्र 898 है। वर्ष 1999 में महिलाओं की साक्षरता की दर 18.9 थी जिसमें 2001 में डी0पी0ई0पी0 सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, उ0 साक्षरता अभियान आदि में, लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। लेकिन 2001 की जनगणना के आधार पर भी महिला निरक्षर है। अधिकांश महिला जनसंख्या बेरोजगार तथा घरेलू काम काज में ही लगी रहती है। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत चयनित मॉडल क्लस्टरों के दो विकास खण्डों हसनगंज एवं मियांगज के 10 गांवो में फोकस ग्रुप डिस्कशन कराया गया जिसकी प्रमुख निष्कर्ष निम्नवत् है।

फोकस ग्रुप डिस्कशन के साथ न्यून बालिका नामांकन के निम्न कारणों की पहचान की गयी -

1. परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति।
2. छोटे भाई बहनों की देखभाल एवं घरेलू कार्य।
3. विद्यालय का दूर होना तथा अनुपयुक्त विद्यालय समय सारणी।
4. महिला शिक्षिकाओं का अभाव।
5. शिक्षा के महत्व से अनभिज्ञ होना।

बालिकाओं का शालत्याग के निम्न कारण प्रकाश में आये -

1. स्कूल के खर्चों का व्यय उठाने में अभिभावकों का सक्षम होना।
2. धनोपार्जन के कार्यों में संलग्न रहना।
3. शिक्षकों का हतोत्साहित करने वाला व्यवहार।
4. छोटे भाई बहना की देखभाल एवं घरेलू कार्य में मदद करना।
5. बालिकाओं का शीघ्र विवाह होना।
6. अनुपयुक्त स्कूल समय सारणी होना।
7. विद्यालयी शिक्षा के महत्व से अनभिज्ञ होना।
8. माताओं का अशिक्षित होना।

मुस्लिम अभिभावकों का बलिकाओं की मजहबी तालीम को महत्व देने के कारण –

1. पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह बालिका शिक्षा के मुख्य अवरोध है। मुस्लिम समुदाय के अधिकांश अभिभावक अपनी बालिकाओं को उस विद्यालय में भेजना पसन्द नहीं करते हैं जहाँ पुरुष शिक्षक है।
2. मुस्लिम समुदाय का रूढ़िवादी होना तथा परिवार का आकार बड़ा होना।
3. आर्थिक रूप से कमजोर होना।

इसके अतिरिक्त जनपद में जनपदीय प्लानिंग टीम द्वारा विभिन्न स्तर पर सहभागी चर्चायें की गई जिसके आधार पर भी बालिका शिक्षा की कुछ और समस्यायें उभर कर आयीं जो निम्नवत् है।

क. बालिका शिक्षा के प्रति समुदाय का पूर्ण रूप से जागरूक न होना। यद्यपि डी.पी.ई.पी. के कार्यक्रमों से जनसमुदाय में जागरूकता आई है।

ख. ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होना।

ग. ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा शैक्षिक उत्तरदायित्वों का सम्यक रूप से निर्वहन न करना। यद्यपि ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण से शैक्षिक क्रियाकलापों में भागीदारी बढ़ी है लेकिन सम्यक रूप से उत्तरदायित्व नहीं निभा पाये।

घ. मुस्लिम समुदाय पर अशिक्षित एवं रूढ़िवादी मौलवी कट्टरपंथियों का वर्चस्व होना।

च. मकतब–मदरसों द्वारा केवल दीनी तालीम दिया जाना।

छ- प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों का कम होना।

ज- अपवंचित वर्ग के शिक्षकों का अभाव । प्रभावी पर्यवेक्षक एवं निरीक्षण का अभाव।

रणनीतियाँ और कार्यक्रमः-

-समस्यायें-

महिलाओं की समाज में भेदभाव पूर्ण स्थिति के कारण प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा में काफी भेदभाव किया जाता रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु जेण्डर सेन्सटाईजेशन कार्यशालायें मॉडल कलस्टर डेवलपमेन्ट एप्रोच के अन्तर्गत मीना अभियान मॉं-बेटी शिक्षक मेला, महिला संरक्षक महिला प्रेरक दल का गठन एवं प्रशिक्षण, माता शिक्षक संघ एवं अभिभावक शिक्षक संघ का गठन एवं प्रशिक्षण उन्हें क्रियाशील बनाना, ठहराव परिक्रमा बच्चों का तारांकन आदि विविध कार्यक्रमों के माध्यम से बालिका शिक्षा की ठहराव में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के माध्यम से भाई बहनों की देखभाल से विद्यालय न जा पाने वाले कारणों एवं उपस्थिति एवं ठहराव दर बढ़ी है। लेकिन बलिका शिक्षा की दशा में समाज में सदियों से व्याप्त भेदभाव के कारण अभी काफी कुछ किया जाना आवश्यक है। किये गये फोकस ग्रुपडिस्कशन से बालिका शिक्षा के सम्बन्ध में उनकी प्रमुख समस्याओं एवं उनसे सम्बन्धित रणनीतियाँ निम्नॉकिंत है।

क्रमसं0	समस्यायें	रणनीतियाँ एवं कार्यक्रम
1.	परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति-	1- बालिकाओं को निःशुल्क पाठय पुस्तक उपलब्ध
		2- स्वयंसेवी संस्थाओं सरकारी सहायता से सभी बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराना।
		3- समाज कल्याण विभाग व पिछड़ा वर्ग कल्याण, विभाग के सहयोग से अपवंचित वर्ग की सभी बालिकाओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना ।
2.	छोटे भाई-बहनों की देखभाल एवं घरेलू कार्य	1- परियोजना के अन्तर्गत विद्यालयों में शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन ।

		2-	आई0सी0डी0एस0 के सहयोग सें ऑगनवाड़ी केन्द्रों के पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना ।
		3-	सामाजिक जागरूकता उत्पन्न कर बालिकाओं पर पड़ने वाले कामकाज के बोझ को कम करना ।
3.	विद्यालय का दूर होना	1-	मानक के अनुसार असेवित बस्तियों में विद्यालयों की स्थापना करना ।
		2-	1 कि0मी0 दूर से अधिक दूर होने पर बालिका शिक्षा हेतु विद्या केन्द्र की स्थापना कराना ।
		3-	प्राथमिक स्तर पर वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा के अन्तर्गत ज्ञान केन्द्र व उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु ज्ञानशाला की स्थापना ।
		4-	समुदाय के सहयोग से इस्कार्ट की व्यवस्था ।
4.	अनुपयुक्त विद्यालय का समय	1-	विद्यालय के समय को बालिकाओं के अनुरूप निर्धारित करना ।
		2-	विद्याकेन्द्रों/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का समय बालिकाओं के सुविधानुसार कराना ।
		3-	विद्यालय समय सारणी में लचीलापन की व्यवस्था करना ।
5.	महिला शिक्षिकाओं का अभाव	1-	प्रत्येक विद्यालय में महिला शिक्षिका की व्यवस्था कराना ।
		2-	निम्न बालिका वाले विद्यालयों में महिला शिक्षिका की व्यवस्था कराना ।
		3-	समुदाय के सहयोग से महिला शिक्षिका की व्यवस्था कराना ।
6.	बलिका शिक्षा के प्रति उदासीनता	1-	बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु अभिभावकों शिक्षकों की गोष्ठी का आयोजन ।

		2- मीना, कैम्पेन का आयोजन
		3- रैली प्रदर्शनी, पदयात्रा एवं प्रभात फेरियों का आयोजन
		4- माँ-बेटी शिक्षक मेले का आयोजन
		5- कलाजत्था का प्रदर्शन
		6- दीवार लेखन पम्पलेट पोस्टर आदि के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना ।
		7- स्लाइड फिल्म, आडियो-वीडियो कैसेट्स का प्रदर्शन
7-	शिक्षा का महत्व से अनभिज्ञ होना ।	1- समुदाय के साथ बैठकें आयोजित करना, लोकगीतों नुक्कड़ नाटकों आदि के माध्यम से शिक्षा के महत्व को प्रसारित करना ।
		2- सभा, गोष्ठी, कलाजत्था, प्रदर्शन, फिल्म, स्लाइड प्रदर्शन पोस्टर प्रतियोगिता, दीवारलेखन, अखबार लेखन सफलतम कहानियो का प्रचार-प्रसार मीडिया के सहयोग से (प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया) प्रचार-प्रसार करना ।
8.	बालिकाओं की कम उपस्थिति	1- समुदाय में जागरूकता उत्पन्न कर माता पिता एवं भइयों के सहयोग से बालिकाओं के काम काज के बोझ को कम करना ।
		2- छोटे भाई बहनों हेतु शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना ।
		3- विद्यालय वातावरण को बालिका शिक्षा के लिए उत्साहवर्धक बनाना ।
		4- जेन्डर सेन्सिटाईजेशन के माध्यम से शिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ।
		5- बालिकाओं की समस्याओं का अध्ययन कर उनका निदान कराना ।

9.	बालिकाओं का धनोपार्जन के कार्यो में सलग्न रहना ।	1- विद्यालीय शिक्षा के साथ-साथ शिल्प व धनोपार्जन सम्बन्धी कार्यो की शिक्षा देना । 2- शिक्षा के साथ-साथ बालिकाओं हेतु किशोरी समूहों व स्वयं सहायता समूहों का गठन कराकर आर्थिक आधार सुदृढ़ कराना । 3- परिवार की आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ीकरण हेतु संचालित विभिन्न कल्याणीकारी योजनाओं से परिवारों को लाभान्वित कराना ।
10.	बालिका का शीघ्र विवाह होना ।	1- विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय को जागरूक करना तथा बाल विवाह पर रोक लगाना । 2- स्थानीय पंचायतों जातीय पंचायतों व धार्मिक नेताओं के साथ बैठकें कर बाल विवाह को हतोत्साहित करना । 3- कलाजत्था/नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह के दुष्प्रभावों का प्रदर्शन कर जन जागरण करना ।
11.	शिक्षकों का हतोत्साहित करने वाला व्यवहार	1- जेन्डर सेन्सटाईजेशन प्रशिक्षण आयोजित कर शिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना । 2- भेदभाव करने वाले शिक्षक का सामाजिक रूप से हतोत्साहित किया जाना । 3- भेदभाव न करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना ।
12.	पर्दा प्रथा	1- विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यमों से जागरूकता उत्पन्न करना । 2- विद्यालयों में शिक्षिकाओं एवं शिक्षामित्रें की व्यवस्था करना । 3- मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं की बैठकें कर उक्त समस्या के प्रति जागरूकता ।

		4- मकतब/मदरसों में महिला अनुदेशिकाओं की व्यवस्था कर बालिकाओं को मुख्यधारा से जोड़ना ।
13- मुस्लिम परिवार का रूढ़िवादी होना तथा परिवार का आकार बड़ा होना ।	1-	धार्मिक उलेमाओं की बैठकें आयोजित कराना ।
	2-	आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिये के लिये अल्पसंख्यक विभाग के सहयोग से छात्रवृत्ति वितरित करना ।
	3-	निःशुल्क पाठयपुस्तकों की व्यवस्था ।
	4-	समुदाय के सहयोग से यूनिफार्म आदि अन्य प्रोत्साहन देना ।
14- मुस्लिम समुदाय द्वारा दीनी तालीम को प्राथमिकता	1-	औपचारिक शिक्षा के महत्व से समुदाय को अवगत कराना ।
	2-	मकतब/मदरसों की बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिये औपचारिक पाठयक्रम पढ़ाने हेतु अनुदेशक की नियुक्ति करना ।
	3-	मुस्लिम समुदाय के स्थानीय शिक्षकों/शिक्षामित्रों को विद्यालय पदस्थापित करना ।
15. बालिकाओं की शैक्षिक सम्प्रति भाषा और गणित में अत्यन्त न्यून होना ।	1-	नियमित शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जाना ।
	2-	कक्षाकक्ष में बालिकाओं को भी शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों में समान अवसर उपलब्ध कराना ।
	3-	बालिकाओं में भी आत्मविश्वास जगाना एवं नेतृत्व की भावना विकसित करना ।
	4-	शिक्षण को रूचिकर बनाना तथा प्रभावी निरीक्षण अनुश्रवण द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता की सम्प्राप्ति सुनिश्चित कराना ।
16. सामाजिक निर्णयन में पर्याप्त भागीदारी ना होना ।	1-	ग्राम शिक्षा समितियों, माता शिक्षक संघों व अभिभावक शिक्षक संघों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना ।

		2- किशोरी संघों व महिला प्रेरक दलों का गठन कर प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्धन को भूमिका देना ।
		3- माता शिक्षक संघों व अन्य स्थानीय संस्थाओं की नियमित बैठकों का आयोजन करना तथा बैठक व निर्णयन में भागीदारी सुनिश्चित करना ।
		4- महिला सांसदो तथा मॉ-बेटी शिक्षक मेलों के आयोजन के द्वारा महिला समूहों को सशक्त करना तथा सामाजिक निर्णयन की क्षमता विकासित करना ।
17.	महिला साक्षरता दर अत्यन्त न्यून होना	1- महिलाओं/ बालिकाओं को शिक्षा के महत्व से अवगत कराना ।
		2- उत्तर साक्षरता/सतत् शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को साक्षर होने हेतु प्रेरित करना ।
18.	समाज में महिलाओ की निम्न स्थिति	1- जेन्डर सेन्सटाईजेशन कार्यशालाओं का आयोजन ।
		2- ग्राम पंचायतों तथा ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी हेतु अभिप्रेरण ।
		3- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण ।
		4- निर्वाचित मण्डल डी0डब्लू0सी0आर0ए0 समूह स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्य:-

1. निःशुल्क पाठय पुस्तकों का वितरण :- जनपद में 2000-2001 एवं वर्ष 2001-02 में जनपद में सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठयपुस्तक वितरित की गई । वर्ष 2001-2002 में माह जुलाई में बालिकाओं को निःशुल्क पाठय पुस्तकें वितरित की गई ।

2. ग्रीष्म कालीन शिविर :- जनपद में 200-2002 में 67 ग्रीष्म कालीन शिविरों का आयोजन किया गया। सिके माध्यम से विद्यालय छोड़ चुकीं लगभग 2367 बालिकाओं का पुनः विद्यालयों में प्रवेश कराया गया। ग्रीष्म कालीन शिविरों में 10 दिनों तक सरल एवं रूचिपूर्ण विधियों से शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर क्रिया कलापों के माध्यम सें स्कूल छोड़ चुकीं बालिकाओं की हिचक दूर की जाती है तथा पुनः विद्यालय आने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

3. कला जत्था :- बालिका शिक्षा को प्रोत्ससाहित करने हेतु जनपद में न्यून साक्षरता दर वाले 2 विकासखण्डों में कलाजत्था टीम के माध्यम से बेटी हो स्कूल में कलाजत्था कार्यक्रम के 52 प्रदर्शन अति पिछड़े क्षेत्रों में किये गये।

4. जेन्डर सेन्सटाईजेंशन :- जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण करने वाले शिक्षकों को तीन दिवसीय लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया जा रहा है। जिससे बालिकाओं के प्रति शिक्षकों में परम्परागत भेदभाव की प्रकृति में बदलाव आएगा।

5. एम0टी0ए0, पी0टी0ए0 का गठन एवं प्रशिक्षण :- जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालयों में एम0टी0ए0, पी0टी0ए0 का गठन कराया जा रहा है। एवं सभी को क्रियाशील बनाने के लिये सभी का प्रशिक्षण भी कराया जाना प्रस्तावित है। इस समूहों का सहयोग नामांकन, ठहराव, विद्यालय प्रबन्धन में लिया जायेगा।

6. स्कूल चलो अभियान :- पूरे जनपद में बालिका शिक्षा सम्वर्द्धन हेतु स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत दीवार लेखन, जनसम्पर्क, पम्पलेट, रैली लोकगीत प्रभातफेरी, मानवश्रंखला व गोष्ठियों के माध्यम से बालिकाओं के नामांकन वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किये गये।

7- माडल कलस्टर डेवलपमेन्ट एप्रोच :- मॉडल कलस्टर एप्रोच हेतु प्रथम चरण में जनपद में निम्न बालिका नामांकन वाले क्षेत्र में 05 न्यायपंचायतों का

चयन किया गया तथा दूसरे चरण में 10 न्याय पंचायतों का चयन किया गया। माडल कलस्टर के अन्तर्गत बालिका शिक्षा सम्वर्द्धन हेतु सघन रूप से चलाया गया इसके बहुत ही उत्साहजनक परिणाम सामने आये ।

क- वातावरण सृजन :-चयनित न्याय पंचायतों में प्रारम्भ में दीवार लेखन, सार्वजनिक स्थानों पर गोष्ठी मीटिंग का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया । इससें वातावरण का सृजन हुआ ।

ख- विशेष नामंकन अभियान :- वर्ष 2001 में मॉडल कलस्टर के सभी बच्चों को नामांकित करने हेतु विशेष स्कूल चलो अभियान चलाया तथा जागरूकता के विविध कार्यक्रमों के माध्यम से मॉडल-कलस्टर में शतप्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जा सका ।

ग- मीना कैम्पेन :- बालिका शिक्षा के प्रति समुदाय को जागरूक करने के लिये 36 ग्राम सभा स्तर पर मीना फिल्मों का प्रदर्शन किया गया तथा नव चयनित न्याय पंचायतों में प्रदर्शन किया जा रहा है। जिससे बालिका शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता उत्पन्न हुई।

घ- माँ-बेटी शिक्षक मेला :- प्रथम चरण चयनित सभी 15 न्याय पंचायतों में माँ-बेटी शिक्षक मेले का आयोजन प्रस्तावित है। जिससे बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है। तथा माताओं में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सोच में बदलाव आयेगा है।

च- न्याय पंचायत कोर टीम :- न्याय पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एम0टी0ए0, पी0टी0ए0 के प्रतिनिधियों व स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल कर सभी मांडल कलस्टर में न्याय पंचायत स्तरीय कोर टीम का गठन कराया गया है। जो न्याय पंचायत के विभिन्न ग्रामों व विद्यालयों में बालिका शिक्षा सम्बर्द्धन के विभिन्न क्रियाकलापों में सहयोग प्रदान करता है।

ज- महिला प्रेरक दल :- मॉडल कलस्टर के विद्यालयों में जहां विद्यालय उपलब्ध नहीं है। महिला प्रेरक दल का गठन कराया गया है। जो बालिकाओं के नामांकन ठहराव व बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने में सहयोग प्रदान करते है।

झ- ठहराव परिक्रमा :- बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अभिभावको तथा बच्चों को जागरूक करने के लिये अक्टूबर से फरवरी तक ठहराव परिक्रमा का आयोजन किया जाता है।

त- तारांकन :- नियमित विद्यालय आने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 80 प्रतिशत से भी ज्यादा उपस्थिति होने वाले बच्चों को हरा स्टार 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक के उपस्थित होने वाले बच्चों को पीला स्टार तथा 40 प्रतिशत से कम उपस्थित होन वाले बच्चों को लाल स्टार दिया जाता है। जिसका प्रत्येक कक्षा कक्ष में चार्ट पर प्रदर्शन व बच्चों को रिबन के स्टार दिये जातें हैं एवं ग्राम शिक्षा समिति तथा अभिभावक शिक्षक संघ/माता शिक्षक संघ की बैठकों में चर्चा की जाती है। तथा उपस्थिति होने वाले बच्चों के अभिभावक को सम्मानित किया जाता है बच्चों के तारांकन की तरह ही परिवारों का भी तारांकन किया जाता है। और जिस परिवार से कोई बच्चा विद्यालय नही आ रहा है, उसके मकान पर लाल स्टार बनाया जाता है।

थ- ग्राम शिक्षा समितियों व अन्य समूह का प्रशिक्षण - मॉडल कलस्टर के सभी ग्राम शिक्षा समितियों/अभिभावको शिक्षक संघों, महिला प्रेरक समूह व कोर टीम को क्रियाशील बनाने के लिये प्रशिक्षण कराया गया तथा नियमित मासिक बैठक आहूत की जाती है।

माडल कलस्टर में उपरोक्त क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप प्रथम चरण के सभी 15 न्याय पंचायतों में शत प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य की प्राप्ति, हो सकी 15 न्याय पंचायतो में अधिकांश विद्यालयो में ड्राप आउट नहीं है।

सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु प्रस्तावित कार्य योजना :-

1. वर्ष 2002-04 तक प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं के डी0पी0ई0 के अन्तर्गत एवं उसके उपरान्त सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क पाठय पुस्तकों का वितरण किया जायेगा ।

2. डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों को प्रथम चक्र का जेन्डर सेन्सटाईजेशन प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पुनः एक चक्र जेन्डर पर आधारित प्रशिक्षण तथा उच्च प्राथमिक, विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों को कम से कम 2 चक्र जेन्डर सेन्सटाईजेयान प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसके लिये 4 माडयूल भी विकसित किये जायेंगे ।

3. वर्ष 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन हेतु विशेष नामांकन अभियान तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2007 तक प्रतिवर्ष विशेष नामांकन अभियान चलाया जायेगा जिसमें बालिकाओं के नामांकन पर विशेष बल दिया जायेगा ।

4. डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत वर्तमान में एम0सी0डी0ए0 के अन्तर्गत 15 न्याय पंचायते चयनित है । तथा वर्ष 2003-04 तक 20 न्याय पंचायतें एम0सी0डी0ए0 से आच्छातित कर दी जायेगी । तथा अन्य पिछड़ी 20 न्याय पंचायतों को एम0सी0डी0ए0 के अन्तर्गत वर्ष 2004 तक आच्छादित कर लिया जायेगा जहां पर सघन रूप से विविध गतिविधियों का संचालित कर पूरे जनपद का ड्राप आउट फ्री कर दिया जायेगा ।

5. एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 का गठन एवं प्रशिक्षण :- डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सम्मिलित एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 को छोड़कर पूरे जनपद में प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 को प्रशिक्षित कर उन्हें सक्रिय बनाया जायेगा ।

6. महिला प्रेरक दलों का गठन व सशक्तीकरण :- माडल क्लस्टर में गठित महिला प्रेरक दलों के अतिरिक्त पूरे जनपद में प्रत्येक नयाय पंचायत में न्यून महिला नामांकन व साक्षरता वाले ग्रामों में व जहां विद्यालय स्थित

है, कम से कम 2 महिला प्रेरक दलों का गठन कराया जायेगा व नियमित बैठक कर उनका सशक्तीकरण कराया जायेगा।

7. न्याय पंचायत कार्य समिति :- डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत गठित 24 न्याय पंचायत कोर समूहों के अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत में न्याय पंचायत कोर समूहों का गठन व सशक्तीकरण किया जायेगा ।

8. माँ-बेटी शिक्षक संघ :-डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत माडल कलस्टर के अतिरिक्त भी जनपद के शेष सभी न्याय पंचायतों में माँ-बेटी शिक्षक संघ का गठन किया जायेगा । तथा इनका प्रशिक्षण कराकर सशक्तीकरण किया जायेगा।

9. महिला संसद :- मॉडल कलस्टर के अतिरिक्त जनपद के शेष न्याय पंचायतों में भी सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत महिला संसद का गठन व उनकी नियमित छः माह में सभा आहूत कराया जायेगा।

10. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण :- प्राथमिक शिक्षा में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हेतु जनपद में ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों में निर्वाचित समस्त महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कराया जायेगा ।

11. डी0आर0जी0/वी0आर0जी0 की ट्रेनिंग :- जनपद स्तर पर बालिका शिक्षा डी0आर0जी0 व ब्लाक स्तर पर बी0आर0जी0 कर गठन कर, उनका नियमित प्रशिक्षण व बैठकें आहूत की जायेगी।

12. महिला महोत्सव व सेमिनार/ वर्कशाप का आयोजन :- महिला दिवसों व अवसर पर जनपद स्तर, तहसील व ब्लाक स्तर पर महिला महोत्सव सेमिनार व वर्कशाप का आयोजन किया जायेगा ।

14- किशोरी दलों व संघो का गठन :- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 9वर्ष से अधिक वय की बलिकाओं के प्रोत्साहन हेतु किशोरी संघो व दलों का गठन व उनका सशक्तीकरण कराया जायेगा ।

15- ग्रीष्म कालीन शिविर :- प्रतिवर्ष प्रत्येक ब्लाक में अधिक बालिका शालात्याग वाले विद्यालयों में 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर प्रति ब्लाक चार शिविर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लगाये जायेंगे । यह शिविर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक दोनो स्तर के लिये लगाये जायेंगे ।

16. ब्रिज कोर्स कैम्प :- शाला त्याग कर चुकी ऐसी बालिकाओं हेतु जो अपनी हम उम्र छात्राओं से काफी पीछे छूट गयी हैं व सम्प्राप्ति स्तर न्यून है । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2 माह व छः माह के विशेष ब्रिज कोर्स कैम्प आयोजित कराये जायेंगे ।

17. बालिका शिक्षा में नवाचार :- बालिका शिक्षा के क्षेत्र में नवचार हेतु एन0जी0ओ0 की सहायता ली जायेगी तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया जायेगा ।

18. शिशु शिक्षा केन्द्र (ई0सी0सी0ई0)- आई सी0डी0एस0 के सहयोग से डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत 74 शिशु शिक्षा केन्द्र संचालित है'। तथा वर्ष 2001-02 में अतिरिक्त 176 केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं । जिनका डी0पी0ई0पी0 के उपरान्त वित्त पोषण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखकर संचालित किया जायेगा ।

19. आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण :- आई0सी0डी0एस0 द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के पूर्व प्राथमिक घटक को सुदृढ़ करने के लिये आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कराया जायेगा ।

उपरोक्त के अतिरिक्त बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु आवश्क अन्य कार्यो का समाधान आवश्यकतानुसार वार्षिक योजनाओं में सबसे बाद में किया जायेगा ।

20. कलाजत्था प्रदर्शन :- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये पूरे जनपद में कलाजत्था प्रदर्शन नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कराया जायेगा । जिससे समुदाय में जनचेतना उत्पन्न होगी ।

तारांकन :-

पूरे जनपद में ठहराव सम्वर्द्धन हेतु विद्यालयों में ताराकंन कराया जायेगा। जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति वाले बच्चों हरा निशान, 50 प्रतिशत तक की उपस्थिति वाले बच्चों कों पीला निशान व 40 प्रतिशत तक की उपस्थिति वाले बच्चों को लाल निशान दिया जायेगा। जिससे विद्यालय कम आने वाले बच्चे भी प्रोत्साहित होकर विद्यालय नियमित रूप से आयेंगें।

जिला समन्यवक, बालिका शिक्षा का प्रशिक्षण :-

जेण्डर कोआर्डिनेटर का प्रतिवर्ष दो बार प्रशिक्षण/पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा जिससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकेगी तथा वह समस्याओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुये और अधिक दक्षता पूर्वक जनपदीय टीम को नेतृत्व प्रदान कर सकेगा। तथा बालिका शिक्षा को उचित दशा एवं दिशा मिल सकेगा।

किशोरी शिक्षण केन्द्र :-

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं उनको समुचित शिक्षा मिले इसके लिये किशोरी केन्द्र की महती आवश्यकता है। कक्षा 7 से 8 तक ड्रापआउट बालिकायें जो 14 वर्ष तक की है। जो अधिक उम्र होने के कारण ग्रीष्मकालीन शिविर के उपरान्त घर बैठ जाती है ऐसी बालिकाओं को कक्षा 8 तक की शिक्षा हेतु शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किशोरी शिक्षण केन्द्र अत्यधिक प्रभावशाली होगें और बालिका शिक्षा सम्वर्द्धन में महत्व पूर्ण भूमिका निभायेगें।

सेवारत अध्यापकों के लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण :-

आज भी हमारे सेवारत शिक्षक अपनी परम्पराओं और दूषित मानसिकता को दूर नहीं कर पा रहे है क्योंकि वह आने जाने में बालिकाओं के साथ जाने अनजाने विद्यालय एवं कक्षा में भी भेदभाव करते रहते है शिक्षकों को इन भ्रान्तियों से दूर करने हेतु सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है। ताकि बालिकाओं में आत्महीनता, शालात्याग की भावना जन्म न ले सके। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में लिंग संवेदनशीलता सम्बंधी आवश्यक विषय वस्तु समाहित की गयी है।

वर्षवार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
संख्या	7795	8104	8303	13359	13436			

वर्ष जनपद उन्नाव में सर्वशिक्षा अभियान के योजना निर्माण के पहले जनपद में सामुदायिक गतिशीलता के विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये जनदप स्तर पर पंचायत विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, अर्थ एवं संख्याधिकारी व विकास के अधिकारियों के साथ जनपद स्तर पर संगोष्ठी की गयी जिसमें सर्वशिक्षा अभियान के नियोजन से सम्बंधित विविध सूचनायें व सुझाव प्राप्त किये गये।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की गतिविधियों, धारण एवं नामांकन में कार्यानुभवों को सुनिश्चित रूप से पहचानना मुख्य उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं द्वारा शालात्याग को कम करने व निम्न विकल्पों की शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

हाथ की बुनाई – सिलाई,कढ़ाई,कटिंग,फैशन डिजाइनिंग

चटाई बुनना, दरी बुनना – खड़िया बनाना

पौधशाला लगाना – रेशम कीट पालन

फाइल कवर बनाना – स्कूल के बस्ते बनाना

मिट्टी/प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने बनाना – खाद्य सामाग्री (चिप्स, पापाड़, बड़ी, अचार, जैम)

नृत्य–गायन, संगीत शिक्षा

बालिकाओं में ठहराव सुनिश्चित करने तथा त्याग रोकने में इस हस्तक्षेप से विशेष सफलता मिलेगी यह एक प्रोत्साहनपूर्ण कार्य है। कौशल विकास कार्यक्रम बालिकाओं को दी जाने वाली शिक्षा की उच्च प्राथमिक में सहायता करता है।

ट्रेनर :- कार्यानुभव शिक्षा के लिये अध्यापकों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें कार्यानुभव शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित कर विशेष शिक्षा प्रदान की जा सकती है। विशेष स्थानीय प्रशिक्षकों एवं स्थानीय गांव/क्षेत्र के पारम्परिक कार्यो में दक्ष महिला/पुरूषों को विद्यालय आमंत्रित कर विशिष्ट कार्यानुभव शिक्षा उपलब्ध करायी जा सकती है। इसके लिये उन्हें प्रोत्साहन पारिश्रमिक भी दिया जा सकता है। कार्यानुभव शिक्षक की पृथक से भी नियुक्ति की जा सकती है।

कार्यानुभव सामग्री :

बुनाई हेतु	हाथ की सिलाई एवं ऊन
कटिंग टेलरिंग	सिलाई मशीन, कैची, फीता, चाक, सुई–धागा आदि
कढ़ाई	क्रोसिया, फ्रेम, सुई–धागा
चटाई/दरी बुनना	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामाग्री तथा जूट, प्लास्टिक,
सन आदि	
खड़िया बनाना	प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल व सांचा आदि
फाइल कवर	कच्चा माल, भूसा आदि
स्कूल बस्ते बनाना	सिलाई मशीन, कपड़ा आदि
गायन वादन नृत्य	ढोलक, मजीरा, घुंघरू, तबला आदि

सामुदायिक गतिशीलता

जनपद उन्नाव में सर्वशिक्षा अभियान के योजना निर्माण के पहले जनपद में सामुदायिक गतिशीलता के विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये जनपद स्तर पर पंचायत विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, अर्थ एवं संख्याधिकारी व विकास विभाग के अधिकारियों के साथ जनपद स्तर पर संगोष्ठी की गयी जिसमें सर्वशिक्षा अभियान के नियोजन से सम्बंधित विविध सूचनायें व सुझाव प्राप्त किये गये।

सर्व शिक्षा अभियान मे निर्धारित लक्ष्यो की प्राप्ति हतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का** गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एव क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। **शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव परिक्रमा** सूक्ष्म नियाजन, शैक्षिक नियाजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास कार्यो** एव एस.एस.ए के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों का** सहयोग लिया जायेगा।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिये विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिससे समुदाय में गतिशीलता उत्पन्न हुई प्री प्लान एवं प्री विलेज के अन्तर्गत समुदाय में विभिन्न स्तरों पर किये गये फोकस ग्रुप डिसकशन में समुदाय की गतिशीलता के क्षेत्र में निम्न अवरोध चिन्हित किये गये ---

1. जन समुदाय में प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव ।
2. विद्यालय प्रबन्धन में समुदाय का रूचि न लेना ।
3. ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा शैक्षिक उत्तरदायित्वों का सम्यक निर्वहन न करना ।
4. पर्यवेक्षक स्टाफ (ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0) शिक्षकों व ग्राम शिक्षा समितियों में परस्पर समन्वय का अभाव ।
5. क्रियाशील स्वयंसेवी संगठनों का अभाव ।
6. ग्राम शिक्षा योजना व नियोजन प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय द्वारा प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन न करना ।
7. स्थानीय समूहों को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहन न देना ।
8. ग्राम स्तर व ब्लाक स्तर पर विभिन्न विभागों से परस्पर कन्वर्जेन्स का अभाव
9. ग्रामीणक्षेत्र में व्याप्त निरक्षरता ।
10. अपवंचित वर्ग के लोगों का समाज में निम्न स्तर ।
11. मुस्लिम वर्ग की निरक्षरता, रूढ़िवादिता व परम्परावादी होना

सोशल असिसमेन्ट स्टडीके परिणामस्वरूप निम्न अवरोध प्रकाश में आये :-

1. परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति ।
2. शिक्षा के महत्व से जन समुदाय का अनभिज्ञ होना ।
3. औपचारिक शिक्षा के प्रति मुस्लिम समुदाय का रूझान न होना ।
4. स्थानीय दबाव समूहों का प्रभावी न होना ।
5. समुदाय को विद्यालय की गतिविधियों की सम्यक जानकारी न होना ।

उक्त अवराधों/समस्याओं के निदान हेतु निम्न रणनीतियां प्रस्तावित है :-

1. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित कराकर उत्तरदायी बनाना ।
2. स्थानीय समूहों पी0टी0ए0/एम0टी0ए0/डब्लू0एम0जी0 व अन्य समूहों को सशक्त बन कर विद्यालय प्रबन्धन में भागीदार बनाना ।
3. अल्प संख्यक समुदाय के शिक्षित युवकों व महिलाओं का समूह गठित कर विद्यालीय गतिविधियों से जोड़ना ।
4. सूक्ष्म नियोजन व ग्राम शिक्षा योजना निर्माण में समुदाय की और सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना ।
5. समुदाय के अच्छे प्रयासों करने वालों समूहों को प्रोत्साहित करना ।
6. समुदाय के अच्छे प्रयासो का प्रचार प्रसार करना ।
7. निर्वाचित प्रतिनिधियों को शैक्षिक गतिविधियों से अवगत कराना व उन्हें भागीदार बनाना ।
8. पर्यवेक्षक स्टाफ शिक्षकों व ग्राम शिक्षा समितियों व अन्य विभागों के साथ कन्वर्जेन्स करना ।
9. अपवंचित वर्ग व मुस्लिम वर्ग के साथ बैठकें आयोजित करना ।
10. समुदाय के निर्णयों का सम्मान करना व उनकी मांग के आधार पर असेवित बस्तियों में विद्यालय स्थापना करना ।
11. महिला मंगल दल, युवक मंगल दल व अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं से समन्वय व सामुदायिक जारूकता में सहयोग लेना ।
12. रैली प्रदर्शन, पोस्टर, दीवार लेखन व प्रभातफेरियों आदि से वातावरण सृजन ।
13. बालमेला, माँ बेटी शिक्षक मेला, महिला संसद व गोष्ठी आदि के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना ।
14. कलाजत्था के प्रदर्शन व लोकगीत व आडियो/वीडियों कैसेट आदि के माध्यम से वातावरण सृजन ।
15. मीना फिल्म, स्लाइड व फिल्म का प्रदर्शन ।
16. ब्लाक स्तर व जनपद स्तर, पर कन्वर्जेन्स, वर्कशाप का आयोजन ।

विशेष वर्ग की शिक्षा (समेकित शिक्षा)

भारत की लगभग 5-10 प्रतिशत जनसंख्या विकलांगता से ग्रसित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य शिक्षा का सार्वजनिकरण है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन सभी जो कि 5-10 प्रतिशत बच्चों के जो दृष्टिसम्बन्धी एवं मानसिक अक्षमताओं से ग्रस्त है, विद्यालय में लाया जाना है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नही किया जा सकता है, जब तक विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता । बच्चों में से अधिकांश बच्चे (अक्षम बच्चे) लिये कोई विशेष शिक्षण विधि की आवश्यकता नहीं होती, और थोड़े से विशेष प्रयास के साथ इन अक्षम बच्चो को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जा सकता है।

पहले अभिभावक अक्षम/विकलांग बच्चों को बिन बुलाई आपदा अभिशाप समझते थे किन्तु समाज में समेकित शिक्षा के प्रयास से आज सोच एवं व्यवहार में परिर्वतन हो गया है आज विकलांग व्यक्तियों ने अधिकांश क्षेत्रों में सफलता पाई है और उन्होनें दूसरों को सहारा देना शुरू भी कर दिया है। अक्षम बच्चे मानसिक रूप से अधिक जागरूक व क्रियाशील होते हैं।

समेकित शिक्षा के विभिन्न प्रकार के माइल्ड एवं माडरेट (कम और मध्यम) श्रेणी विकलांग बच्चों को जो विद्यालय से बाहर है। प्राथमिक शिक्षा की मुख्यधारा में सामान्य बच्चों के साथ लाया जाना ताकि उनका मानसिक विकास सामान्य बच्चों की तरह हो सके इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि विकलांगता को लेकर सम्बोधन में व्यवहार में खेल में कक्षा में, मैदान में, एवं घर में कोई लज्जाजनक स्थिति उत्पन्न न हो।

अक्षम बच्चे सिर्फ सहानुभूति के पात्र ही नहीं हैं इन्हें उचित वातावरण और भावनात्मक समर्थन के साथ-साथ शिक्षण प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है।

ऐसे बच्चे जो अपनी शरीरिक अक्षमताओं के कारण शिक्षा से वंचित है।स्कूल की दुनिया से बहार है, उनमें निहित क्षमता का विकास कर उनमें आत्म विश्वास जगाने और आत्म निर्भर बनाने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। अतः समेकित शिक्षा अर्न्तगत ही ये प्रयास संभव है।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विभिन्न विकालंग बच्चों को शिक्षा प्रदान करायी जानी है मुख्यतः समेकित शिक्षा को अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को समान्य श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है ।

विकलांग/ अक्षमता के प्रकार :- सामान्य रूप से अध्यापकों को अध्यापन के समय जिन विशिष्ट अक्षमताओं वाले छात्र/छात्राओं को शिक्षा देने का कार्य करना पड़ता है । वे निम्नप्रकार की है मुख्य रूप से विकलांगत पांच प्रकार की होती है ।

1. दृष्टि विकलांगता
2. श्रवण एवं वाणी विकलांगता
3. अस्थि विकार विकलांगता
4. मानसिक मन्दता
5. अधिगम मन्दता

विकलांगता/अक्षमता के कारण :- बच्चों में कुछ विकलांगताये/अक्षमतायें जन्म से होती है तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है । कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती है ।

1.अधिगम समस्याओं से सम्बन्धी कारण :-

1. बौद्धिक क्रियाकलाप का निम्नस्तर तथा विकास की मन्दगति ।
2. दृष्टि विषयक समस्या (देखने में कठिनाई),
3. श्रवण तथा वाक समस्या (सुनने तथा बेालने में कठिनाई)
4. हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना अंगो की विकृति मांस पेशियों के तालमेल में समस्या होने से क्रियाकलाप में कठिनाई ।

घर परिवार सम्बन्धी :-

1. माता पिता के स्नेह में कमी ।
2. बच्चों को हीन भावना से देखना ।

3. सीखने के समान अवसर न मिलना ।

4. शिशु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना ।

5. सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना ।

विद्यालीय वातावरण से सम्बन्धित कारण :-

1. शिक्षक का बच्चे से लगाव होना ।

2. सीखने की गति धीमी होने पर बच्चे के प्रति गलत धारणा बना लेना ।

3. कक्षा में अनुकूल सामाजिक वातावरण का न होना ।

4. सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चे के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना ।

5. उत्तरदायित्व निर्वहन तथा सुविधाओं की भागीदारी जैसी भावनाओं के प्रति उदासीनता होना ।

6. बच्चों को विशिष्ट आवश्यकताओं तथा भौतिक सुविधाओं के सामंजस्य का अभाव होना ।

सामान्य विद्यालयों के अध्यापकों में इन बच्चो की शिक्षा सम्बन्धी विशिष्ट प्रकार की जरूरतों को समझाने की आवश्यकता जिससे उनकी आवश्यकता के अनुरूप अनुकूल शिक्षा को नियोजित कर सके इसका उत्तरदायित्व सबसे अधिक कक्षा के अध्यापकों पर आता है। क्यों कि उनका इन बच्चों से सीधा सम्पर्क होता है, तथा उनको बच्चे को ध्यान से देखने का अवसर मिलता है। इसीलिये प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को पांच दिवसीय समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अक्षमता के परिणाम :-

1. बच्चों में

2. परिवार में

3. समाज में

बच्चों में

1. आत्म निर्भरता की कमी
2. चलने में परेशानी
3. समाज में उपेक्षित

परिवार में :- 1. अधिक ध्यान देने की आवश्यकता।

2. आर्थिक बोझ अधिक ।

समाज में :- 1. ध्यान देने की आवश्यकता

2. उत्पादन में कमी

3. समाज के एकीकरण में कमी ।

अक्षम बच्चों के सम्बन्ध में भ्रान्तियां हैं बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए तकनीक की आवश्यता होती है। जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों के लिये विशेष तकनीकी की आवश्यकता नही होती है। केवल अध्यापकों को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। विशेष प्रकार की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिये होती है जिनका रोग असाध्य या गम्भीर रूप धारण कर चुका हो।

1. संवेदीकरण :-

अक्षम बच्चों के लिये निम्न का संवेदीकरण आवश्यक होता है।

1. समुदाय का संवेदीकरण ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाना ।
2. परिवार एवं भाई बहनों का संवेदीकरण तथा मार्ग निर्देशन (मार्गदर्शन)
3. अध्यापकों का संवेदीकरण ।

सवेदीकरण का सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है अक्षम बच्चों के लिये सहानुभूति तो सभी दिखा देतें हैं इन्हें सहानुभूति की नहीं सहायता की आवश्यकता होती है। उनमें निहित उनकी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है।

2- उपकरण एवं उपस्कर :-

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात कराने के लिये बच्चों का डाक्टरों की टीम जिसमें एक आर्थोपेडिक, एक ई0एन0टी0 डाक्टर एवं आई स्पेशलिस्ट हो, के द्वारा मेडिकल असिसमेन्ट कराया जाता है। फिर आवश्कतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से करायी जाती है इस के लिये निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जाता है।

1. राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून।
2. अलीयावर जंग राष्ट्रीय श्रवण संस्थान बान्द्रा-बम्बई।
3. एलिम्को जी0टी0रोड, कानपुर 208016 ।
4. अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, कर्करडूमा विकास मार्ग, दिल्ली ।
5. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मुख्यालय द्वारा स्थापित कम्पोजिट फिटमेन्ट सेन्टर ।
6. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मनोविकास नगर सिकन्दराबाद ।
7. नेशनल एशोसियेशन फार दी ब्लाइण्ड फार दी ब्लाइण्ड एजूकेशन डिपार्टमेन्ट कालेज, ग्रीन एल0पी0बाला काम्पलेक्स बन्बई ।
8. मंगलम ए 445 इन्दिरा नगर, लखनऊ ।
9. यू0पी0 विकलांग केन्द्र 13, लूकर गंज, इलाहाबाद ।

3- अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण :-

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का केन्द्र बिन्दु विशेष रूप से लिया गया है। जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया गया है। समेकित शिक्षा के लिये प्राथमिक अध्यापकों को 05 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए चिन्हित दो विकास खण्डों में 4-4 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया गया है। और इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय एडवांस स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन रूहेल खण्ड यूनिवर्सिटी बरेली एवं उत्तरप्रदेश विकलांग केन्द्र

रूरल रिसर्च सोसाईटी 13 लूकरगंज इलाहाबाद में आयोजित किया जा चुका है। वर्तमान में चयनित ब्लाकों में शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। यह प्रशिक्षण रामसत अध्यापकों हेतु प्रस्तावित है।

4. शिक्षकों के लिए सामाग्री का विकास :-

शिक्षको हेतु हस्तपुस्तिका का विकास किया गया तथा पांच विकलांगाओं, दृष्टि, श्रव्य, अधिगम, अस्थि तथा मानसिक विकलांगता पर फोल्डर्स तैयार किये गये हैं जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए 'आप क्या कर सकते हैं' नामक फोल्डर्स तैयार किये गयें हैं । विकलांग बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिये कक्षा-3 की पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तकों में दोस्ती नामक पाठ सम्मिलित किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण माडयूल में विकलांगता के विषय में भी शामिल किया गया है।

शिक्षक के प्रशिक्षण के लिये विकसित प्रशिक्षण माडयूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश होता है :-

1. विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन ।
2. विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना ।
3. इन बच्चों के सभी समूहों के लिये शिक्षण रणनीति को विकसित करना।
4. कक्षा कक्ष प्रबन्धन और मूल्यांकन ।
5. इन बच्चों के अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्ग दर्शन देना।
6. विकलांग बच्चों का आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना।

स्वयं सेवी संस्थाओ की भागीदारी :-

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी ली जाती है। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये कार्य कर रही हो और निम्न पात्रतायें रखती हों।

1. संस्था/सोयायटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो ।
2. संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञों की उपलब्धता हो ।
3. विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो ।
4. संस्था विकालंग जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो ।

समेकित शिक्षा की आवश्यकता तथा इसके उद्देश्य :-

समेकित शिक्षा कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों के लिए बहुत जरूरी है । समेकित शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को मुख्य धारा में लाना, इन बच्चों में आत्म विश्वास एवं आत्म सम्मान की भावना का विकास करना है ।

1. कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों के प्राथमिक विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना ।
2. 6-11 वय वर्ग बच्चों को सामान्य बच्चेां की ही तरह सामान्य अवसर प्रदान करना ।
3. स्कूल में ऐसा वातावरण बनाना जिससे कि इन बच्चों में आत्म विश्वास एवं सामाजीकरण की भावना का विकास हो ।
4. समुदाय एवं अभिभावकों का संवेदीकरण/निर्देशन एवं उनका सहयोग प्राप्त करना ।
5. कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना ।
6. जन समुदाय को जागृत करना ।
7. स्थानीय विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा एवं स्वावलम्बन हेतु सामूहिक उत्तरदायित्व हेतु बोध का प्रयास करना ।
8. प्रत्येक विकलांग बच्चे को अनिवार्यतः प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना ।
9. मास्टर ट्रेनर की पहचान एवं उन्हें प्रशिक्षण दिलाना ।
10. प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का पॉच दिवसीय प्रशिक्षण कराना ।

11. प्रत्येक विद्यालय में विकलांग बच्चे का आई0ई0पी0 (इन्डिविजुऐलाइज्ड एजूकेशनल प्लान) तैयार कराना ।

12. रिसोर्स टीचर/मास्टर ट्रेनर्स द्वारा नियमित विद्यालयों का भ्रमण एवं आवश्यक शैक्षिक सपोर्ट दिलाना ।

13. समाज द्वारा अन्य सामान्य लोगों की भाँति इन अक्षमताग्रस्त बच्चों को स्वीकृति दिलाना और उन्हें शिक्षा व रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना ।

14. स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध विकसित कराना जिससे सामान्य बच्चों का अक्षमताग्रस्त बच्चों के प्रति भेदभाव मूलक दृष्टिकोण बदलकर अनुकूल तथा सकारात्मक बनाया जा सके।

15. जीवन के रहन सहन के स्तर को उन्नत करने के लिये इन बच्चों के नागरिक अधिकार के उपयोग हेतु आवश्यक सामर्थ्य का विकास सुनिश्चित करना।

16. उन्हें स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना।

विशेष शैक्षिक प्राविधान :-

विकलांग व अक्षमताग्रस्त बच्चों को कई प्रकार के शैक्षिक प्रावधान उपलब्ध कराये गये हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

1. समेकित शिक्षा विन्यास (क्षतिपूरक सहायक उपकरण)

2. समेकित शिक्षा की व्यवस्था (पाठयक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन)

   बच्चों की विशष आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु को सामान्य अध्यापक विशेष अध्यापक के परामर्श से तैयार कर सकते है।

3. समेकित शिक्षा भवन (विशेष प्रकार के विद्यालय)

   आधार भूत अकादमी कौशलों के विकास के बाद इनमें से अधिकतर बच्चों को सामान्य विद्यालय में पढ़ाया जा सकता है।

एकीकृत शिक्षा को सहज बनाने वाले कारक :-

1. सामान्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की पहचान एकदम प्रारम्भ में करना उपयुक्त है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा की प्रस्तावित कार्ययोजना निम्नवत् है:-

1. मेडिकल असिसमेन्ट (जनपद के सभी अक्षमताग्रस्त बच्चों का)
2. सहायक उपकरण/उपस्कर वितरण शिविर का आयोजन ।
3. मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग प्रति ब्लाक दो प्रतिभागी ।
4. फाउन्डेशन कोर्स प्रति ब्लाक 25 प्रतिभागी ।
5. प्रा0स्कूल के सभी अध्यापकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण ।
6. साहित्य छपाई पूरे जनपद में ।
7. एन0जी0ओ0 का सहयोग ।
8. विशेष शिविर 3 दिवसीय, प्रति ब्लाक ।
9. वोकेशनल ट्रेनिंग पूर्ण जनपद में ।
10. वातावरण सृजन कार्यशाला, ब्लाक स्तर/न्याय पंचायत स्तर ।
11. अभिभावक गोष्ठी न्यायपंचायत स्तर पर
12. खेल कूद प्रतियोगिता, आर्ट प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, जनपद/ब्लाक/न्यायपंचायत स्तर ।
13. जनजागरण रैली न्यायपंचायत स्तर पर
14. समेकित भवन ब्लाक स्तर पर, विशेष विद्यालय
15. अभिभावक शिक्षक, बाल विकलांग मेला न्यायपंचायत स्तर पर
16. समस्त विद्यालय में रैम्पस की व्यवस्था ।
17. स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष जनपद के सभी प्राथमिक/जूनियर के बच्चों का, रजिस्टर प्रतिविद्यालय 4 ।
18. ठहराव हेतु 5 दिवसीय शिविर ।
19. प्रतिवर्ष विकलांग दिवस समारोह का आयोजन न्यायपंचायत स्तर पर ।
20. जिला स्तर पर पुर्नवास केन्द्र की स्थापना ।
21. ग्राम शिक्षा समिति का 3 दिवसीय समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण ।

2. इन बच्चों को निरन्तर उपचारात्मक सेवायें उपलब्ध कराना साथ ही उपकरणों के उपयोग सुझाना।
3. बच्चों में रचनात्मक विश्वास जागृत करना तथा उन्हें जीवन से आगे बढ़ने के लिये मानसिक रूप से तैयार करना।
4. संसाधन (विशेष) अध्यापक की सहायता से अतिरिक्त सामग्री तैयार करना।
5. समेकित शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिये पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु में परिवर्तन कर पहले से ही शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना।
6. विद्यालय की प्रत्येक प्रकार की गतिविधियों में प्रत्येक विद्यार्थी की भागीदारी सुनिश्चित करना जिससे बौद्धिक विकास के लिये सबको समान अवसर मिल सके।

इस शिक्षा को सफल प्रभावी तथा अर्थपूर्ण बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक का स्नेहपूर्ण तथा सकारात्मक व्यवहार है। इसके अतिरिक्त शिक्षण सम्बन्धी परिवर्तन या सुधार की अन्तर्दृष्टि भी उपेक्षित है जिससे कि इन बच्चों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण अधिगम की व्यवस्था हो सके जिससे कि इन्हें भी समाज का अंग बनाया जा सके।

जनपद में समेकित शिक्षा में किये गये कार्य :-

जनपद में लगभग विकलांग बच्चे है, सबसे अधिक संख्या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे ऐसे अक्षम है जिसके लिये कोई विशेष शिक्षण विधा की आवश्यकता नहीं होती और थोड़े से विशेष प्रयास के साथ इन बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा की मुख्य धारा से लाया जा सकता है।

जनपद में समेकित शिक्षा कार्यक्रम दो चयनित विकास खण्डों में नवाबगंज और हसनगंज में चलाया जा रहा है। जिसमे कि निम्नलिखित कार्यक्रम कराये गये है। जनपद में विकलांग बच्चों की संख्या निम्नवत् है –

जनपद उन्नाव में विकलांगता का परिदृश्य

दृष्टि		श्रवण		अस्थि		मानसिक		अधिगम		कुलयोग		
बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
182	71	129	103	933	524	333	307	617	519	2194	1524	3718

2. इन बच्चों को निरन्तर उपचारात्मक सेवायें उपलब्ध कराना साथ ही उपकरणों के उपयोग सुझाना।
3. बच्चों में रचनात्मक विश्वास जागृत करना तथा उन्हें जीवन से आगे बढ़ने के लिये मानसिक रूप से तैयार करना।
4. संसाधन (विशेष) अध्यापक की सहायता से अतिरिक्त सामग्री तैयार करना।
5. समेकित शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिये पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु में परिवर्तन कर पहले से ही शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना।
6. विद्यालय की प्रत्येक प्रकार की गतिविधियों में प्रत्येक विद्यार्थी की भागीदारी सुनिश्चित करना जिससे बौद्धिक विकास के लिये सबको समान अवसर मिल सके।

इस शिक्षा को सफल प्रभावी तथा अर्थपूर्ण बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक का स्नेहपूर्ण तथा सकारात्मक व्यवहार है। इसके अतिरिक्त शिक्षण सम्बन्धी परिवर्तन या सुधार की अन्तर्दृष्टि भी उपेक्षित है जिससे कि इन बच्चों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण अधिगम की व्यवस्था हो सके जिससे कि इन्हें भी समाज का अंग बनाया जा सके।

जनपद में समेकित शिक्षा में किये गये कार्य :-

जनपद में लगभग विकलांग बच्चे है, सबसे अधिक संख्या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे ऐसे अक्षम है जिसके लिये कोई विशेष शिक्षण विधा की आवश्यकता नहीं होती और थोड़े से विशेष प्रयास के साथ इन बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा की मुख्य धारा से लाया जा सकता है।

जनपद में समेकित शिक्षा कार्यक्रम दो चयनित विकास खण्डों में नवाबगंज और हसनगंज में चलाया जा रहा है। जिसमे कि निम्नलिखित कार्यक्रम कराये गये है। जनपद में विकलांग बच्चों की संख्या निम्नवत् है –

जनपद उन्नाव में विकलांगता का परिदृश्य

दृष्टि		श्रवण		आरेथ		मानसिक		अधिगम		कुलयोग		
बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
182	71	129	103	933	524	333	307	617	519	2194	1524	3718

1. मेडिकल असेस्मेन्ट :–

जनपद में चार विकास खण्डों में 6 से 14 वर्ष के विकलांग बच्चों का मेडिकल शिविर तीन न्यायपंचायतों में लगाये गये है। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा संचालित डाक्टर की टीम जिसमें अस्थि विशेषज्ञ, नाक, कान, गला विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ तथा सी०एम०ओ०/डिप्टी सी०एम०ओ० जाते है। परिक्षणोंपरान्त आवश्यक उपकरण क्या दिये जायें उसकी सूची बनाकर दी जाती है कि किस बच्चे को क्या सहायक उपकरण दिया जा सकेगा साथ ही विकलांगता प्रमाणपत्र भी दिये जाते है।

विकासखण्ड हसनगंज में मेडिकल असिसमेन्ट किये गये बच्चों की आख्या निम्नवत् है।

दृष्टि		श्रवण		अस्थि		मानसिक		कुलयोग		
बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
0	1	4	3	80	57	2	1	86	62	148

विकासखण्ड नवाबगंज में मेडिकल असिसमेन्ट किये गये बच्चों की आख्या निम्नवत् है।

दृष्टि		श्रवण		अस्थि		मानसिक		कुलयोग		
बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
2	3	12	4	41	35	1	1	56	43	99

उपरोक्त एसेसमेन्ट के आधार पर आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है। अब तक एक बच्चे को बैसाखी तथा 6 बच्चों को ट्राइसाइकिल प्रदान की गयी है।

2. **वातावरण सृजन कार्यशाला :-**

चार विकासखण्डों में एक दिवसीय ब्लाक स्तर पर वातावरण सृजन, जनजागरण कार्यशाला की गयी जिसमें अभिभावक (अक्ष्म बच्चों के) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य तथा अध्यापकों, बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० समन्वयकों में प्रतिभाग किया इसमें अभिभावकों का मार्गदर्शन किया गया तथा समाज, शिक्षक, समुदाय, घर एवं परिवार में इन बच्चों के साथ अधिक से अधिक किस प्रकार से सहयोग किया जा सकता है आदि पर विशेष चर्चा की गयी कार्यशाला की अवधि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक थी।

3. **प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण :-**

दोनों विकास खण्डों में समस्त प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है। जिसमें कि ७४ अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है और प्रशिक्षण जारी है। यह प्रशिक्षण पांच दिवसीय है।

4. **फाउन्डेशन कोर्स, मास्टर ट्रेनर, ब्रिजकोर्स :-**

जनपद के दो विकास खण्डों से १३ शिक्षक प्रशिक्षकों की टीम तैयार की जा चुकी है।

5. **स्वास्थ्य परीक्षण :-**

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनपद में सभी प्राथमिक विद्यालयों के समस्त बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण आरम्भ हो गया है। इस वर्ष कार्ड के स्थान पर रजिस्टर में कालम बनाकर प्रविष्टियाँ भरी जा रहीं है।

6. **अभिभावक गोष्ठियाँ :-**

चार विकास खण्डों के गांव में जाकर विकलांग बच्चों के अभिभावकों की गोष्ठियां आयोजित की जाती है। समेकित शिक्षा की जानकारी दी जाती है। जन समुदाय व अभिभावकों को मार्ग दर्शन के बिन्दुओं पर चर्चा की जाती है। जनजागरण हेतु जन समुदाय को ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों द्वारा भी प्रेरित किया जाता है।

जनपद में डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत अभी यह कार्यक्रम केवल दो विकास खण्डों में ही चलाया जा रहा है। जबकि 6 से 14 वर्ष के विकलांग बच्चे पूरे जनपद में है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समाज के सामान्य एवं अक्षमता ग्रस्त बच्चों को भी समेंकित शिक्षा द्वारा मुख्य धारा में लाना अतिआवश्यक है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा में अक्षमता ग्रस्त बच्चों के लिये विशेष कार्य योजना को बढ़ावा दिया जायेगा जो कि डी०पी०ई०पी० के अल्पसमय में पूर्ण नहीं की जा पा रही है। समेकित शिक्षा पूर्ण जनपद में कार्यान्वयन सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत चलाया जा सकेगा तभी सभी विकलांग बच्चों का साक्षर किया जाना सम्भव हो पायेगा। समेकित शिक्षा के बिना अक्षमता ग्रस्त बच्चे समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर सकते इसलिये सरकार व स्वयं सेवी संस्थायें इन अक्षमता ग्रस्त बच्चों के सर्वांगीर्ण विकास हेतु समेकित शिक्षा की नयी विचार धारा को लागू कर रहे है। और इसके परिणाम सामाज में दिन प्रतिदिन अच्छे आ रहे है। क्योंकि जिस राष्ट्र के बच्चे पूर्ण शिक्षित नहीं होते है समुदाय जागृत नहीं होता है। वहां राष्ट्रीयता की भावना कमजोर हो जाती है। और यह बच्चें जो कि अभी काफी संख्या में विद्यालय से बाहर है तथा शिक्षा से वंचित है। उनमें निहित क्षमता का विकास कर उनके अभिभावकों का रूढ़िवादिता का अन्त कर जनसमुदाय समेकित शिक्षा के द्वारा ही पहल की जा सकती है। क्योंकि वे सुविधा सम्पन्न नहीं है। और उनकी परिस्थितियां भी आसान नहीं है। इसलिये समेकित शिक्षा के द्वारा समाज में अक्षमता ग्रस्त बच्चों को अधिक से अधिक विद्यालय में समायोजित कर उन्हें विकास के पथ पर आगे ले जाना हम सब की जिम्मेदारी है।

अक्षमताग्रस्त बच्चों का संर्वागीर्ण विकास हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा में उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार सभी अक्षमता ग्रस्त बच्चों को शिक्षित किया जायेगा। तथा जनसमुदाय को भी जागृत किया जा सकेगा। इससे उनका पूर्ण विकास तो होगा ही साथ ही वे समाज मे पूर्ण विश्वास व आत्मसम्मान में आत्म निर्भर बन सकेगें। यह तभी संभव है जबकि सर्वशिक्षा अभियान में समेकित शिक्षा द्वारा इन सभी कार्यक्रमों को अवसर प्रदान किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कम्प्यूटर शिक्षा

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा में कम्प्यूटर का प्रयोग किये जाने से सार्थक परिणाम प्राप्त होने की सम्भावना हैं। कंम्प्यूटर शिक्षा से जहां एक ओर बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को बच्चों के सम्मुख विषय सामाग्री के प्रस्तुतिकरण में सुविधा होगी। शिक्षकों तथा बच्चों दोनों को नवीनतम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिल सकेगें। कम्प्यूटर शिक्षा को उपयोगी एवं रोचक बनाने के लिये परियोजना के अन्तर्गत जनपद में कुछ चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम पांच वर्षो में दस विद्यालय प्रतिवर्ष के अनुसार कुल 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा का प्राविधान किया जायेगा। इस हेतु प्रति विद्यालय एक मुस्त 60 हजार रूपये व्यय प्राविधान किया जा रहा है।

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कम्प्यूटर शिक्षा हेतु उच्च प्रा०वि० की संख्या	0	5	5	5	5

अध्याय 9

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु कार्य योजना

पतित पावनी गंगा एवं सई नदियों के मध्य लखनऊ–कानपुर राजमार्ग पर स्थित जनपद उन्नाव प्राचीन काल से ही इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। यह जनपद ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक एवं पराक्रम की दृष्टि से सर्वथा सम्पन्न रहा है। जनश्रुति के अनुसार पृथ्वी का केन्द्र बिन्दु जनपद की सीमा से लगा हुआ ब्रह्मावर्त नामक पवित्र तीर्थ स्थल है। त्रेता युग में आदि कवि महर्षि बाल्मीकि की तपोस्थली ब्रह्मावर्त से लेकर जनपद उन्नाव के चक, लव, कुशी (चकलवंशी) तक विस्तीर्ण थी। इस स्थली के पश्चिम किनारे पर गंगा की पवित्र धारा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यहीं पर परित्यक्ता माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहीं थीं। इसी तपोस्थली में लवकुश एवं श्री राम की सेना के मध्य भयानक युद्ध हुआ था, यहीं पर जानकी कुण्ड नाम का कूप है जिसमें माता सीता जी भूमिगत हुयी थीं। वहां पर एक विशाल वट वृक्ष एवं मन्दिर आज भी स्थित है। उन्नाव जनपद का नामकरण महाजारा उनवन्त राय के नाम पर हुआ है। उन्नाव नगर महाराज उन्वन्त राय की राजधानी थी, इसका पूर्व नाम उन्वन्त नगर था कालान्तर में इसका नाम उन्नाव पड़ गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं उसके क्रियान्वयन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। इसी तारतम्य में जनपद उन्नाव में 1990 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थाना की गयी। इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

1. शिक्षक एवं शिक्षा के स्तर के गुणात्मक सुधार एवं अपेक्षित उन्नयन
2. प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सम्वर्द्धन

3. विद्यालयों की प्रभावकारिता में वृद्धि , शैक्षिक नियोजन प्रबन्धन, पर्यवेक्षण तथा विद्यालय विकास के कार्यक्रमों को मार्गदर्शन प्रदान करना।
4. छात्र छात्राओं की शैक्षिक सम्प्राप्तियों को श्रेष्ठ स्तरीय बनाने हेतु विद्यालयों के कार्यकलापों का आयोजन।
5. संचालन एवं अधिगम आधारित बालकेन्द्रित शिक्षण प्रक्रिया के विद्यालयों में लागू किया जाना।
6. विद्यालयों के वर्तमान स्तर तथा वातावरण का अध्ययन करने के पश्चात प्रत्येक विद्यालय में उपर्युक्त कार्यपद्धति अपनाये जाने हेतु विषयगत एवं प्रक्रियामूलक कार्यक्रम बनाने में विद्यालयों को मार्गदर्शन देना।
7. शिक्षकों एवं अन्य सम्बन्धित अभिकर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
8. शैक्षिक शोध अध्ययन आदि की व्यवस्था करना।
9. डायट के नेतृत्व में 6–14 वर्ष के बालक बालिकाओं को सफलता पूर्वक शिक्षा प्रदान करना।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में डायट उन्नाव अपनी भूमिका के निर्वहन हेतु निरन्तर अग्रसर है।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में अग्रसर कर की वित्तीय सहायता से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया गया। जनपद उन्नाव में यह कार्यक्रम डी.पी.ई.पी. III के अन्तर्गत वर्ष 1999–2000 से संचालित है। प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए, अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए डायट उन्नाव को यह दायित्व विभाग द्वारा सौंपा गया। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान योजना वृहद तरीके से कार्य कर रहा है।

डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत डायट के निर्देशन में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुए हैं जो अभिभावक बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते थे वे अब भेजने लगे हैं। जो बालिकाएं घरेलू कार्यों में लगी रहती थीं बालकों की अपेक्षा कम सुविधा दी जाती थी अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अभिभावक बालिकाओं के लिए भी बालकों के साथ–साथ

सामान्य शिक्षा व्यवस्था में लगा हुआ है। बालक, बालिकाओं को पुस्तकीय ज्ञान के साथ–साथ जीवन विभिन्न क्षेत्रो के सम्बन्ध में ज्ञान दिया जाता है आज बालक क्रियाशील हैं। वह हर क्षेत्र में बढ़ने के प्रयास कर रहा है। ज्ञन के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है इस प्रकार नामांकन स्तर पर डायट के निर्देशन में सभी शिक्षा अभिकर्मियों के सहयोग का परिणाम हैं। डायट से लेकर एन.पी.आर.सी. स्तर तक सभी योजनाओं को सफल बनाने में अपना–अपना योगदान दे रहे हैं। तथा शासन की नीति के अनुसार समाज के निम्न स्तर तक ले जाने मे प्रयासरत है। डायट के बहुआयामी क्रियाकलाप प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को निरन्तर प्रगति की ओर ले जाने में अग्रसर है।

डी.पी.ई.पी. III के अन्तर्गत अद्यावधि तक गुणवत्ता सम्वर्धन हेतु डायट द्वारा सम्पादित क्रियाकलाप

डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत डायट स्तर पर निम्नलिखित प्रशिक्षण सम्पन्न किये गये –

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत प्रशिक्षण

प्रशिक्षण स्थल - जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उन्नाव

क्र.सं.	प्रशिक्षण का नाम	प्रतिभागी संख्या	दिवस
1	शिक्षा मित्र (ई.जी.एस.)के अर्न्तगत प्रशिक्षण	498	30 दिवसीय
2	ई.सी.सी.ई. के अर्न्तगत आंगन बाड़ी की कार्यकृत्रियों का प्रशिक्षण	144	10 दिवसीय
3	आधारभूत प्रशिक्षण (बी.आर.सी./ एन.पी.आर.सी. तथा ए.बी.आर.सी.)	63	07 दिवसीय
4	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	157	02 दिवसीय
5	टी.ओ.टी.प्रशिक्षण (समस्त विकास खण्डों के शिक्षा मित्र सहित)	166	08 दिवसीय

6	जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण	233	03 दिवसीय
7	क्रियात्मक शोध कार्यशाला	15	03 दिवसीय
8	जनपदों के मास्टर टेनर्स प्रशिक्षण	40	10 दिवसीय
9	शिक्षा मित्र का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण	46	15 दिवसीय
10	वित्तीय संदर्शिका एवं शैक्षिक सपोर्ट प्रशिक्षण	195	02 दिवसीय
11	समेकित शिक्षा प्रशिक्षण 09 जनपदों के मास्टर टेनर्स	36	10 दिवसीय

इन प्रशिक्षणों द्वारा अध्यापकों की गुणवत्ता में वृद्धि की गयी। इनकी सोच में परिवर्तन भी आया। यह अनुश्रवण एवं प्रशिक्षण से ज्ञात हुआ है, प्रशिक्षण से उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सर्वप्रथम डायट में 95 शिक्षकों का संदर्भदाता के रूप में चयन करके प्रशिक्षण दिया गया, तत्पश्चात प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर टेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

जनपद उन्नाव 16 विकास खण्डों तथा 174 न्यायपंचायतों से आच्छादित है विकास खण्ड स्तर पर स्थापित ब्लाक संसाधन केन्द्रों के लिए समन्वयकों तथा सह समन्वयकों तथा न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित न्याय पंचयत संसाधन केन्द्रों के लिए न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयकों का चयन किया गया। जो उनके कार्यों, उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित था। इसके साथ ही बी.आर.सी./ एन.पी.आर.सी. समन्वयकों/सह समन्वयकों को डायट में ही अकादमिक सपोर्ट एवं सुपरविजन का भी प्रशिक्षण दिया गया। समन्वयकों द्वारा विद्यालयों का नियमित भ्रमणकर आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण बी.आर.सी., एन.पी.आर. सी. एवं विद्यालय का उनके भौतिक, अकादमिक पक्षों के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय विद्या भवन लखनऊ से विकसित पैरामीटर के आधार पर श्रेणीकरण, शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं का न्यायपंचायत स्तर पर आयोजित बैठकों में समाधान, शिक्षण अधिगम

सामग्री निर्माण, मेलों का आयोजन आदि उपागमों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता संवर्धन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं तथा शिक्षकों को अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है।

परन्तु कतिपय अन्य क्षेत्रों के लिए अकादमिक नेतृत्व/पर्यवेक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित है यथा :–

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शैक्षिक गुणवत्ता सम्वर्द्धन, अकादमिक पर्यवेक्षण को भी परिधि में लाया जाना।
2. मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शैक्षिक गुणवत्ता सम्वर्द्धन, अकादमिक आवश्यकताओं को भी परिधि में लाया जाना।
3. अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा बच्चों की शैक्षिक कठिनाइयों के निवारण शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में लाया जाना।
4. जनपद में संचालित समस्त मकतबों, मदरसों में अध्ययनरत बच्चों एवं उनके शिक्षकों की शैक्षिक कठिनाइयों के निवारण शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में लाया जाना।
5. उच्च प्राथमिक विद्यालयों (राजकीय, परिषदीय, अशासकीय) माध्यमिक विद्यालयों (अशासकीय/राजकीय) के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी जायेंगी।

इस प्रकार डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत कतिपय अनाच्छादित क्षेत्रों को इस योजना से आच्छादित करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान की आवश्यकता इस जनपद को महसूस हुई। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा जनपद में संचालित अनाच्छादित विद्यालयों को भी गुणवत्तापरक

शिक्षा दी जा सके तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर शैक्षिक सपोर्ट प्रदान किया जा सके। जनपद में संचालित विद्यालयों की स्थिति इस प्रकार है।

जनपद में कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की सं0		–	1717
1.	मान्यताप्राप्त अस्थायी प्रा0वि0 की सं0	–	433
2.	मान्यताप्राप्त स्थायी प्रा0वि0 की सं0	–	16
3.	परिषदीय पूर्व मा0 वि0 की सं0	–	283
4.	कुल अस्थायी मान्यताप्राप्त विद्यालयों की सं0	–	162
5.	कुल स्थायी मान्यताप्राप्त विद्यालयों की सं0	–	16
6.	अनुदान प्राप्त विद्यालयों की सं0	–	26
7.	जनपद में माध्यमिक विद्यालयों की सं0	–	73
	जिसके कक्षा 6, 7 व 8 संचालित हैं।		

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उन्नाव, विभाग सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा उसके क्रियान्वयन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। जनपद उन्नाव के मुख्यालय पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1990 में की गई। इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता संवर्द्धन करना, शैक्षिक क्षेत्र में अभिकर्मियों को शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षण की समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान हेतु क्रियात्मक शोध करना जनपद के शैक्षिक आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण एवं तदनुसार उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्थान में सात विभागों की स्थापना की गई है।

1. जिला संस्थान इकाई विभाग
2. सेवापूर्व विभाग
3. सेवारत कार्यक्रम, क्षेत्रीय सम्पर्क, प्रवर्तन एवं समन्वय विभाग
4. पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन विभाग

5. कार्यानुभव विभाग
6. शैक्षिक तकनीकी विभाग
7. नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग

जिला संसाधन इकाई विभाग -

शिक्षा ही वर्तमान के निर्माण का अनुरूप साधन है सबको शिक्षा का समान अवसर सुलभ कराने के लिए समय–समय पर अनेक कार्यक्रम चलाये जाते हैं। वे बालक जिनकी विद्यालय जाने की आयु समाप्त हो गई है उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है इस कार्य के लिए उन लोगों का अवाहन किया जाता है जो शिक्षा के प्रति समर्पित हैं और लोगों को शिक्षा देने में रुचि रखते हों। इस विभाग के प्रमुख कार्य निम्न हैं –

1. अनुदेशकों का प्रशिक्षण देना।
2. संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना।
3. पर्यवेक्षकों तथा प्रेरकों को प्रशिक्षण देना।
4. कार्यक्रम विकास के लिए सम्मेलन तथा गोष्ठियों का आयोजन करना।
5. कार्यक्रमों में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना तथा उनके निराकरण का उपाय खोजना।
6. कार्यक्रमों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक परीक्षण उपकरणों का निर्माण करना।
7. कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002-2007 तक जिला संसाधन इकाई विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना -

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
ड्राप आउट बच्चों को शिक्षित करने का कार्यक्रम	स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना	स्वयं सेवकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण मूल्यांकन करना।	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला संस्थान इकाई विभाग द्वारा वर्ष 2002 से 2003 तक ड्राप आउट बच्चों को शिक्षित करना है, वर्ष 2003 से 2004 स्वयं सेवकों (अनुदेशकों) को प्रशिक्षित करना पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य किया जायेगा तथा वर्ष 2004 से 2005 के मध्य स्वयं सेवकों की पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान करके उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य प्रस्तावित है, वर्ष 2005 से 2006 तक अनुदेशकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान करके उनका अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा तथा वर्ष 2006–07 तक स्वयं सेवकों को पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण देकर उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य किया जायेगा। एवं वर्ष 2004–2005 के मध्य स्वयं सेवकों की पुनर्बोधात्कमक प्रशिक्षण प्रदान करके उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य प्रस्तावित है तथा वर्ष 2005 से 2006 तक अनुदेशकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान पर्यवेक्षण प्रदान करके उनका अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा तथा वर्ष 2006–07 तक स्वयं सेवकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण देकर उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य प्रस्तावित है।

सेवापूर्ण विभाग -

सेवापूर्ण विभाग संस्थान में अध्ययनरत बी0टी0सी0 प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा शिक्षा मित्रों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण की भी व्यवस्था यह विभाग करता है। बी0टी0सी0 एवं शिक्षा मित्र को उत्कृष्ठ प्रशिक्षण प्रदान

करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है। जिससे वे अध्यापक के रूप में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। प्रशिक्षण में सामुदायिक शिविरों का भी आयोजन किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवा पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना -

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण एवं बी0टी0सी0 प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवा पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 में शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है, वर्ष 2003–04 में शिक्षा मित्र एवं बी0टी0सी0 प्रशिक्षण को प्रदान किया जायेगा तथा वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा वर्ष 2006–07 में बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य प्रस्तावित हैं।

सेवारत विभाग -

अध्यापक के लिए अध्यापन में होने वाली नवीनतम तकनीकी ज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है एक अध्यापक के प्रभावशील शिक्षक होने के लिए नियमित रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि तथा व्यवस्थिति दक्षता को बढ़ाना होगा जिसप्रकार देश की रक्षा में लगी हुई सेना को सदैव नवीन युद्ध कौशल की जानकारी देकर अभ्यास कराया जाता हैं इसी प्रकार राष्ट्र निर्माण में लगे हुए अध्यापक को सेवारत विभाग द्वारा नई–नई तकनीकी ज्ञान की जानकारी दी जाती है। यह विभाग सेवा में लगे हुए अध्यापकों को समय–समय पर संस्थान में आयोजित पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में सम्मिलित करके उन्हें नई–नई चुनौतियों की जानकारी प्रदान की जाती है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना -

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
गणित एवं विज्ञान का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	गणित, विज्ञान भाषा एवं पर्यावरणीय अध्ययन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	गणित, विज्ञान भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत एवं पर्यावरणीय अध्ययन पर सेमीनार	गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं अनुभूत समस्याओं पर गोष्ठी	गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं अनुभूत समस्याओं पर गोष्ठी

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2003–2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार के अनुसार प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

कार्यानुभव विभाग -

सामाजिक और आर्थिक रूपान्तरण कर सबसे सशक्त साधन शिक्षा को माना गया है। इसलिए समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भावी नागरिकों के निर्माण हेतु तदनुरूप शिक्षा व्यवस्था अपनाई गयी है। संस्थान में कार्यानुभव विभाग द्वारा कार्य अनुभव में द्वारा शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाते हुए समाज में होने वाले कार्यों से जोड़ा जा सकता है। इस विभाग द्वारा सहायक सामग्री का निर्माण संस्थान परिसर में सौन्दर्यीकरण एवं स्वच्छता का कार्य आदि कराया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना -

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
छात्राध्यापकों को निर्मूल्य सहायक सामग्री का निर्माण प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को डायट पर कार्य करने के लिए तैयार करना तथा क्षेत्र में जाकर अध्यापकों की भी मदद करना। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि	सेवारत अध्यापकों का निर्मूल्य सहायक सामग्री का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण तथा छात्राध्यापक का प्रशिक्षण। मोमबत्ती, चाक बनाना आदि	छात्राध्यापकों को सर्फ निर्माण एवं फल संरक्षण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को कार्य करने के लिए प्रेरित करके क्षेत्र में ले जाना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग वर्ष 2002–2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य का समापन कराया जायेगा।

शैक्षिक तकनीकी विभाग -

इस वैज्ञानिक युग में छात्रों को वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराना, दैनिक जीवन में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग की जानकारी प्रदान करना व नवीन शैक्षिक उपकरणों का शिक्षण में उपयोग कैसे करें। छात्रों की आमंत्रित कराना आवश्यक हो गया है। अतः शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य/अल्प व्यय, अल्प समय तथा अल्प सुविधाओं द्वारा अधिकाधिक विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय व्यवहारिक ज्ञान देना है। संस्थान का शैक्षिक तकनीकी विभाग विभिन्न शैक्षिक उपकरणों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा गुणवत्ता संबर्द्धन सम्बन्धी प्रशिक्षणों को सफल बनाया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना -

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
शिक्षा मित्रों एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक तकनीकी उपकरण का प्रशिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण	शिक्षा मित्र, छात्राध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक उपकरणों एवं सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्पदाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेंगे।

पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग -

पाठ्यक्रम शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्य निर्माण के समय छात्र की आयु उसकी मानसिक योग्यता, परिवेशीय आवश्यकताएं, सुलभ साधन छात्रों का विषयक्रम उनका वर्ग आदि विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में भाषा तथा शैली पर भी ध्यान रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। मूल्यांकन से यह ज्ञात किया जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण सही दिशा में किया गया है। शिक्षक अपने प्रयास में कहां तक सफल है। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के उपागम के अनुप्रयोग के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति सहज में सम्भव बनायी जा सकती है। उपर्युक्त विचारों की दृष्टि में रखते हुए संस्थान का पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग इन क्षेत्रों में निरन्तर प्रयत्नशील है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना -

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन सतत् रूप से होगा।	प्राइमरी व उच्च प्राइमरी के पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों का समावेश सुनिश्चित किया जायेगा।	राष्ट्रीय मूल्यों जैसे धर्म निरपेक्षता, समानता, लोकतन्त्र लिंग भेद आदि का पाठ्यक्रम में समावेश किया जायेगा।	अध्यापकों एवं छात्रों को नैतिक एवं राष्ट्रय मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जायेगा	सृजित पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन कार्यक्रम कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेंगे।

नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग -

संस्थान का नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग संस्थागत नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन, मानव संसाधन का विकास, सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का प्रबन्ध एवं ई0एम0आई0एस0 का विकास करना आदि कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना -

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
डायट स्तर पर जनपद की सभी संस्थागत शिक्षण इकाइयों का वृहद कार्य नियोजन किया जायेगा।	डायट द्वारा निर्धारित कार्य नियोजन का शिक्ष अभिकर्मियों का प्रशिक्षण द्वारा जानकारी कराना एवं क्रियान्वयन कराना।	ई.एम.आई.एस. की कार्य प्रणाली को विधिवत जानकारी कराने के बाद कार्य रूप देना जिससे वास्तविक जानकारी प्राप्त की जायेगी	अध्यापकों को शिक्षा कौशल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम	नियोजन एवं प्रबन्ध के लिए किये समस्त प्रयासों की जानकारी हेतु मूल्यांकन कार्यक्रम

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2000–07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेंगे।

नोट – S.I.E./S.C.E.R.T./S.I.E.M.T./S.P.O. द्वारा निर्दिष्ट/निर्धारित कार्यक्रमों को सभी विभागों में समायोजित करेंगे।

गुणवत्ता संवर्द्धन के क्षेत्र में समन्वयकों की भूमिका -

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी है। कुल B.R.C./N.P.R.C. की स्थापना, स्थायी पदों के प्रति पदस्थापन किया गया। जिसके लिए प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों में से योग्य अध्यापकों को प्रत्येक संसाधन केन्द्र के लिये समन्वयक हेतु चयन किया गया है। जिनका कार्य दायित्व निम्नवत् है।

ब्लाक संसाधन केन्द्र के समन्वयक की भूमिका -

1. ब्लाक संसाधन केन्द्रों को विकास खण्ड स्तरीय सन्दर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उपयोग शिक्षकों की अकादमिक कठिनाइयों के समाधान के लिये किया जाता है।

2. डायट के दिशा निर्देश में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता संवर्द्धन कार्यक्रमों कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन एवं शाला चित्रण, वातावरण सृजन आदि का आयोजन किया जाता है।
3. विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षणों का नियोजन आयोजन एवं प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण किया जाता है।
4. ब्लाक संसाधन केन्द्र पर मासिक बैठकों का आयोजन, विद्यालयों का भ्रमण कर कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें अकादमिक फीडबैक प्रदान किया जाता है।
5. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, शिक्षु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण किया जाता है एवं एन.पी. आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण किया जाता है।
6. ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन कार्य
7. ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की वार्षिक योजना तैयार करना, तद्नुरूप बजट निर्माण, तथा वार्षिक कार्ययोजना का क्रियान्वयन।
8. एन.पी.आर.सी. सम्बन्धी आवश्यकताओं को समझना और उनके लिये आवर्ती अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित करना।
9. एन.पी.आर.सी. के फीडबैक और इनपुट की आवश्यकता पर कार्यवाही करने के निमित्त जिला स्तर पर दायित्व सम्बन्धी स्पष्टता के लिये एक सक्रिय समूह गठित करना।
10. संकुल स्तरीय मासिक बैठकों की संरचना कार्यसूची अवधारणात्मक प्रारूप तैयार करना। जिसमें शैक्षिक क्षेत्र के मुद्दों का विशेष उल्लेख हो।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक की भूमिका :-

न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयक संकुल स्तर पर शिक्षकों की शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्र बिन्दु हैं ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर विनिमय करना सूक्ष्म नियोजन तथा मानचित्रण करना। स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को शैक्षिक

सहयोग प्रदान करना आदि न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयकों का प्रमुख कार्य है इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा निम्नवत् कार्य किये जाते हैं।

1. संकुल स्तरीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए मासिक बैठकों /कार्यशाला अयोजन करना।
2. स्कूल चलो अभियान बाल गणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन कार्य।
3. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन विद्यालय शिक्षण योजना का विकास।
4. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण एवं अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करना।
5. ब्लाक संसाधन केन्द्रों में आयोजित मासिक बैठकों में प्रतिभाग सूचनाओं का आदान प्रदान करना तथा ब्लाक संसाधन केन्द्रों को वांछित सहयोग प्रदान करना।
6. संकुल स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का अभिलेखीकरण करना तथा उसकी रिपोर्ट तैयार कर ब्लाक समन्वयक एवं डायट को उपलब्ध कराना।
7. अध्यापकों की मासिक बैठकों में भाग लेना नियोजन एवं मूल्यांकन के क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान तथा अध्ययन के न्यूनतम स्तरों सम्बन्धी पाठ्य चर्चा एवं पाठ्य पुस्तकों के कठिन स्थलों में उनको मदद करना।
8. अध्ययन के न्यूनतम स्तरों पर आधारित सूचना का ब्लाक स्तर पर कार्यान्वयन करना और इस क्षेत्र में पहले से ही प्राप्त सूचना के लिए अपेक्षित उपचारात्मक उपलब्ध कराना।
9. न्याय पंचायत स्तर पर कोर टीम का गठन और प्रशिक्षण।
10. ग्राम शिक्षा समितियों और महिला समूहों को अनुसमर्थन प्रदान करना।
11. विद्यालय श्रेणीकरण का कार्य।

डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव :-

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं उसका प्रभाव (प्राथमिक स्तर पर) शिक्षक अभिप्रेरक प्रशिक्षण डायट में संदर्भदाताओं के सर्वप्रथम आयोजित किये गये। इन संदर्भदाताओं का

चयन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा अवकाश प्राप्त शिक्षकों की खुली प्रतियोगिता द्वारा शिक्षक प्रशिक्षकों को डायट स्तर चिन्हित किया गया। तथा उनका प्रशिक्षण राज्यसंदर्भ समूह के व्यक्तियों द्वारा डायट उन्नाव में आयोजित किया गया तत्पश्चात समस्त विकास खण्डों में यह प्रशिक्षण 10 दिवसीय आयोजित कर जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्र0अ0 तथा सहायक अध्यापकों को प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित माड्यूल 'साधन' का प्रयोग किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित है -

1. कक्षा का वातावारण जिज्ञासापूर्ण बनाना।
2. शिक्षकों को अभिप्रेरित कर अपने दायित्वों के प्रति जागरूप बनाना।
3. शिक्षकों में बच्चों के प्रति संवेदनशीलता जागरूप करना। बच्चों की कठिनाइयों के निवारण हेतु तत्पर करना।
4. बच्चों में शिक्षा की सक्रियता एवं भागीदारी बढ़ाना।
5. सहायक सामग्री के प्रयास से शिक्षण मकें गुणवत्ता लाना।
6. गतिविधि आधारित शिक्षण करना।
7. अपवंचित वर्ग के बालकों की शिक्षा के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाना।
8. स्थानीय समुदाय से सहयोग प्राप्त करना।
9. बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों के प्रति संवेदीकरण।
10. एकल अध्यापकीय विद्यालयों के लिए बहुकक्षा / बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का कार्य।
11. समय प्रबन्धन में आने वाली कठिनाइयों के निदान हेतु समयसारणी बनाकर शिक्षण कार्य कराना।
12. शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की अद्यतन स्थिति

कुल शिक्षक – (शिक्षा मित्रों सहित)

प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या – 3810

अवशेष/अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या – 43

उक्त प्रशिक्षणों का कक्षा मे कितना प्रभाव पड़ा इसकी जानकारी ब्लाक समन्वयकों, न्याय पंचायत समन्वयकों, जिला समन्वयकों, जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, डायट के मेण्टर्स/ प्रवक्ताओं तथा अधिकारियों के पर्यवेक्षण से यह तथ्य उभरकर सामने आये कि शिक्षकों में मानकता बढ़ी है वर्तमान के अध्यापन के दौरान शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करने लगे हैं बच्चों की भागीदारी बढ़ी है। कक्षा 1,2,3 में शिक्षण गतिविधियों का प्रयोग कतिपय अध्यापको द्वारा अध्यापन के दौरान किया जाता है। बच्चें पहले की अपेक्षा सक्रिय नजर आते है।

उच्च प्राथमिक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणः-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) योजनान्तर्गत उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर के शिक्षकों की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिये प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है डायट उन्नाव के नेतृत्व में उच्च प्राथमिक स्तरीय विज्ञान, गणित एवं अंग्रजी शिक्षकों की क्षमता अभिवृद्धि के लिये विषयाधारित प्रशिक्षण आयोजित किये गये जिसमें विज्ञान में 149 अध्यापक, गणित में 249 अध्यापक तथा अंग्रेजी में 113 अध्यापक लाभान्वित हुये है। वर्तमान में संस्कृत, सामाजिक विषय, हिन्दी के प्रशिक्षण प्रस्तावित है। प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि के लिए आयोजित किये जा रहे सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की भांति उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

शिक्षकों को अकादमिक सहयोग एवं समर्थन -

शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर में वृद्धि लाने तथा कक्षा शिक्षण पद्धति में सुधार लाने के लिए शिक्षण की महत्वपूर्ण अहम भूमिका है। संस्थान में डी.पी.ई.पी. योजना लागू करने के पूर्व एस.ओ.पी.टी. प्रशिक्षण सभी प्राथमिक विद्यालय तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों को दिये गये। एस.ओ.पी.टी. प्रशिक्षणों के दौरान के जो कठिनाइयाँ अनुभव की गयी वह इस प्रकार हैं –

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय वस्तु सभी शिक्षकों के लिए एक समान थीं सभी शिक्षकों के शिक्षा के स्तर तथा विषय के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम न होने तथा

शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं से इसका सम्बन्ध न होने के कारण कक्षा शिक्षण में वास्तविक कठिनाईयों का निवारण होने में कठिनाई हुई।

2. एस.ओ.सी.टी. प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल न करके सीमित सं0 में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सका।

3. प्रशिक्षण के पश्चात् उसका कितना फालोअप हुआ इसका अनुश्रवण विकास खण्ड स्तर और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की जा सके।

4. उक्त अनुभव के आधार पर डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत परिषरदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था प्रतिवर्ष की गयी है। वर्ष 2001–2002 में परिषदीय समस्त प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण दिया गया। सर्वप्रथम डायट में कुल संख्या– ग्रामीण क्षेत्र 3725 नगरीय–95 शिक्षको को संदर्भदाता के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर समस्त परिषदीय सहायक अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों की जनपद स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जनपद में समस्त प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक तथा सहायक अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण दिया गया। जनपद में कुल ग्रामीण क्षेत्र 3725 नगर क्षेत्र में 95 प्रधान अध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। विकास खण्ड स्तरीय सभी प्रशिक्षकों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

5. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए डायट स्तर पर विभिन्न चक्रों में त्रिदिवसीय वर्कशाप आयोजित की गयी जिसमें बी.आर.सी. समन्वयक / सहसमन्वयक / एन.पी.आर.सी. समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कुल 6 चक्रों में कुल 198 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त डायट स्तर पर बी.आर.सी., सहसमन्वयक, एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को आधारभूत शिक्षण प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण 4 चक्रों में आयोजित हुआ। जिसमें 149 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। डायट में जनपदर स्तर पर 33 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार विभिन्न प्रशिक्षणों

के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान किया गया। डायट में प्रवक्तागणों की जिला कोर टीम गठित की गयी है, जिसमें विषय विशेषज्ञ प्रवक्तागण सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। जिसकी मासिक बैठक डायट में की जाती है। न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक बिन्दुओं/ समस्याओं जिनका निराकरण विकास खण्ड स्तर पर नहीं हो पाता, बी.आर.सी. समन्वयक' द्वारा संकलित कराकर जिला कोर टीम द्वारा उनका हल ढूंढ निकाला जाता है तथा शैक्षिक समस्याओं का समाधान कर शैक्षिक सपोर्ट ब्लाक संसाधन केन्द्र को दिया जाता है। डायट में इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड में मेण्टर्स / प्रवक्तागणों को नामित किया गया जिनका मासिक बैठक प्रत्येक माह संस्थान में आयोजित की जाती है तथा डी. पी.ई.पी. योजनान्तर्गत विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराया जाता है तथा विभागीय निर्देशों को मेण्टर के माध्यम से विकास खण्ड तथा न्याय पंचायत स्तर पर पहुँचाकर सुनिश्चित किया जाता है। प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर आयोजित मासिक में सम्बन्धित मेण्टर प्रतिभाग करते हैं तथा शैक्षिक विषयों पर चर्चा की जाती है। प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जाता है तथा शिक्षक विषय विशेषज्ञों की पहचान कर विकास खण्ड की शैक्षिक समस्याओं का निराकरण किया जाता है। यद्यपि बी.आर.सी. समन्व्यकों तथा मेण्टर के माध्यम से समय–समय पर विद्यालयों का अकादमिक सर्वे तथा पर्यवेक्षण किया जाता है। शैक्षिक समस्याओं के सुधार हेतु शिक्षकों को निर्देश भी दिये जाते हैं। किन्तु इन सुझाओं को कार्यरूप में परिचित अपेक्षित मात्रा में नहीं हा पा रहा है। जिले प्रभावी बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए सर्वशिक्षा अभियान सुचारु रूप से चलाया जाता है। शैक्षिक सपोर्ट के लिए डी. पी.ई.पी. योजनान्तर्गत विद्यालय श्रेणीकरण प्रपत्र को पैरामीटर मानते हुए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय का श्रेणीक्रम किये जाने का प्रावेधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत विद्यालय क भ्रमण करके न्याय पंचायत समन्वयक, बी.आर.सी. समन्वयक, मेण्टर्स तथा विभागीय अधिकारी विद्यालय का श्रेणीकरण कर रहे हैं विद्यालय को सी श्रेणी से बी श्रेणी तथा ए श्रेणी में लाने तथा ए श्रेणी को निरन्तर प्रगति बनाये रखने के लिए विद्यालयों का प्रभावी निरीक्षण किये जाने की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002 से 2007 तक प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्य योजना

प्रशिक्षण वर्ग	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
कार्यशाला सेमिनार प्राइमरी	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. प्राथमिक स्तर के समस्त विषयों के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. टी.एल.एम. कार्यशाला 4. क्रियात्मक शोध कार्यशाला	1. आवश्यकतओं का आंकलन 2. बालिका शिक्षा (ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य का प्रशिक्षण) 3. वैकल्पिक शिक्षा से सेमिनार एवं कार्यशाला	1. आवश्यकताओ का आंकलन 2. विज्ञान,सामाजिक विषय तथा मूल्याकंन सम्बंधी कार्यशाला 3. टी.एल.एम. कार्यशाला	1. आवश्यकताओ का आंकलन 2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने की कार्यशाला 3. गणित आदर्श पाठ की कार्यशाला 4. टी.एल.एम. कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. टी.एल.एम. का कार्यशाला 3. प्रधानाध्यापक नेतृत्व समय प्रबंधन विद्यालयी अभिलेखों का रखरखाव एवं स्कूल पर्यवेक्षण कार्यशाला
अपर प्राइमरी कार्यशाला सेमिनार	1. आवश्यकताओं का आकंलन 2. गणित,विज्ञान एवं अग्रंजी के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. टी.एल.एम. कार्यशाला 3. गणित मेला 4. सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण 5. विज्ञान मेटीरिअल मेला की कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. अनुपूरक सहायक सामग्री निर्माण कार्यशाला 3. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. संस्कृत विषय प्रशिक्षण हेतु अनुपूरक सामग्री निर्माण कार्यशाला 3. सतत् एवं व्यापक मूल्याकंन प्रणाली सम्बधी शिक्षको अभिमुखीकरण में टेस्ट आइटम बनाने हेतु कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. टी.एल.एम. कार्यशाला 3. अल्प व्ययी शिक्षण सामग्री कार्यशाला

प्रशिक्षण प्राइमरी	1. शिक्षा मित्र प्रशिक्षण 2. ई.सी.सी.ई. प्रशिक्षण 3. आधारभूत प्रशिक्षण बी.आर.सी./ए.बी.आर.सी समन्वयक 4. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण 5. टी.ओ.टी. प्रशिक्षण	1. मुख्य अध्यापकों का बहु कक्षा शिक्षण पर आधारित भाषा एवं गणित प्रशिक्षण 2. विषय आधारित प्रशिक्षण सहायक अध्यापकों हेतु 3. पर्यवेक्षण अनुक्षवण एवं मूल्याकंन	1. मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण विज्ञान एवं सामाजिक विषय 2. विषय आधारित प्रशिक्षण सहायक अध्यापकों हेतु 3. पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्याकंन	1. दृश्य श्रव्य सामग्री एवं उपकरणों के उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण (मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण) 2. अंग्रेजी प्रशिक्षण सहायक अध्यापक 3. संस्कृत प्रशिक्षण सहायक अध्यापक	1. मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण 2. पूर्व प्रशिक्षणों का वृहद मूल्याकंन एवं अनुश्रवण
अपर प्राइमरी प्रशिक्षण	1. गणित अध्यापक प्रशिक्षण 2. विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण 3. अंग्रजी अध्यापक प्रशिक्षण	1. विज्ञान विषय के शिक्षण विषय वस्तु शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु विज्ञान अध्यापकों का प्रशिक्षण	1. अंग्रजी एवं हिन्दी भाषा अध्यापक प्रशिक्षण 2. अंग्रजी एवं हिन्दी भाषा विषय से पाठक्रम एवं पाठय पुस्तकों के आधार पर पाठ योजना प्रशिक्षण	1. संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण 2. व्यायाम स्काउट/गाइड मूल्य आधारित प्रशिक्षण 3. पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्याकंन	1. पुन:र्बोधात्मक प्रशिक्षण 2. पूर्व प्रशिक्षणों का वृहद मूल्याकंन एवं अनुश्रवण
क्षमता सम्वर्धन	एस.डी.आई./ए.बी.एस. एवं प्रशिक्षण क्षमता सम्वर्धन	एस.डी.आई./ए.बी.एस.ए. का प्रशिक्षण क्षमता सम्वर्धन मे अनुभूत समस्यायों पर	एस.डी.आई/ए.बी.एस.ए. का प्रशिक्षण नियोजन एवं प्रबन्धन का मख्य अध्यापकों पर	एस.डी.आई./ए.बी.एस.ए. का प्रशिक्षण नियोजन एवं प्रबंधन का मुख्य अध्यापकों पर	एस.डी.आई. ए.बी.एम.ए. का प्रशिक्षण समस्याओं का निराकरण तथा अन्य सुझाव तथा मूल्याकंन
	बी.आर.सी./एन.सी.आर.टी. समन्वयकों का प्रशिक्षण क्षेणीकरण	बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. का प्रशिक्षण विद्यालयों की समस्याओं के आंकलन पर	बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण छात्रों और अध्यापकों की समस्याओं को हल करने हेतु	बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का श्रेणीकरण एवं प्रभाव का अध्ययन	बी.आर.सी. एन.पी. आर.सी. द्वारा मूल्याकंन

	शिक्षामित अनुदेशक आचार्य जी प्रशिक्षण	शिक्षामित/अनुदेशक/ आचार्य जी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	शिक्षामित्र/अनुदशेक/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र/अनुदेशक/आचार्य जी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण,अनुश्रवण एवं मूल्याकंन	पूर्व प्रशिक्षणों का वृहद मूल्याकंन एवं अनुश्रवण
	क्रियात्मक शोध 1. डायट स्तर पर 2. बी.आर.सी./एन.पी. आर.सी. स्तर पर	क्रियात्मक शोध 1. डायट स्तर पर 2. बी.आर.सी./एन.पी. आर.सी. स्तर पर 3. अध्यापकों के स्तर पर	क्रियात्मक शोध 1. डायट स्तर पर 2. बी.आर.सी./एन.पी. आर.सी. स्तर पर 3. अध्यापकों के स्तर पर	क्रियात्मक शोध 1. डायट स्तर पर 2. बी.आर.सी./एन.पी. आर.सी. स्तर पर 3. अध्यापकों के स्तर पर	क्रियात्मक शोध 1. डायट स्तर पर 2. बी.आर.सी./एन.पी आर.सी. स्तर पर 3. अध्यापकों के स्तर पर
	जनपद स्तर पर 1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता का आयोजन 2. कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता 3. बी.आर.सी./एन.पी. आर.सी.	ब्लाक स्तर पर 1. कला प्रतियोगिता 2. विज्ञान प्रतियोगिता 3. टी.एल.एम. प्रतियोगिता	एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1. सुलेख प्रतियोगिता 2. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. सामाजिक पर्यावरणीय प्रतियोगिता 2. अल्प व्ययी शिक्षण सामग्री प्रतियोगिता 3. अनुपूरक पाठ्य सामग्री प्रतियोगिता	ब्लाक एवं जनपद स्तर पर 1. विज्ञान प्रतियोगिता 2. टी.एल.एम. प्रतियोगिता 3. क्विज प्रतियोगिता

प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणीकरण -

जनपद उन्नाव में एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के 174 पद सृजित हैं जिनमें से मात्र 155 समन्वयक कार्यरत हैं जिसके कारण श्रेणीकरण का कार्य करने में कठिनाई होती है कार्यवाहक समन्वयक से कार्य कराया जाता है। राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को प्रभारी न्याय पंचायत समन्वयक बनाया गया है। श्रेणीकरण का कार्य उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा जारी राजाज्ञा संख्या 2314/15–5–01 –346 / 2001 दिनांक 11.7.2001 द्वारा शुरू हो चुका है जुलाई से अब तक जनपद में विद्यालय श्रेणीकरण की स्थिति निम्न है –

विद्यालयों की सं0	श्रेणीकृत विद्यालय	श्रेणीकरण की स्थिति
1717	1717	ए – 835 बी – 882 सी – 882

बेस लाइन सर्वेक्षण वर्ष 1999 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति :-

डी.पी.ई.पी. III लागू होने से पूर्व कराये गये बेस लाइन सर्वेक्षण के अनुसार कक्षा 2 भाषा में 47.9% बालक तथा 52.8% बालिकायें न्यूनतम अधिगत स्तर को प्राप्त नहीं कर सकी तथा कक्षा 2 गणित में 39.3% बालक तथा 52.1% बालिकायें न्यूनतम अधिगम स्तर नहीं प्राप्त कर सकी। इसी प्रकार कक्षा 5 भाषा में 6.8% बालक तथा 3.2% बालिकायें न्यूनतम अधिगम स्तर नहीं प्राप्त कर सकीं। कक्षा 5 गणित में 89.3% तथा 90.1% बालिकायें न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सकीं।

बेस लाइन सर्वे वर्ष 1999 के आधार पर बच्चो की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति

क्रमांक	कक्षा	विषय	बालकों की संख्या			बालिकाओं की संख्या		
			एम.एल.एल. (प्रतिशतमें)	दक्षता	एम.एल. एल. प्राप्त नहीं कर सके	एम.एल.एल. (प्रतिशत में)	दक्षता (प्रतिशत में)	एम.एल. एल. प्राप्त नहीं कर सकें
1	2	भाषा	20.4	16.7	47.9	18.2	16.2	52.8
2	2	गणित	18.7	23.5	39.3	20.6	13.0	52.1
3	5	भाषा	13.2	53.0	6.8	15.0	46.0	3.2
4	5	गणित	10.4	0	89.3	9.6	0	90.1

प्राथमिक विद्यालयों की प्रोत्साहन योजनायें :-

जिला प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य नामांकन धारण एवं ठहराव है। जिसकी प्रति पूर्ति के लिये उ0प्र0 सरकार द्वारा अनु0जाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है जनपद में 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अनु0जाति के बालकों एवं सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध करायी गयी है। जिसके सकारात्मक परिणाम से छात्र नामांकन में आशातीत वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये शैक्षिक सत्र 2001–02 को शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन वर्ष मनाये जाने के उद्देश्य से माह जुलाई 2001 में स्कूल चलो अभियान के आयोजनोपरान्त कक्षा 1 से 5 तक के सभी जाति के बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी। प्राथमिक विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव को बनाये रखने के लिये छात्रवृत्ति निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण पोषाहार योजना आदि कारगर सिद्ध हुये है। अभिभावकों का सहयोग मिलने से विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ा है तथा ह्रास की समस्या पर भी अंकुश लगा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन बेस लाइन स्टडी के माध्यम से किया गया। आशा है कि अद्यतन आयोजित तथा माध्यावधि सर्वेक्षण के पूर्व आयोजित किये जाने वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रोत्साहन योजनाओं का बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर सकरात्मक परिणाम मिलेगा।

मध्यावधि मूल्याकंन सर्वेक्षण वर्ष 2003 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति

क्रमांक	कक्षा	विषय	बालकों की संख्या			बालिकाओं की संख्या		
			एम.एल.एल. (प्रतिशतमें)	दक्षता (प्रतिशतमें)	एम.एल.एल. प्राप्त नहीकर सकें(प्रतिशत में)	एम.एल. एल. (प्रतिशत में)	दक्षता (प्रतिशत में)	एम.एल.एल. प्राप्त नहीकर सकें(प्रतिशत में)
1	2	भाषा	15.3	23.6	15.8	23.4	24.4	16.0
2	2	गणित	8.99	58.58	7.08	17.32	44.62	10.76
3	5	भाषा	70.4	0.3	1.8	65.8	0.5	1.5
4	5	गणित	29.0	0	65.1	28.2	0	65.5

शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति :-

डी.पी.ई.पी. III लागू होने के ढ़ाई वर्ष बाद कराये गये मध्यावधि मूल्याकंन सर्वेक्षण के आधार पर कक्षा 2 भाषा में 15.8% बालक एवं 16.0% बालिकायें न्यूनतम अधिगम स्तर नही प्राप्त कर सकी। कक्षा 2 गणित के 7.08% बालक एवं 10.76% बालिकायें न्यूनतम अधिगम स्तर नही प्राप्त कर सकी तथा कक्षा 5 भाषा में 1.8% बालक तथा 1.5% बालिकायें एवं कक्षा 5 गणित में 65.1% बालक एवं 65.5% बालिकायें न्यूनतम अधिगम स्तर नही प्राप्त कर सकी।

मध्यावधि मूल्याकंन सर्वेक्षण के आधार पर कक्षा 2 व 5 के छात्रों की भाषा एवं गणित में उपलब्धि निम्न प्राप्त हुयी है।

-- कक्षा 2 के छात्रों का भाषा और गणित में औसत उपलब्धि क्रमशः 71.82% और 77.69% है।

-- कक्षा 2 के बालकों की औसत उपलब्धि भाषा में क्रमशः 73.7% तथा गणित में 81.04% है। बालिकाओं की भाषा में 70.03% और गणित में 74.11% है।

-- कक्षा 2 भाषा में 23.4% बालक एवं 24.4% बालिकायें तथा कक्षा 2 गणित 58.58% बालक व 44.62% बालिकायें दक्षता स्तर प्राप्त कर चुके है।

-- कक्षा 2 बालक एवं बालिकाओं का भाषा तथा गणित में सह सम्बंध .65% है। जो कि Moderate Corelation को प्रदर्शित करता है।

-- कक्षा 5 भाषा व गणित में छात्रों की औसत उपलब्धि भाषा में बालकों की 54.76% तथा गणित में 37.63% तथा बालिकाओं की भाषा में 56.19% तथा गणित में 38.76% है।

-- कक्षा 5 भाषा में छात्रों की दक्षता प्राप्त की ओर अग्रसर बालक 23.7% 4तथा बालिकायें

27.71% है तथा दक्षता प्राप्त 1.8% बालक एवं 3.6% बालिकायें है।

-- कक्षा 5 भाषा व गणित में बालक बालिकाओं के मध्य उपलब्धि में सह सम्बंध .37% है।

-- आधार भूत सर्वेक्षण की अपेक्षा मध्यावधि सर्वेक्षण में कक्षा 2 भाषा में उपलब्धि में 29. 4% की वृद्धि हुयी है।

-- आधारभूत की अपेक्षा मध्यावधि सर्वेक्षण में कक्षा 2 गणित में उपलब्धि में 27.69% 4की वृद्धि हुयी है।

-- आधारभूत की अपेक्षा मध्यावधि सर्वेक्षण में कक्षा 5 भाषा में उपलब्धि के 14.83% की वृद्धि हुयी है।

-- आधारभूत की अपेक्षा मध्यावधि सर्वेक्षण में कक्षा 5 गणित की उपलब्धि में 12.46% की वृद्धि हुयी है।

सर्व शिक्षा अभियान एवं लक्ष्य :-

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद उन्नाव में 6 से 14 वर्ष के सभी बालक – बालिकाओं को वर्ष 2010 तक गुणवत्ता परक जीवनपयोगी व्यवसायपरक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा शैक्षिक परिवेश में समुदाय की शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करके प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्रदान किया जा सकेगा। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य निम्नवत् है।

1. 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य एवं प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

2. वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।

3. वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।

4. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।

5. गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।

6. बालक बालिकाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन ठहराव व सम्प्राप्ति के अंतर को समाप्त करना।

7. सामाजिक क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बंधी विषमताओं को दूर करना।

8. शिशु शिक्षा के महत्व को देखते हुये वय वर्ग का विस्तार 0 से 11 को बढ़ाकर 0 से 14 करना तथा बाल विकास परियोजना के प्रयास को समर्थन देना तथा जहां बाल विकास परियोजनायें नहीं चल रहीं है वहां विशेष पूर्व विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण सैट एवं इण्डिया के आधार पर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा।

S.A.T

S - Syestematic

A - Approach

T – Training

I – Identification

N – Need

D – Desigining & Planning

I – Implemintation

A – Assessment

तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एवं सर्व प्रथम प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के लिये पूरे जनपद का एक विजन विकसित किया जायेगा। जिसमें जनपद स्तरीय, विकास खण्ड स्तरीय, न्याय

पंचायत स्तरीय, स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी शिक्षा विभाग में अभिकर्मियों डायट संकाय के सदस्यों जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों,न्याय पंचायत/ विकास खण्ड स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। जिसमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों लक्ष्यों बच्चों की वर्तमान स्थिति एवं उनमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों विद्यालयों तथा कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये सहभागिता निष्कर्ष एवं सहमतियां तय की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों के लिये विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्षकों के आयोजन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्षकों के शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि शिक्षकों की दक्षता तथा उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में आयोजित किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक को इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि बी.आर.सी. स्तर पर 6 से 8 दिवसों के लिये तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेगें। प्रशिक्षण की यह कार्य योजना शिक्षकों के लिये नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत आयोजित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों से प्राप्त प्रशिक्षण अनुभवों तथा वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं तथा बहु कक्षा स्तरीय शिक्षण विधियों की जानकारी वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिये निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं के प्रभावी एवं बेहतर उपयोग आदि के आलोक में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें।

प्राथमिक शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण :-

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में समस्त प्राथमिक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों सहित बहु कक्षा शिक्षण /बहु श्रेणी कक्षा शिक्षण का दस दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें से सात दिनों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर

पर तथा शेष तीन दिवसों का प्रशिक्षण क्रमशः एक एक माह के अन्तराल पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जायेगा। जिसका विवरण निम्नवत् है –

1. विजनिंग कार्यशाला का आयोजन तीन दिवसीय।
2. बहु कक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण।
3. मैटेरिअल मेले का आयोजन।
4. विकास खण्ड स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण के फालोअप के लिये पाठ्य प्रस्तुतीकरण पर आधारित मासिक प्रशिक्षण कार्यशालायें आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त कार्यक्रम वर्ष के पांच महीनों में आयोजित होगें। जिसके लिये प्रशिक्षण का एजेंडा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखीकरण डायट स्तर पर होगा।

स्कूल भ्रमण के दौरान उभर कर आये बिन्दु :-

1- प्राथमिक / पू0मा0 विद्यालयों में छात्र सं0 के अनुपात में शिक्षकों की संख्या अत्यंत कम है। जिससे एक ही समय में एक शिक्षक को एक से अधिक कक्षायें पढानी पड़ती है।

2- अन्य विभागीय कार्यो को समयान्तर्गत सम्पादित किये जाने के कारण शिक्षण के लिये शिक्षकों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता।

3- अधिकांश विद्यालयों में अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं पायी गयी।

4- छात्रों को गृहकार्य पूरा करने में अभिभावकों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है।

5- विज्ञान, गणित तथा भाषा में शिक्षा सम्प्राप्ति का स्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।

6- पू0मा0 सभी विद्यालयों में विषय अध्यापक नहीं है सामान्य विषय के अध्यापक गणित, विज्ञान तथा भाषा पढाते है। जिससे छात्रों में गुणवत्ता सम्बर्द्धन तथा क्षमताओं का विकास नहीं हो पा रहा है।

7- शैक्षिक सपोर्ट की व्यवस्था प्राथमिक स्तर पर ही ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय इस व्यवस्था से आच्छादित नहीं है उनके लिये यह भी व्यवस्था की आवश्यकता है।,

8- सर्वशिक्षा अभियान में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को भी इस लाभ से आच्छादित किया जाता है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण :-

1- 6 से 14 वर्ष के सभी वय वर्ग के बच्चों को पूर्व माध्यमिक विद्यालयों, वैकल्पिक केन्द्रों में लाया जायेगा तथा उनके शिक्षकों अनुदेशकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2- 6 से 11 वर्ष के सभी वय वर्ग के बच्चों को अनुवाद 5 कक्षाओं तक की प्राथमिक शिक्षा 2007 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करलें यह लक्ष्य रखा जायेगा।

3- 8 कक्षाओं तक की शिक्षा वर्ष 2010 तक सभी बच्चों जो 6 से 14 वर्ष के है प्राप्त कर सकें यह लक्ष्य रखा जायेगा।

4- ऐसी गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान की जायेगी जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल दे सकें।

5- जनपद प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में डायट को सुदृढ़ बनाया जायेगा।

6- समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण :-

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रतिभागी रू0 70.00 की दर से व्यय अनुमानित है।

द्वितीय वर्ष में भाषा एवं गणित विषय वस्तु पर आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण गतिविधियों पर आधारित प्रशिक्षण सात दिवसीय आयोजित किया जायेगा। डायट में जनपद स्तरीय संदर्भदाता शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा विकास खण्ड स्तर पर

समस्त प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को प्रशिक्षण इन संदर्भदाता प्रशिक्षकों द्वारा दिया जायेगा।

तृतीय वर्ष में विज्ञान, सामाजिक विषय तथा मूल्याकंन पर आधारित तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा । डायट में जनपद स्तर पर संदर्भदाता प्रशिक्षण तैयार किये जायेगें जो विकास खण्ड पर सम्बंधित शिक्षकों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करेगें। व्यवस्था इस प्रकार होगी। :–

विकास खण्ड स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला विज्ञान, दो दिवसीय कार्यशाला सामाजिक विषय तथा दो दिवसीय कार्यशाला छात्रों के सतत् एवं व्यापक मूल्याकंन हेतु प्रश्नपत्र निर्माण हेतु आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप के लिये एम0पी0आर0सी0 स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालायें प्रत्येक 6 माह के पश्चात् आयोजित की जायेगी जिसका एजेण्डा डायट स्तर पर तैयार किया जायेगा।

चतुर्थ वर्ष मे शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं उपयोग पर, आधारित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। विकास खण्ड के शिक्षकों को यह प्रशिक्षण जनपद स्तर पर डायट से प्रशिक्षण प्राप्त संदर्भदाताओं द्वारा दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने के लिये दो दिवसीय कार्यशाला प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित की जायेगी जिसमें न्याय पंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा। यह कार्यशाला डायट के मेण्टर्स के नेतृत्व में संचालित होगी आयोजक न्याय पंचायत समन्वयक होगा।

इसके साथ ही गणित आदर्श पाठ प्रस्तुतीकरण तथा सामग्री निर्माण हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त दृश्य श्रव्य सामग्री तथा उपकरणों के उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण एन0पी0आर0सी0 पर दो दिवसीय आयोजित किया जायेगा।

पाँचवे वर्ष मे प्राथमिक शिक्षकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पूर्वप्रशिक्षण के प्रभाव, अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर आयोजित किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त उर्दू विषय शिक्षण तथा संस्कृत विषय शिक्षण के लिये तीन दिवसीय प्रशिक्षण न्याय पंचायत स्तर पर प्रदान किया जायेगा। इसके लिये जनपद स्तर पर डायट में प्रत्येक विकास खण्ड के चयनित शिक्षकों को संदर्भदाता प्रदान किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त नव नियुक्त सहायक अध्यापकों को 10 दिवसीय सेवापूर्वगत प्रशिक्षण डायट स्तर पर दिया जायेगा। इसके साथ ही प्रोन्नति प्राप्त प्रधानाध्यापक को नेतृत्व, समय प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों का रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित प्रशिक्षण 5 दिवसीय डायट में जनपद स्तर पर सम्पादिज किया जायेगा।

पूर्व माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षण :– डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिये भी प्रतिवर्ष शिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें जिसके अन्तर्गत प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापक जो पूर्व माध्यमिक विद्यालयों हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में संचालित 6, से 8 तक अध्यापन करते है को प्रशिक्षण दिया जायेगा। विद्यालय भ्रमण के दौरान यह अनुभव किया गया कि पूर्व माध्यमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण गतिविधियों की तुलना में पाठ्य पुस्तक का महत्व अधिक है। शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर पर वृद्धि की आवश्यकता हे अतः सर्वशिक्षा अभियान में पूर्व माध्यमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रथम वर्ष (गणित प्रशिक्षण) :-

शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण विषयवस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उनके उपभोग से सम्बंधित आठ दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर संदर्भदाताओं द्वारा प्रदान किया जायेगा। विकास खण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति पाठ योजना तथा सहायक सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप के लिये डायट द्वारा तैयार एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। वर्ष के 6 माह में इस कार्यशाला क आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। इस

कार्यशाला के पश्चात् एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का अयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा तैयार की गयी सामग्री को प्रदर्शित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष (विज्ञान प्रशिक्षण) :– विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। जो आठ दिवसीय होगा। इसी अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रकृति पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यान्वयन एन0पी0आर0सी0 पर आयोजित की जायेगी। वर्ष के 6 माह में इस कार्यशाला को आयोजित किया जायेगा। तत्पश्चात् 1 दिवसीय विज्ञान मैटीरिअल मेले का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी क्रम में बी0आर0सी0 पर भी 1 दिवसीय मैटीरिअल मेले का आयोजन किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित प्रशिक्षण पर प्रतिभागी रू0 70.00 की दर से व्यय अनुमानित है।

तृतीय वर्ष (अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा प्रशिक्षण) :-

अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा विषय को शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो आठ दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा हिन्दी विषय से पाठ्सक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुती पाठ योजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डे के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालायें एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन प्रत्येक 6 माह बाद किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुपूरक सहायक शिक्षण सामाग्री निर्माण हेतु बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर क्रमशः दो दिवसीय तथा 5 दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेगी। शिक्षक प्रशिक्षण पर प्रतिभागी रू0 70 की दर से प्रतिदिन व्यय अनुमानित है।

चतुर्थ वर्ष (संस्कृत प्रशिक्षण) :-

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन करने वाले शिक्षकों के लिये संस्कृत विषय तथा छात्रों का मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा यह प्रशिक्षण आठ दिवसीय होगा। शिक्षण प्रशिक्षण के इस क्रम में बी0आर0सी0 स्तर पर संस्कृत विषय प्रशिक्षण हेतु अनुपूरक सामग्री निर्माण हेतु दो दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेगी। इसके अतिरिक्त एन0पी0आर0सी0 पर उक्त विषय शिक्षण हेतु 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये बिन्दुओं के आधार पर एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठकें 6 माह में सुनिश्चित की जायेगीं। जिनका पर्यवेक्षण डायट संकाय के सदस्य तथा बी0आर0सी0 समन्वयक करेंगे।

उक्त के अतिरिक्त छात्र छात्राओं की सम्प्राप्ति के मूल्याकंन हेतु सतत् व्यापक मूल्याकनं प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों अभिमुखीकरण में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु दो दिवसीय तथा एक दिवसीय कार्यशाला क्रमशः एन0पी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण पर प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 की दर से व्यय अनुमानित है।

पांचवे वर्ष में :-

उपर्युक्त प्रशिक्षण पर आधारित पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जो 2 दिवसीय होगा। आगामी प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षणों के अनुभव तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित किये जायेगें। पांचवे वर्ष के प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षकों में प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 की दर से व्यय अनुमानित है। उक्त सभी प्रशिक्षण विकास खण्डों पर डायट के नेतृत्व में आयोजित होगें। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में डायट की भूमिका :–

1. **अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना** :- डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। जनपद ,विकास खण्ड, न्याय पंचायत अभिकर्मियों के लिये प्रशिक्षण का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा विद्यालय श्रेणीकरण अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन शोध एवं मूल्याकंन कार्यक्रमों का संचालन, अनुश्रवण,

अध्ययन समाग्री का विकास, ई0एम0आई0एस0 आकड़ों का विश्लेषण तथा उनका उपयोग आदि दायित्वों का जनपद स्तर पर निर्वहन डायट द्वारा करके अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा।

2. **क्षमताओं एवं दक्षताओं का विकास करना** :- प्राथमिक / पूर्वमाध्यमिक शिक्षकों को विषयवस्तु तथा शिक्षण विधा पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने तथा बी0आर0सी0 समन्वयकों, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को प्राथमिक विद्यालयों, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, बी0आर0सी0 केन्द्रों का पर्यवेक्षण करने के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किये जायेगें तथा दक्षताओं को विकसित करने के लिये संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम डायट में जनपद स्तर पर आयोजित किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें आयोजित की जायेगी।

3. **अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण** :- जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिये कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने तथा गुणवत्ता विकास के लिये विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फील्डबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह का गठन डायट स्तर पर किया गया है। जिसमें डायट के स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ शिक्षाविद् तथा योग्य शिक्षक उसके सदस्य है। अकादमिक संसाधन समूह को सुदृढ़ कर प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की क्षमताओं का विकास डायट स्तर पर कार्यशाला आयोजित करके किया जायेगा। यह कार्यशाला मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, स्कूल प्रबंध, विषय शिक्षण तथा शिक्षकों की समस्याओं के निवारण आदि विन्दुओं पर केन्द्रित होगी। प्रत्येक वर्ष 3 दिवसीय इस प्रकार की कार्यशालायें डायट तथा विकास खण्ड स्तर पर आयोजित की जायेगीं।

4. **कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा नवाचार कार्यक्रम** :- डायट के नेतृत्व में कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पूर्व माध्यमिक के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। ताकि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को भी कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जा सके । इसी प्रकार बालिकाओं को उनकी इच्छानुसार फैशन डिजाइनिंग, स्क्रीन प्रिन्टिंग, फूड प्रजर्वेशन आदि का प्रशिक्षण देने हेतु

जनपद स्तर पर डायट में शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। नवाचार के इन कार्यक्रमों से बालिकाओं का ठहराव विद्यालय में अधिक होगा। कोई भी छात्रा विद्यालय से ड्राप आउट नहीं होगी। सर्वशिक्षा अभियान में बालिकाओं के लिये कार्यानुभव शिक्षण को जनदप स्तर पर नवाचार कार्यक्रम के रूप में डायट में संचालित किया जायेगा। इसके लिये सर्वप्रथम जनपद में सभी विकास खण्डों में पांच पांच पूर्व माध्यमिक विद्यालयों / कन्या पू0मा0 विद्यालयों का चिन्हित किया जायेगा जिससे छात्र संख्या अधिक होगी उन विद्यालयों की स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर वहां के बच्चों को ऐसे कौशल से प्रशिक्षित किया जायेगा। द्वितीय चरण में अनाच्छादित विद्यालयों को भी इस कार्यक्रम से आच्छादित किया जायेगा।

5. **ऐक्शन रिसर्च कार्यशालाओं का आयोजन** :- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा ऐक्शन का कार्य किये जाने की दृष्टि से 5 दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेगी। बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिये स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाये तथा उनका समाधान ढूढ़ने में सफल हो सकें। क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को न्याय पंचायत तथा विद्यालय स्तर तक ले आया जायेगा। क्रियात्मक शोध के प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार होगें –

1. कक्षा शिक्षण के शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किया प्रकार संभव है?
2. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो?
3. विद्यालयों में गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु सामुदायिक सहयोग हेतु तरीके।
4. विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
5. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
6. महिला शिक्षिकाओं में दक्षता सम्वर्द्धन हेतु उपाय।
7. कक्षा में मंदबुद्धि के बच्चों के लिये कारगर शिक्षण तकनीकि।
8. शिक्षण सम्प्राप्ति का स्तर कम होने वाले बच्चों के चिन्हाकंन के तरीके तथा कारणों की पहचान किस प्रकार सम्भव है?
9. कक्षा में बच्चों की सहभागिता हेतु तरीके।

10. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्याकंन में कक्षा के बच्चों के सहयोग की रणनीतियां।

11. विद्यालय मे समुदाय के सहयोग क अभाव के कारणों का अध्ययन तथा उसके उपाय के तरीके।

12. बच्चों की विद्यालय मे उपस्थिति न्युन होने के कारणों का अध्ययन तथा उसके निदान के उपाय।

13. विद्यालय मे प्रवेश लेने के पश्चात् छात्रों के विद्यालय से पलायन के कारणों का विश्लेषणात्मक निरूपण

14. अध्यापन के पठन पाठन में सुधार लाने हेतु किये जाने वाले प्रयास

15. विद्यालय श्रेणीकरण को प्रभावी बनाने हेतु किये जाने वाले प्रयास।

16. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाने के तरीके।

17. विद्यालय के शैक्षिक मुद्दों के निराकरण के उपाय।

सर्वशिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा में कार्यक्रम :-

सर्वशिक्षा अभियान में विद्यालयों में बालिकाओं के शतप्रतिशत नामाकंन तथा उनके ठहराव पर बल देने के लिये प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को भी चयनित किया जायेगा। मलिन बस्तियां तथा ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में जहां विद्यालय संचालित नहीं है। अथवा वहां अपरिहार्य कारण से बालिकायें विद्यालय नहीं जा पा रही है। वहां वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेगे। जिनमें बालिकाओं को नामांकित किया जायेगा। यह वैकल्पिक केन्द्र क्षेत्र की आवश्यकतानुसार ब्रिज कोर्स तथा ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन सत्र के रूप में भी खोले जायेगें।

प्रहर पाठशाला :-

ऐसे क्षेत्र जहां बालिकायें विद्यालय तक नहीं पहुंच-पा रही है। या जिन्होनें विद्यालय किन्ही कारण वश से ही छोड़ दिया है या जिस क्षेत्र से विद्यालय दो अथवा ढ़ाई किलोमीटर पर नही है। ऐसे क्षेत्रों में प्रहर पाठशाला खोली जायेगी। जहां 9 से 14 वर्ष की बालिकायें अध्ययन कर सकेंगी।

मकतब/मदरसा : मुस्लिम बालिकायें जो अधिक संख्या में स्कूल से बाहर है उनके अध्ययन के लिये मकतब / मदरसों में औपचारिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा। मकतब मदरसों में वे सभी सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी जो सभी परिषदीय विद्यालयों को उपलब्ध होगी। मकतब मदरसों मे अध्ययन करने वाले अनुदेशकों को डायट स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

समेकित शिक्षा :-

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि 6 से 14 वर्ष के सभी वय वर्ग के बच्चें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करे जबकि विकलांगता क विभिन्न प्रकार के रोग के ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता तब तक शिक्षा के सार्वजनी करण के लक्ष्य को प्राप्त कर पाना एक स्वप्न सा दिखता है। भारत की जनसंख्या लगभग 10 प्रतिशत किसी न किसी विकलागंता से ग्रसित है। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहां उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है। कुछ बच्चें विकलांग होते हुये भी शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करते है। किन्तु विकलांग शिक्षा के अभाव मेंवह अशिक्षित ही रह जाते है। डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत समेकित शिक्षा के लिये जनपद का वह विकास खण्ड चयनित किया गया। विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा क्षेंत्र है जिसमें विकलांगता अधिक पायी गयी। यह विकलांगता 5 प्रकार की है जोकि इस प्रकार है।

1. दृष्टिदोष
2. श्रवणदोष
3. मानसिक दोष
4. अधिगम दोष
5. आश्रित विकार

उक्त विकलांगता के कारण विकलांग बच्चों मे आत्म निर्भरता की कमी रहती है। समाज में भी उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। परिणाम यह होता है कि ऐसे बच्चों का मानसिक विकास नही हो पाता है। ऐसे अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ लोंगो की धारणा है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये

विशेष तकनीक के विद्यालयों की आवश्यकता है। डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत जो नवीन प्राथमिक भवनों का निर्माण किया गया है। उसका फर्श ढ़ालदार बनाया गया जिससे शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा भी आसानी से चल सके। विकलांग बच्चों के लिये उपकरण उपलब्ध कराने की मांग शिक्षा विभाग द्वारा की गयी जिससे सभी प्रकार के व्यवस्था किया जाना सर्वशिक्षा अभियान मे प्रस्तावित है।

कोहार्ट स्टडी कार्यक्रम :-

सर्वशिक्षा अभियान में ऐसे बालक एवं बालिकाओं को सूचीबद्ध किया जायेगा जो पिछले पांच वर्ष में प्रवेश लेने के पश्चात् अपरिहार्य कारणों से विद्यालय छोड़ दिये है। तथा कही प्रवेश नही लिया है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किये जायेगें।

शिक्षकों को जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण :-

इस प्रशिक्षण द्वारा बच्चों के बीच मे विद्यालय छोड़ देने के कारणों का पता लगाने के साथ ही उनके उपायों पर चर्चा की जायेगी तथा उनका संवेदीकरण किया जायेगा। बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों के विचारों में बदलाव लाने के लिये तथा बालिकाओं के प्रति उन्हें अधिक सवेंदनशील बनाने हेतु यह प्रशिक्षण विकास खण्ड स्तर पर शिक्षकों को प्रदान किया जायेगा जो जनपद स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर्स उन्हें प्रदान करेंगे।

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों मे बालिकाओं के लिये कार्यानुभव कार्यक्रमों काआयोजन :- वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बालिकाओं के लिये भावी जीवन हेतु उपयोगी कार्यक्रमों के अभाव से शिक्षा के प्रति उनकी रूचि तथा अभिभावकों की जागरूकता अपेक्षानुकूल नहीं है। सर्वशिक्षा अभियान में उक्त कार्यक्रम प्रस्तावित है। उपर्युक्त कार्यक्रमों मे सम्मिलित हो जाने से निःसंदेह बालिकाओं की विद्यालय के प्रति रूचि बढ़ेगी। तथा वह शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो सकेगी। कार्यानुभव कार्यक्रमों से बालिकाओं की रूचि के अनुसार कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, कलाचित्रण, स्थानीय आवश्यकतानुसार टोकरियां बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, मोमबत्ती बनाना, चाक बनाना, कागज झंडी बनाना, तथा सजावट का सामान बनाना आदि कार्यक्रमों को जोड़ा जायेगा। जिसके लिये जनपद स्तर पर डायट में प्रत्येक

विकास खण्ड से चयनित शिक्षिकाओं को संदर्भदाता प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा विकास खण्ड स्तर पर इन संदर्भदाता प्रशिक्षिकों द्वारा समस्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय की एक शिक्षिका का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान में सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम :–

1. ग्राम शिक्षा समिति तथा नगर शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण
2. ग्राम शिक्षा समितियों तथा नगर शिक्षा समितियों के मासिक बैठको की नियमितता
3. विद्यलाय का सुक्ष्म नियोंजन
4. विद्यालय की समस्याओं के निराकरण हेतु समुदाय की सहभागिता हेतु अभिभावकों का शिक्षकों के साथ सम्मेलन
5. विद्यालय में खेल के मैदान तथा विद्यालय में बागवानी हेतु समुदाय का सहयोग।
6. विद्यालय की साज सज्जा में समुदाय का सहयोग।
7. प्रतिभवावान बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कार की व्यवस्था में समुदाय का सहयोग।
8. विद्यालय के सुदृढ़ीकरण मे समुदाय का सहयोग।
9. निर्धन छात्रों के गणवेश हेतु समुदाय का सहयोग
10. राष्ट्रीय पर्व में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यो सम्मानित व्यक्तियों, अभिभावकों को आमंत्रित कर उनके द्वारा बच्चों को पुरस्कृत कराकर समुदाय का सहयोग लेना।
11. विद्यालय पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण में समुदाय का सहयोग सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इन कार्यक्रमों में अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थलीय समुदाय के बच्चों मे शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न होगी। तथा अनुकूल वातावरण का सृजन होगा। इन कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों को भी जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से जब डायट स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण होगा, ग्राम्य स्तरीय सूक्ष्म नियोजन होगा उस समय स्थानीय समुदाय को विद्यालय के समीप लाने के लिये स्वंय सेवी संगठनों से सहयोग लिया जायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सम्बर्द्धन :

प्रशिक्षण कार्यक्रम : सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सम्बर्द्धन डायट, बी.आर. सी. तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें जिसके अन्तर्गत डायट में संदर्भदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। तत्पश्चात् विकास खण्ड स्तर के अध्यापकों, अनुदेशकों, आचार्यों, ई0सी0सी0ई0 कार्य का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जो निम्नवत् होगें –

शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण :-

प्रत्येक वर्ष में नव नियुक्त शिक्षामित्रों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया जायेगा जो कि जिले स्तर पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त जनपद के संदर्भ दाताओं द्वारा किया जायेगा।

अनुदेशकों एवं आचार्यों का प्रशिक्षण :-

परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति सहायक अध्यापक तथा वैकल्पिक शिक्षा एवं विद्याकेन्द्रों के नव नियुक्ति अनुदेशकों/आचार्यों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर संदर्भदाताओं द्वारा प्रदान किया जायेगा।

नव नियुक्ति परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों का प्रशिक्षण :– डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत नवीन संचालित प्राथमिक विद्यालयों के नव नियुक्ति प्रधान अध्यापकों को 20 दिवसीय प्रशिक्षण डायट के संदर्भदाताओं/मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रदान किया जायेगा।

पूर्व माध्यमिक नवीन विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों का प्रशिक्षण :-

गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु नवीन संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर संदर्भदाताओं / मास्टर ट्रेनर्स द्वारा 20 दिवसीय प्रदान किया जायेगा।

सेवारत प्रशिक्षण :-

सर्वशिक्षा अभियान में डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत नियुक्त कार्यरत सभी शिक्षामित्रों को डायट स्तर पर संदर्भदाताओं द्वारा 20 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जिससे प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्ता सम्बर्द्धन हो सके।

सेवारत शिक्षामित्रों कां प्रशिक्षण :-

सर्वशिक्षा अभियान में डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत विद्या केन्द्रों (ई0जी0एस0) के आचार्यो एवं ए0आई0ई0 के अनदेशकों का प्रशिक्षण :– सर्वशिक्षा अभियान में नियुक्त आचार्यों का डायट स्तर पर संदर्भदाताओं द्वारा 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

शिक्षामित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण -

सर्वशिक्षा अभियान में डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षामित्रों को शिक्षण विद्या की नवीन विधियों से प्रति वर्ष 20 दिनों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त संदर्भदाताओं द्वारा दिया जायेगा।

विद्या केन्द्रों के आचार्यो एवं ए0आई0ई0 के अनुदेशकों का पुनर्बोधात्मक – शैक्षिक गुणवत्ता की सम्प्राप्ति के स्तर में वृद्धि हेतु डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियुक्त आचार्यो एवं अनुदेशकों को डायट स्तर पर नवीन विधाओं से अवगत कराने हेतु 20 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिससे शिक्षण प्रभावी हो सकें।

ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समन्वयकों का प्रशिक्षण :-

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत उक्त समन्वयकों द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसमर्थन प्रदान किया जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा इण्टरमीडियट कालेज में 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस निमित्त बी0आर0सी0 समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इसी परिपेक्ष्य में बी0आर0सी0 समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी

अकादमिक पर्यवेक्षण के सम्बंध में 20 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा तथा जनपद की आवश्यकता के अनुरूप माड्यूल राज्य स्तर पर तैयार किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के समन्वयकों का प्रशिक्षण :-

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत उक्त समन्वयकों द्वारा परिषदीय विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसमर्थन प्रदान किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा इण्टरमीडियट कालेज में 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इसलिये एन0पी0आर0पी0 समन्वयकों की क्षमता में वृद्धि करने हेतु उनके कार्य एवं दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के सम्बंध में 20 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रशिक्षित संदर्भदाताओं द्वारा प्रदान किया जायेगा तथा उनके अनुरूप राज्य स्तर पर माड्यूल तैयार किया जायेगा। एन0पी0आर0सी0 के समन्वयकों कों उक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त समय समय पर शिक्षामित्रों, आचार्य जी, अनुदेशकों तथा ई0सी0सी0ई0 के अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर प्रशिक्षित किया जायेगा।

बी0आर0सी0 समन्वयकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण :-

सर्वशिक्षा अभियान में डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत एवं सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियुक्त बी0आर0सी0 समन्वयकों को समय समय पर राज्य स्तर डायट स्तर पर किये गये शोध, शैक्षिक अवधारणाओं, शिक्षा विद्या की नवीन संदर्भदाताओं द्वारा 20 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण :-

सर्वशिक्षा अभियान में डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत नियुक्त एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को समय समय पर राज्य स्तर /डायट स्तर पर किये गये शोध शैक्षिक

अवधारणाओं, शिक्षा विद्या की नवीन तकनीक तथा विविध संचालित कार्य मों से डायट स्तर पर संदर्भदाताओं द्वारा 20 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण :-

विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्य मों का नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0, बी0आर0सी0 समन्वयकों तथा जनपद के कुछ चुने हुये अवकाश प्राप्त अध्यापकों को विकास खण्ड स्तर पर अध्यापकों के प्रशिक्षण देने के लिये प्रत्येक विकास खण्ड के लिये एक कोर टीम का गठन किया जायेगा और उस कोर टीम को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संदर्भदाताओं द्वारा डायट स्तर पर 20 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

डायट स्टाफ के विकास हेतु प्रशिक्षण :-

सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत डायट स्टाफ के लिये प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन अकादमिक पर्यवेक्षण, श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास हेतु शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुकरण सामग्री विकास, विषय शिक्षण, स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण एवं प्रमुख दायित्वों का कैसे निर्वहन किया जाय राज्य स्तर पर बने माड्यूल के आधार पर प्रशिक्षित संदर्भदाताओं, मास्टर, ट्रेनर्स के द्वारा डायट स्टाफ को 20 दिवसीय प्रशिक्षण देकर सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रबंध में प्रशिक्षण -

सभी परिषदीय विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की नेतृत्व प्रशिक्षण तथा समय प्रबंधन एवं विद्यालय प्रबंधन का प्रशिक्षण देने के लिये बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को सीमेट इलाहाबाद में 20 दिवसीय दिया जायेगा। प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु माड्यूल सीमेट इलाहाबाद में तैयार किया जायेगा।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उपविद्यालय निरीक्षक का प्रशिक्षण :– जनपद में विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों में नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए0बी0एस0ए0 एवं एस0डी0आई0 की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस दृष्टि में इनका 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम डायट स्तर /सीमेट स्तर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण का माड्यूल सीमेट द्वारा डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित किया गया है। इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण विद्यालयों बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों तथा ई0जी0एस0 केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण दिया जायेगा साथ ही साथ अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण ई0एम0आई0एस0 माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेगें।

सहायक अभियंता एवं जूनियर अभियंता का प्रशिक्षण :– डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत तथा सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण डायट /सीमेट स्तर पर कुशल अभियंताओं द्वारा प्रदान किया जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण :– डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य होनी चाहिये इसके लिये सीमेट स्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। संस्थानर स्तर पर नियोजन एवं अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से बढ़ाया जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक शिक्षकों को भी प्रशिक्षित हेतु उच्च प्राथमिक शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने की व्यवस्था डायट स्तर पर सीमेट की सहायता से की जायेगी।

ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का अनुस्थापन प्रशिक्षण :– स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने ग्राम शिक्षा योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को 2

दिवसीय अनुस्थापन प्रशिक्षण डायट स्तर पर दिया जायेगा। जिसे आवश्यकतानुसार जनपद स्तर पर संशोधित एवं परिवर्तित किया जायेगा। इस अनुस्थापन प्रशिक्षण में ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य, महिला सदस्य युवक मंगल दल के सदस्य, माडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों, एम0टी0ए0 एवं पी0टी0ए0 के सदस्यों को अनुस्थापन प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही साथ विद्यालयों की माइक्रोप्लानिंग एवं स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आकड़ो और विकास योजनाओं को विधिवत लागू करने एवं उनमें नवीन विधाओं की जानकारी अनुस्थापन प्रशिक्षण के अन्तर्गत सदस्यों को दी जायेगी।

आर0सी0आई0 (आई0ई0डी0) प्रशिक्षण :– भारत की लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता है जब तक कि विकलांगता के विभिन्न प्रकारों से रोग ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाय। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुये उन्नाव जनपद में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु 13 सदस्यीय टीम जिसमें अध्यापक, जिला समन्वयक, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0, ए0बी0आर0सी0 सम्मिलित है। उन्नाव जनपद में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड नवाबगंज और हसनगंज को चयनित किया गया है। इन विकास खण्डों में अध्यापकों को 45 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्नाव जनपद में 771 विद्यालयों को चिन्हित किया गया जिसमें 2194 बालक तथा 1524 बालिका कुल 3918 अक्षम बच्चों को चिन्हित किया गया है। जिनमें विकलांगता / अक्षमता निम्न प्रकार है।

जनपद उन्नाव का विकलांगता का परिदृश्य

विकलांगता का प्रकार	बालक	बालिका	योग
1. दृष्टि विकलांगता	182	71	253
2. श्रवण एवं वाणी अक्षम	129	103	232
3. शारीरिक अक्षम	933	524	1457
4. मानसिक मदंता	333	307	640
5. अधिगम अक्षमता	617	519	1136
योग	2194	1524	3718

अध्यापक अनुरथापन प्रशिक्षण :-

(आई0ई0डी0) विकलांग बच्चों की शिक्षा देने के लिये समय समय पर शिक्षण विधा में नवीन तकनीकियों, नवाचारों तथा उनके साथ सहानुभूति रखने सम्बंधी नियमों की जानकारी देने के लिये 5 दिवसीय प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर अध्यापकों को दिया जायेगा।

वार्षिक कार्य योजना बजट का प्रशिक्षण :-

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों एवं डायट के संकाय सदस्यों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण सीमेट इलाहाबाद में परियोजना के प्रथम वर्ष में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण की विषयवस्तु सर्वशिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों एवं कार्य योजना की रणनीतियों पर आधारित होगी आवश्यकतानुसार पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें।

ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण :-

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक नियोजन तथा प्रबंधन को अधिकाधिक यथार्थ प्रासंगिक आवश्यकता परक तथा प्रभाव पूर्ण बनाने हेतु शैक्षिक आंकड़ो तथा सूचनाओं की सुलभता आवश्यक है। इसके लिये आधार भूत आकड़ों तथा सूचनाओं के संकलन

विश्लेषण तथा निष्कर्ष के सोपानों के माध्यम से शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास आवश्यक है। विद्यालय से लेकर राष्ट्र स्तर तक सूचनाओं तथा आंकड़ों को तैयार करने की आवश्यकता महसूस प्रतीत की गई। इसलिये सूचना संकलन और विश्लेषण के क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली एक बढ़ता नव आयाम है। ई0एम0आई0एस0 आंकड़ो के विश्लेषण से गुणवत्ता सूचकांक के द्वारा बच्चों की सम्प्राप्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा एन0पी0आर0सी0से प्राप्त आंकड़ो का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उन का उपयोग शैक्षिक योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में हो सकेगा।

उक्त से सम्बंध में जिला परियोजना के अभिकर्मियों एवं डायट के संकाय सदस्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षणस सीमेट इलाहाबाद में दिया जायेगा तत्पश्चात् बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के डायट स्तर प्रशिक्षण प्राप्त सदस्यों द्वारा ही दिया जायेगा। समन्वयकों का प्रशिक्षण लेने के बाद अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले विद्यालयों के अध्यापकों को ई0एम0एस0 का 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

शिक्षक अनुदान :– प्राथमिक एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष रू0 500/ – अनुदान दिये जाने का प्राविधान है जिससे शिक्षण कार्य में गुणात्मक अभिवृद्धि लायी जा सके। प्राथमिक स्तर पर 2004–05 तक शिक्षक अनुदान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रम अन्तर्गत की गयी है। किन्तु प्राथमिक विद्यालयों के ऐसे नये अध्यापकों एवं शिक्षामित्र जिनके पद सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सृजित किये गये है उनके अध्यापक अनुदान का प्राविधान प्रथम वर्ष 2002–03 से तथा वर्ष 2005–06 से समस्त शिक्षकों हेतु अनुदान का प्राविधान सर्वशिक्षा अभियान से किया गया है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यक्रम समस्त अध्यापकों को शिक्षक अनुदान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था वर्ष 2002–03 से निरन्तर सर्वशिक्षा अभियान से प्रस्तावित है।

स्तर	2003-04			2004-05			2005-06			2006-07		
	परि०	सहा०	जोड़	परि०	सहा०	जोड़	परि०	सहा०	जोड़	परि०	सहा०	जोड़
प्राथमिक	1442	48	1490	6489	48	6537	6643	48	6691	6891	48	6939
उच्च प्रा०	2414	24	2438	2594	24	2618	2774	24	2798	2073	24	2097

EDUCATIONAL LEVEL OF TEACHERS

UNNAO	VIII	HS	INT	BA	MA
63	2.4	31.5	29.8	25.0	11.3

IMPACT OF TRAINING PROGRAMMES OF TEACHERS EFFECTIVE

CODE OF DISTRICT	UTILITY OF KNOWLEDGE			IMPROVING TEACHING LANGUAGE			IMPROVING TEACHING MATHEMATICS		
	HIGH	AVERAGE	LOW	H	A	L	H	A	L
63	16.5	78.0	5.5	27.5	69.2	3.3	27.5	64.8		

अध्याय 10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्वशिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-4 आयु वर्ग से सभी बालक बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबंधन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबंध कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंध टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम् जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके । समय समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही दिन प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तंत्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली-

सर्वशिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुय विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंध प्रणाली स्थापित कर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने जवावदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों का अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियो के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0प्र0 सर्वशिक्षा अभियान में एक प्रबंध तंत्र तैयार किया गया हैं जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है।–

निर्णयकर्ता समितियां	सर्वशिक्षा अभियान की प्रबंध पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति यू0पी0ई0एफ0 ए0पी0पी0	राज्य परियोजना कार्यालय	एस0सी0ई0आर0 टी0,एस0आई0ई0, एस0आई0ई0टी0, एन0जी0ओ0
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन0जी0ओ0
क्षेत्र विकास समिति	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक	संकुल संसाधन केन्द्र
	अध्यापक	

प्रशासनिक तंत्र

1. जिला परियोजना कार्यालय :-

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन उसका दायित्व होगा। **जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन तथा मार्गदर्शन के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे।** इस कार्य में बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे :-

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी : पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी : (इ0जी0एस0/ए0आई0ई0)
3. समन्वयक : 4
4. सलाहकार : 2 रू0 10,000/– नियत वेतन प्रतिमाह
5. कम्प्यूटर आपरेटर – 1 रू0 7,000/– नियत वेतन प्रतिमाह
6. सहायक लेखाधिकारी : 1
7. लिपिक : 1
8. परिचारक : 1

उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगें।

संगठनात्मक ढांचा– नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :-

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बंधी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 तथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:–

समिति का स्वरूप निम्नवत् है :–

1. ग्राम पंचायत का प्रधान	–	अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक और यदि वहां एक से अधिक विद्यालय हो तो उनके प्रधानाध्यापकों में ज्येष्ठतम् सदस्य	–	सचिव
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक जिनमें एक संरक्षक महिला होगी (सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें)	–	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :-

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी।

(क) पंचायत क्षेत्र में स्थित बेसिक विद्यालयों के संचालन हेतु प्रशासन नियंत्रण तथा प्रबंधन करना।

(ख) बेसिक विद्यालयों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनायें तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कुलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थित को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे जाय।

(ड.) बेसिक विद्यालयों उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाय लघुदण्ड देने की सिफारिश की।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बंधित ऐसे अन्य कृत्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौपें जाय।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम – III के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रहती है? जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिसर में सुधार शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बंधी कार्यो में जनता की सहभागिता प्राप्त करने में सफल हुयी। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधक एवं शैक्षिक नियोजन सम्बंधी सारे कृत्यों को सम्पादित किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा कि जिससे कि बुनियादी स्तर से प्रारंम्भिक शिक्षा का वांछित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारण्टी योजना/ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व हैं। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यो, आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन, मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्ति का वितरण, पोषाहार वितरण का नियंत्रण, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0) :-

इस जनपद में न्याय पंचायत केन्द्रों का निर्माण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम – III के अन्तर्गत कराया जा चुका हैं इसे सुसज्जित किये जाने के साथ साथ 174 संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर इन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका हैं इनकों प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :-

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का अकादमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की सप्ताहिक बैठकें करना। उनकी व्यक्तिगत कठिनाईयों पर विचार विमर्श एवं उनका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार, परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
4. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :-

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण, अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है।

1.	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	–	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उपनिरीक्षक	–	सदस्य सचिव
3.	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	–	सदस्य
4.	विकास खण्ड का वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक	–	सदस्य

कार्य एवं दायित्व -

1. ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना।
2. जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
3. क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
4. ग्राम शिक्षा समितियों तथा जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क का कार्य तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0आर0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।

   इस समिति की माह में एक बार बैठक अनिवार्य होगी।

प्राशासनिक संगठन ब्लाक स्तर :-

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत (ब्लाक) स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत् है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेगें तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगें। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होगें। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका मुख्य दायित्व होगा। और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार व सुविधायें प्रदान की जायेगी। विकास खण्ड के विद्यालयों की गुणवत्ता बनाये रखनें में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। संक्षेप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होगें।

1. सर्वशिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ।
2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण।
3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन कराना
5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्र कर संकलित करना।
6. सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना संकलित करना।
7. विद्यालय में अध्ययनरत् सभी बालक / बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।
8. पोषाहार वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित करना।
9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।
10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक –छात्र अनुपात बनाये रखने और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।
11. ग्राम शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।
12. अध्यापकों के वेतन बिल समय से प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा उन केन्द्रों पर अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रन – III के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की गयी है। वे सर्वशिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका मे समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल तथा रखरखाव हेतु नियत धनराशि 18,000/– प्रति विकास खण्ड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

उन्हें ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन म सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) :-

इस जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –III संचालित हो चुका है और 16 विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। कुल 16 विकास खण्डों में बी0आर0सी0 समन्वयक नियुक्त किये जा चुके है तथा कुल 32 बी0आर0सी0 सह समन्वयक नियुक्त किये जा चुके है जो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे है

शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु देखा जाता है कि समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर तथा एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकरण करने की योजना है इसके आवश्यक धन की व्यवस्था की जाय।

कार्य एवं दायित्व :-

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का अकादमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है।
3. विकास खण्डों की अकादमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक योजनाओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड के अन्तर्गत विद्यालय से बाहर के बच्चों के सम्बंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार विवरण तैयार करना।

8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय समय पर एकत्रीकरण व सेम्पल चेकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति :-

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –III के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है। जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं समिति का गठित निम्नवत् है।

1.	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	–	उपाध्यक्ष
3.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य सचिव
4.	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	–	सदस्य
5.	जिला श्रम अधिकारी	–	सदस्य
6.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	–	सदस्य
7.	वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	–	सदस्य
8.	अधिशाषी अभियंता आर0ई0एस0	–	सदस्य
9.	जिला विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य
10.	दो शिक्षाविद् (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय) (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	–	सदस्य
11.	दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से (एक वर्ष के लिये)	–	सदस्य
12.	दो शिक्षक (राष्ट्रीय/ राज्य पुरस्कार)	–	सदस्य
13.	स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	–	सदस्य

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना।
		2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - UNNAO

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
XVI)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2002-03)						0	0.00	
75	Salary of Asstt Teacher PS			9.00		0.00	0	0.00	12 Months
76	Salary of Asstt Teacher UPS			10.00	45	5400.00	45	5400.00	12 Months
77	Salary of Additional Teachers PS			8.00		0.00	0	0.00	6 Months
78	Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25			2.25		0.00	0	0.00	11 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2002-0	0	0.00		45	5400.00	45	5400.00	
XVII)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2003-04)						0	0.00	
79	Salary of Asstt Teachers 2003-04 (P.S.)			9.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
80	Salary of Asstt. Teachers 2003-04 (U.P.S.)			10.00	135	8100.00	135	8100.00	6 Months
81	Salary of Additional Teachers (PS)			8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
82	Salary of Fresh SM (PS)			2.25	0	0.00	0	0.00	6 Months
83	Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR			2.25	1304	17604.00	1304	17604.00	6 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2003-0	0	0.00		1439	25704.00	1439	25704.00	
	TOTAL TEACHERS' SALARY	0	0.00		1484	31104.00	1484	31104.00	
VIII	TEACHER GRANT (TLM)						0	0.00	
84	Teacher Grants PS @ 0.5			0.50	190	95.00	190	95.00	
85	Teacher Grants UPS @ 0.5			0.50	2438	1219.00	2438	1219.00	
	TOTAL Teacher Grant	0	0.00		2628	1314.00	2628	1314.00	
XIX)	TEACHING LEARNING EQUIPMENTS						0	0.00	
87	TLE PS @10			10.00	0	0.00	0	0.00	
88	TLE UPS @50	15	750.00	50.00	45	2250.00	60	3000.00	
88 (a)	TLE UPS @50 Not covered under OBB		2700.00	50.00		0.00	0	2700.00	
	TOTAL Teaching Learning Equipments	15	3450.00		45	2250.00	60	5700.00	
XX)	TEACHER TRAINING						0	0.00	
89	Induction Trainning of SM for 30 days @ Rs.70/- per day			0.07	0	0.00	0	0.00	
90	In-service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC) for 20 days @ Rs.70/- per day			0.07	206	288.40	206	288.40	
91	Teachers (UPS) for 15 days @ Rs.70/- per day			0.07	1538	1614.90	1538	1614.90	
	TOTAL Teacher Training	0	0.00		1744	1903.30	1744	1903.30	
XXI)	STRENGTHENING OF VEC						0	0.00	
92	VEC Training @ Rs. 30/- for 2 days for 8 persons			0.48	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Strengthening of VEC	0	0.00		0	0.00	0	0.00	
XIII	EMIS CELL						0	0.00	
	TOTAL EMIS Cell	0	0.00			244.00	0	244.00	
XIII	STRENGTHENING OF DIET								
	TOTAL DIET	0	0.00				0	0.00	
	GRAND TOTAL		4500.00			97267.40		101767.40	

SARVA SHIKSHA ABHIYAN
UNNAO

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	0	0	0	0	7	1792	0	0	7	1792
A2	New Upper Primary Schools	451	15	6765	45	12600	0	0	7	1960	0	0	67	21325
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	45	2700	45	5400	45	5400	45	5400	45	5400	225	24300
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	0	0	0	0	7	173.25	7	173.25	14	346.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	0	0	0	0	7	756	7	756	14	1512
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	135	8100	135	16200	156	18720	156	18720	582	61740
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	0	0	0	0	7	70	0	0	7	70
A8.2	UPS	50	15	750	45	2250	0	0	7	350	0	0	67	3350
A9	TLE UPS not covered OBB	50	54	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	54	2700
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**12915**	0	**28350**	0	**21800**	0	**29421.25**	0	**25249.25**		**117735.5**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	27	570.375	65	1373.125	65	1373.125	157	3316.625
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	[illegible] models of DPEP(per child), Shiksha Ghar	0.85	0	0	0	0	53	1119.625	60	1267.5	60	1267.5	173	3654.625
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	32	1152	50	1800	50	1800	50	1800	182	6552
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	1	180	1	180	1	180	4	720
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	174	5881.2	0	0	0	0	0	0	174	5881.2
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	32	491.2	32	491.2	64	982.4
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ACCESS Subtotal		0	**12915.00**	0	**35583.20**	0	**25470.00**	0	**34533.08**	0	**30381.08**	**0**	**138842.35**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	17	6511	40	15320	4	1532	23	8809	84	32172
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	305	21350	355	24850	408	28560	1068	74760
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	60	4200	63	4410	242	16940	180	12600	99	6930	644	45080
R4.1	Toilets Upper Primary	10	0	0	29	290	85	850	85	850	64	640	263	2630
R4.2	Toilets Primary	10	14	140	0	0	150	1500	150	1500	149	1490	463	4630
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	25	450	25	450	31	558	81	1458
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	20	300	12	216	12	216	0	0	44	732
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1717	8585	1717	8585	1717	8585	1724	8620	6875	34375
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	278	1390	278	1390	338	1890	338	1690	345	1725	1577	7885
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	1304	32274	1732	42867	1818	44995.5	4854	120136.5
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	428	41088	513	49248	597	57312	1538	147648
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	1304	17604	428	10593	86	2128.5	84	2079	1902	32404.5
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	23	46	1717	3434	1724	3448	1724	3448	5188	10376
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	278	556	393	786	338	676	465	930	465	930	1939	3878
R12	**Promoting Girls Education**		0	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	5	375	5	375	5	375	15	1125
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	338	8450	398	9950	458	11450	1194	29850
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		250		250		250		750	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	250	1250	250	1250	250	1250	750	3750
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	250	937.5	250	937.5	250	937.5	750	2812.5
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	250	375	250	375	250	375	750	1125
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	338	946.4	398	1114.4	458	1282.4	1194	3343.2
R16.2	Bal Mela at NPRC (5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	174	870	174	870	174	870	522	2610
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	954	457.92	954	457.92	954	457.92	2862	1373.76
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	32	800	32	800	32	800	96	2400
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	1	5	1	5	1	5	3	15
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	2211	0	0	174	11605.8	174	11605.8	174	11605.8	522	37028.4
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	10	5000	5	300	5	300	5	300	25	5900
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	338	845	2330	5825	2330	5625	4998	12495
	RETENTION Sub Total		0	**9426**	0	**44922**	0	**182185.0**	0	**184761.52**	0	**201631.52**	0	**622926.06**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	0	0	1732	3637.2	93	195.3	84	176.4	1909	4008.9
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	45	94.5	0	0	428	898.8	113	237.3	84	176.4	670	1407
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	0	0	206	288.4	5081	7113.4	5433	7606.2	5516	7722.4	16236	22730.4
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	1448	2027.2	1538	1614.9	1673	1756.65	1874	1967.7	1973	2071.65	8506	9438.1
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	73	102.2	1812	2536.8	1898	2657.2	3783	5296.2
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	80	168	0	0	0	0	80	168
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	48	33.6	48	33.6	48	33.6	144	100.8
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	174	121.8	174	121.8	174	121.8	522	365.4
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	30	42	30	42	30	42	90	126
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	16	5.6	16	5.6	16	5.6	48	16.8
Q2	IED Provision for disable children	1.2	1205	482	2284	2740.8	2284	2740.8	2284	2740.8	2284	2740.8	10341	11445.2
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Counselling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	5	12.5	5	12.5	5	12.5	15	37.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	5	10	5	10	5	10	15	30
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	190	95	6537	3268.5	6705	3352.5	6953	3476.5	20385	10192.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1493	746.5	2438	1219	2618	1309	2819	1409.5	2918	1459	12286	6143
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	15880	794	209410	10470.5	211245	10562.25	215470	10773.5	652005	32600.25
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	39421	5913.15	37622	5643.3	46317	6947.55	49216	7382.4	52316	7847.4	224892	33733.8
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	2055	308.25	2115	317.25	2175	326.25	6345	951.75
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	130	6.5	207	10.35	207	10.35	544	27.2
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1717	25755	1717	25755	1717	25755	5151	77265
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	338	2535	396	2985	458	3435	1194	8955
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	9263.35	0	12396.4	0	67292.85	0	67333.85	0	68903.35		226188.8
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	60	3600	0	0	0	0	60	3600
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	1	50	0	0	1	50	2	100
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	1	48	1	48	1	48	3	144
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	16	2304	16	2304	16	2304	48	6912
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	32	2112	32	2112	32	2112	96	6336
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	16	576	16	576	16	576	48	1728
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	16	96	16	96	16	96	16	96	64	384
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	16	32	16	32	16	32	48	96
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	16	160	16	160	16	160	48	480
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	16	80	16	80	16	80	16	80	64	320
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	16	80	16	80	16	80	48	240
C2.11	Contigency	12.5	0	0	16	200	16	200	16	200	16	200	64	800
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	174	626.4	174	626.4	174	626.4	522	1879.2
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	16	80	16	80	16	80	48	240
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	174	25056	174	25056	174	25056		
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	174	174	174	174	174	174	174	174	696	696
C3.4	Contingency	2.5	0	0	174	435	174	435	174	435	174	435	696	1740
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	174	417.6	174	417.6	174	417.6	174	417.6	696	1670.4
C4	District Project Office/Management		1	1066	0	2330	0	0	0	0	0	0	1	3416
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	7	1260	7	1260	7	1260	21	3780
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	*Furniture/Fixtures*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*30*	*1*	*30*	*2*	*60*
C4.6	Books/Magazine /News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/ GDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	17	306	17	306	17	306	51	918
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	17	170	17	170	17	170	51	510
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	1	120	1	120	1	120	3	360
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	1717	2403.8	1717	2403.8	1717	2403.8	5151	7211.4
C4.15	Supervision & Monitoring per school *UPS*	*1.4*	*293*	*410.2*	*293*	*410.2*	*338*	*473.2*	*398*	*557.2*	*458*	*641.2*	*1760*	*2492*
C4.16	*Contingency*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*100*	*1*	*100*	*1*	*100*	*3*	*300*
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	**1496.2**	0	**4142.8**	0	**42195**	0	**38659**	0	**38793**		**125286**
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	244	0	0	0	0	0	0	1	244
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	0	0	1	144	1	144	2	288
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	0	0	1	90	1	90	2	180
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100
C5.5	Furnishing of MIS cell	*20*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*20*	*0*	*0*	1	20
C5.6	*Computer Software*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*20*	*1*	*20*	2	40
C5.7	*Upgradation and Networking*	30	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60
C5.8	Priniing & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	0	0	1	40	1	40	2	80
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	0	0	1	25	1	25	2	50
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**1496.2**	0	**4386.8**	0	**42330**	0	**39083**	0	**39197**	**0**	**126493**
	GRAND TOTAL		0	**33100.6**	0	**97267.40**	0	**317277.87**	0	**325711.45**	0	**340092.95**	**0**	**1113450.21**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention

UNNAO

	2002-03	2003-04	20004-05	2005-06	2006-07	Total
Civil	11105.0	24111.0	56626.0	45750.0	46987.0	184579.0
Management	410.2	410.2	5378.0	5781.0	5845.0	18068.4
Programme	21585.4	72746.2	255273.9	274180.4	287260.9	910802.8
Total	**33100.6**	**97267.4**	**317277.9**	**325711.4**	**340092.9**	**1113450.2**
Percentage - Civil	**33.5**	**24.8**	**17.8**	**14.0**	**13.8**	**16.6**
Percentage - Management	**1.2**	**0.4**	**1.7**	**1.8**	**1.7**	**1.6**
Percentage - Programme	**65.2**	**74.8**	**80.5**	**84.2**	**84.5**	**81.8**
Percentage - Total	100	100	100	100	100	100

Q2.12	[illegible]													
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	[illegible]											
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	6	[illegible]						
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]			
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			[illegible]
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	200	100	6037	3018.5	6204	3102	6365	3182.5	18806	9403
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	792	396	1986	993	1356	678	1371	685.5	1371	685.5	6876	3438
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	7942	397.1	195857	9792.85	203799	10189.95	207875	10393.75	615473	30773.65
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	29212	4381.8	104160	15624	34175	5126.25	34859	5228.85	35558	5333.7	237964	35694.6
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1837	275.55	1912	286.8	1912	286.8	5661	849.15
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1532	22980	1532	22980	1532	22980	4596	68940
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	249	1867.5	249	1867.5	249	1867.5	747	5602.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	QUALITY *Sub Total*		0	**6481.5**	0	**20589.35**	0	**67402.15**	0	**62816.65**	0	**62096**		**209384.65**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	*Maintenance of Computer Room*	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	*Exposure Visit*	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	1	48	1	48	1	48	3	144
C1.13	*Consumable/Computer Stationary*	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	13	1872	13	1872	13	1872	39	5616
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	13	858	13	858	13	858	39	2574
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	13	468	13	468	13	468	39	1404
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	13	78	13	78	13	78	13	78	52	312
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	13	26	13	26	13	26	39	78
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	13	130	13	130	13	130	39	390
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	13	65	13	65	13	65	13	65	52	260
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	13	65	13	65	13	65	39	195
C2.11	Contigency	12.5	0	0	13	162.5	13	162.5	13	162.5	13	162.5	52	650
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	13	46.8	13	46.6	13	46.8	39	140.4
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	13	65	13	65	13	65	39	195
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		12	0	0	0	0	132	19008	132	19008	132				
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	132	132	0	0	132	132	132	132	396	396	
C3.4	Contingency	2.5	0	0	132	330	132	330	132	330	132	330	528	1320	
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	132	316.8	132	316.8	132	316.8	132	316.8	528	1267.2	
C4	District Project Office/Management		0	868	1	2240	0	0	0	0	0	0	1	3128	
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	6	1080	6	1080	6	1080	18	3240	
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540	
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30	
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	21	378	21	378	21	378	63	1134	
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30	
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120	
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90	
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300	
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	13	1560	13	1560	13	1560	39	4680	
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30	
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	1532	2144.8	1532	2144.8	1532	2144.8	4596	6434.4	
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	208	291.2	194	271.6	249	348.6	249	348.6	249	348.6	1149	1608.6	
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300	
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30	
	Total		0	**1179.2**	0	**3695.9**	0	**30211.6**	0	**30343.6**	0	**30343.6**		**95873.5**	
C5	MIS		0	0	0		0		0		0				
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	244	0	0	0	0	0	0	1	244	
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432	
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270	
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300	
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60	
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120	
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60	
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75	
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30	
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75	
	CAPACITY Sub Total		0	**1179.2**	0	**3839.9**	0	**30685.5**	0	**30817.5**	0	**30817.5**	0	**97339.6**	
	GRAND TOTAL		0	**34349.7**	0	**113831.86**	0	**251368.25**	0	290455.97	0	**276879.60**	0	**966885.37**	

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **Pathepur**

	2002-03	**2003-04**	**20004-05**	**2005-06**	**2006-07**	**Total**
Civil	11433.0	34109.0	40534.0	42144.0	36960.0	165180.0
Management	291.2	271.6	6475.4	6475.4	6475.4	20233.0
Programma	22625.5	79451.3	204358.9	241836.6	233444.2	781472.4
Total	**34349.7**	**113831.9**	**251368.3**	**290456.0**	**276879.6**	**966885.4**
Percentage - Civil	**33.3**	**30.0**	**16.1**	**14.5**	**13.3**	**17.1**
Percentage - Management	**0.8**	**0.2**	**2.6**	**2.2**	**2.3**	**2.1**
Percentage - Programme	**65.9**	**69.8**	**81.3**	**83.3**	**84.3**	**80.8**
Percentage - Total	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	**100**